भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक का योगदान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक का योगदान

लेखक
श्री राजीव कुमार
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
वर्ष 2023

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23 मई, 1979 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुलिस, अपराध, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान तथा पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को गृह मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के भाग 1 के अंतर्गत प्रकाशित मौलिक पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी हैं
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है ।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित –

प्रकाशक	-	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर नई दिल्ली – 110037
संपादक	-	**सतीश चन्द्र डबराल**
प्रथम संस्करण	-	2023
मुद्रक	-	स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली-110007

आमुख

किसी भी देश में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में समृद्धि होती है तो वह देश आर्थिक रूप से समृद्धशाली माना जाता है। आज के दौर में हर देश आर्थिक रूप से अधिक से अधिक प्रगति करना चाहता है। आर्थिक प्रगति में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है । साथ ही, देश में आर्थिक समृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने में कानून व्यवस्था का प्रभावी होना भी उतना ही आवश्यक है ।

ब्यूरो ने पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना में पुलिस व संबंधित विषयों पर मौलिक लेखन को सर्वथा प्रमुखता दी है । पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का यह हमेशा ही प्रयास रहा है कि पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, कारागार एवं सामाजिक विषयों पर हिंदी में उच्चस्तरीय व रूचिकर साहित्य उपलब्ध कराया जाए। भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक के योगदान को देखते हुए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस विषय पर लेखन कार्य कराया जाए । इसके लिए देश के विभिन्न प्रान्तों से प्राप्त रूपरेखाओं में से श्री राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा का चयन किया गया । पुस्तक में लेखक ने आर्थिक प्रगति, कानून व्यवस्था तथा तकनीक की अवधारणा के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है । साथ ही, इस विषय पर अपने विचार रखे हैं व ठोस सुझाव भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं ।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी होगी और इसमें दी गई जानकारियाँ सभी नागरिकों के लिए लाभदायक रहेंगी ।

(बालाजी श्रीवास्तव)
महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	विषय प्रवर्तन और उसकी परिधि	1
2.	आर्थिक प्रगति की अवधारणा एवं महत्व	16
3.	आर्थिक प्रगति के नियामक	24
4.	भारत की आर्थिक प्रगति : एक आकलन	35
5.	भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति एवं उसका महत्व	49
6.	आर्थिक प्रगति और वर्तमान कानूनी प्रावधान	56
7.	आर्थिक प्रगति में प्रौद्योगिकी की भूमिका	65
8.	कानून व्यवस्था की अवधारणा और महत्व	73
9.	प्रभावी कानून व्यवस्था के मार्ग में बाधाएं	97
10.	भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक	107
11.	प्रभावी कानून व्यवस्था की अपेक्षाएं	125
12.	तकनीक की अवधारणा और महत्व	135
13.	आर्थिक प्रगति हेतु प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक में परस्पर समन्वय	146

14.	आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक	154
15.	प्रौद्योगिकी के बदलते आयाम और भारत	162
16.	प्रभावी कानूनी और सार्थक प्रौद्योगिकी का भविष्य	172

अध्याय 1

विषय प्रवर्तन और उसकी परिधि

सृष्टि की रचना से ही अच्छाई एवं बुराई दोनों में आपसी द्वन्द्व चला आ रहा है। हालांकि, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपराध या बुराई करने वाले अधिक खुश रहते हैं किन्तु ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है – **सत्यमेव जयते**। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने अपने जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों की सहायता से सक्रिय प्रयास किए हैं और अभी भी निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के दौर में, मनुष्य पैसे के पीछे अंधी दौड़ में लगा है। इसी प्रकार, विकसित देश और अधिक समृद्ध होना चाहते हैं। विकासशील देश भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को रोकने या उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले अनेक कारक होते हैं। भारत भी एक विकासशील देश है और इसे गांवों का देश कहलाने का गौरव प्राप्त है। भारत सरकार अपने देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निंरतर प्रयास कर रही है। देश में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर एक कार्य-योजना तैयार की जानी चाहिए और तदनुसार उस पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के मानकों पर खरा उतरते हुए देश को प्रगति पथ पर अग्रसर बने रहना चाहिए।

हमें देश की आर्थिक प्रगति को समझने से पूर्व प्रभावी कानून व्यवस्था क्या है, इसे समझना होगा। आर्थिक प्रगति क्या है, इसका आकलन कैसे किया जाता है। आर्थिक प्रगति में कानून व्यवस्था एवं तकनीक का योगदान कितना है, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार एक देश अपनी आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त रख सकता है, किसी भी

देश की प्रगति का आकलन करने के लिए कुछ मानक होते हैं, वर्तमान में, मौजूद कानूनों का क्या महत्व है, इन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कौन-से उपाय किए जाने चाहिए, भारतीय नागरिकों को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से लागू करने के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाना, उन्हें तकनीक का अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। तकनीक का अधिक से अधिक सकारात्मक उपयोग देश की आर्थिक प्रगति में किस प्रकार सहायक है, देश को आगे बढ़ाने में प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, विकसित देशों में जो सुविधाएं सहज रूप में वहां के निवासियों को उपलब्ध होती हैं, विकासशील देशों में वे सुविधाएं वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध नहीं होती हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आकलन करने के लिए उस देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर का बेहतर होना आवश्यक है। साथ ही, वहां की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में पिछले 6 वर्षों से जीडीपी का औसत लगभग 7% रहा है। किन्तु वर्ष 2019-20 में यह दर 4.5% पर आ गयी थी जो वर्ष 2020-21 में 0.4 प्रतिशत ही रह गयी। हालांकि, कोरोना महामारी (कोविड-19) के कारण, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लगभग सभी देशों की सकल घरेलू उत्पाद दर में काफी कमी आयी है। इसके साथ ही, अमेरिका की आर्थिक विश्लेषण कम्पनी मूडीज द्वारा भारत के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु विकास दर के 13.7% पर रहने का अनुमान लगाया गया था। इससे पूर्व, मूडीज कम्पनी द्वारा ही भारत की विकास दर 10.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर अर्थात् जीडीपी 12.5 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई थी किन्तु वास्तव में यह काफी कम रही है।

आज का समय प्रगतिशील है और इसमें गतिशीलता का मुख्य कारण नित नई प्रौद्योगिकी का उपयोग है। भारत भी इन तकनीकों का उपयोग करने में सदैव ही अग्रणी रहा है और हमारी वैज्ञानिक सोच इसे कहीं न कहीं अन्य विकासशील देशों से अलग करती है। भारत आज विश्व में तेजी से विकास करने

वाले प्रमुख देशों में शामिल है। आज हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है जो कि इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत प्राचीन समय से ही दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और भारत को अपनी पुरानी छवि को पुन: प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने के साथ ही, प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक का भरपूर उपयोग करना ही होगा। आज समय की आवश्यकता है कि हमें बेहतर तकनीक का उपयोग करना है और उसके आधार पर ही हम अपने देश को आर्थिक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर करने में सक्षम हो सकते हैं।

उपर्युक्त विषय बहुत ही विस्तृत है । इसके साथ ही, इसकी परिधि भी काफी विशाल है। किसी भी समाज या राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में वहां की कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है वहाँ की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं और देश बिखरने की कगार पर आ जाता है। ऐसा हमें श्रीलंका में देखने को मिला है। एक ओर जहाँ उचित एवं प्रभावी कानून व्यवस्था से समाज में नई प्रगति आती है वहीं दूसरी ओर पुलिस बल द्वारा तकनीक का उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाकर उत्तरोत्तर प्रगति की जा सकती है। जिन देशों या राष्ट्रों ने कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अपने यहाँ पर तकनीक का भरपूर एवं समुचित उपयोग किया है वहाँ पर अपराधों में धीरे-धीरे कमी आई है और वहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गयी है। आज दुनिया के सभी देश आर्थिक प्रगति की दिशा में निरंतर कार्यशील हैं और अपने देश को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं ताकि वे अपने देश को आंतरिक एवं बाह्य रूप से मजबूत बना सकें।

किसी देश का सही विकास वास्तव में उसके नागरिकों को प्रदान की जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, इत्यादि सुविधाओं से मापा जाता है किन्तु जहाँ तक आर्थिक प्रगति का प्रश्न है, वहाँ बहुत हद तक केवल आर्थिक रूप से समृद्धता ही दर्शायी जाती है। कोई भी देश तकनीक का उचित एवं सही दिशा में उपयोग करके शीघ्र ही आर्थिक प्रगति कर सकता है। हालांकि,

तकनीक का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक काम आता है। एक ओर जहाँ मैनुअल रूप से कार्य करने में बहुत अधिक समय एवं श्रम लगता है वहीं तकनीक का सहारा लेते हुए कार्यों को बहुत ही कम समय में निष्पादित किया जा सकता है जिससे पैसा एवं श्रम दोनों की बचत होती है। हमारे सामने जापान, इजराइल, जर्मनी आदि देशों का उदाहरण है जिन्होंने केवल अपनी नवीतनम तकनीक के बल पर आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रखा है।

हालांकि, यह सत्य है कि प्राचीन समय से ही भारत में आर्थिक समृद्धता रही है। किन्तु अब इसे जारी रखने के लिए हमें अन्य विकसित देशों के समान ही तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सके। हमारे देश में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता रहा है, जैसे चिकित्सा, गणित, भौतिकी, रसायन, विधि इत्यादि में जो तकनीकें उस समय इस्तेमाल की जाती थीं वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनका उपयोग देश एवं समाज के उत्थान के लिए आज भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा।

देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कानून व्यवस्था और तकनीक का समन्वय बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार तकनीक के सहारे आज हवाई जहाज का उपयोग कर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेता है, उसी प्रकार तकनीक का उपयोग करके कोई राष्ट्र बहुत ही जल्दी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कर सकता है। विशेष रूप से आर्थिक प्रगति तो बहुत ही शीघ्रता से की जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है – जापान, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम मात्रा में थे किन्तु उसने तकनीकी का इस प्रकार एवं इतनी अच्छी तरह से उपयोग किया कि उसे आज विश्व के विकसित राष्ट्रों में गिना जाता है।

विषय प्रवर्तन और उसकी परिधि :

इसके तहत हम कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे:

1. **भारत के संबंध में आर्थिक प्रगति का वर्णन -** भारत प्राचीन काल से ही आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। यही कारण है कि बहुत से देशों से व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने आते थे। उस समय व्यापार का मुख्य साधन पानी के जहाज हुआ करते थे जिनके द्वारा व्यापारी अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व लाने के लिए करते थे। भारत मसालों, कपड़ों, मिटटी के बर्तनों, यहाँ के खाद्य पदार्थों इत्यादि के लिए विश्व में प्रसिद्ध था।

- **नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता :** किसी भी देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसके साथ ही, वहाँ के नागरिकों को जीवन जीने के लिए क्या सभी मूलभूत सुविधाएं सहज रूप में उपलब्ध हैं अथवा नहीं। कोरोना काल के दौरान लोगों को बुनियादी सुविधाएं एवं इलाज मिलने के कारण ही आज हमारे देश में अन्य विकसित देशों के मुकाबले काफी कम क्षति हुई है तथापि, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द को कोई नहीं बांट सकता है। हमारे देश में अभी तक कोरोना (कोविड-19) महामारी के दौरान लगभग 5.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है जो कि बहुत ही दर्दनाक है।

  इन विपरीत परिस्थितियों के बाजवूद हमारे देश की लगभग 135 करोड़ की जनंसख्या को भोजन उपलब्ध करवाना भी बड़ी चुनौती है। बहुत अधिक लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा है, हालांकि भारत सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है। फरवरी 2022 के बाद से स्थिति काफी अनुकूल होती जा रही है। रोजगार के अवसर भी पुन: बढ़ने लगे हैं। देश में सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों

एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नई दृष्टि से कार्य करना होगा और भारत के सभी नागरिकों को अच्छी एवं बुनियादी सुविधाएं उपलबध करवानी होंगी। तभी देश आर्थिक रूप से समृद्ध एवं शक्तिशाली हो सकता है। जिस देश में नागरिकों को हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं बहुत ही सहज उपलब्ध होती है, उसे ही प्रगति सम्पन्न देश कहा जाता है। अत: सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और नागरिकों को ये सुविधाएं बहुत ही सहज तरह से उपलब्ध करवानी चाहिए।किसी भी नागरिक को सम्मान से जीवन जीने का मूलभूत अधिकार होता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 एवं 20 आदि भी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करते हैं।

- **शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात आदि की सुगमता :** देश के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। चूंकि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भाषाएं, बोलियाँ हैं। बहरहाल, हमारे देश में सभी राज्यों को उनकी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देते हुए बाकी सभी विषयों की संपूर्ण शिक्षा एक जैसी निर्धारित की जानी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 351 भी यही कहता है कि हमारे देश के सभी राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की भाषाओं को निर्विवाद रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि वे बच्चों को केवल भौतिक ज्ञान ही प्रदान न करें अपितु वह अच्छे संस्कार भी दें। क्योंकि आज अंग्रेजी माध्यम के बड़े-बड़े स्कूल यथा कान्वेंट आदि काफी फल-फूल रहे हैं, किन्तु उनकी शिक्षा के तहत भारतीय संस्कार बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं जो कि अपने आप में हमारे देश के मानवीय मूल्यों एवं संस्कारों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अत: शिक्षा के माध्यम से जहाँ हमारे देश में एक दूसरे प्रांतों एवं केंद्र शासित राज्यों आदि के बीच बढ़ती जा रही भाषाई खाई को कम किया जा सकता है, वहीं हम एक साथ मिलकर संस्कारयुक्त अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपनी ही नहीं अपितु देश की भी प्रगति में पूर्ण

सहयोग कर सकते हैं।

इसके साथ ही, हमारे देश में स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि देश के नागरिकों को बीमार होने की स्थिति में डॉक्टरों के पास या अस्पतालों इत्यादि में इलाज करवाने की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। सहज एवं सुलभ चिकित्सा सहायता हमारे देश के न जाने कितने लोगों की जान बचा सकती है। इसी प्रकार, ऐंबुलेंस आदि की कमियों को भी पूरा किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटना (एक्सीडेंट) होने की स्थिति में घायल या मरणासन्न व्यक्ति को चिकित्सा सहायता सहज उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार, आवास भी सभी लोगों के लिए आवश्यक है। मनुष्य को रहने के लिए अपना एक छोटा-सा घर तो चाहिए ही। हमारे देश में आज भी लगभग 35 प्रतिशत से अधिक लोगों का अपना घर नहीं है या वे लोग किसी किराये या झुग्गी झोंपड़ी इत्यादि में रहते हैं। अत: सरकार को इस दिशा में भी बहुत अधिक कार्य करना होगा। आवास की उपलब्धता के कारण, मनुष्य में आत्मविश्वास जाग्रत होता है जिससे उसके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। यह आत्मविश्वास उसके कार्यनिष्पादन को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। इस प्रकार, वह व्यक्ति देश की आर्थिक प्रगति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील बना रहता है। इसके साथ ही, देश में रास्ते इत्यादि भी सुगम हों। आवागमन के साधन भी सहज सुलभ होने चाहिए। अच्छी सड़कें, पुल आदि जहाँ देश की प्रगति की प्राथमिक तस्वीर को दर्शाते हैं, वहीं यह उस देश की जनता की खुशी एवं आर्थिक प्रगति का भी रास्ता प्रशस्त करती हैं। देश की तरक्की का रास्ता भी अच्छी सड़कों से ही होकर गुजरता है। शायद, यही कारण है कि आज वर्तमान भारत सरकार द्वारा सड़कों, पुलों आदि का उच्च कोटि का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि अच्छी सड़कें होने के कारण देश के नागरिकों के समय एवं धन दोनों की बचत होती है। ये लोग

अपना छोटा-मोटा व्यापार करने के लिए इन सड़क मार्गों के उपयोग करते हैं। आज समय की कीमत बहुत बढ़ चुकी है इसलिए लोग आज विभिन्न राजमार्गों पर लगे टोल काउंटरों पर भुगतान करते हुए शीघ्र ही अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंचना चाहते हैं। उन्हें इन टोल काउंटरों पर भुगतान किए गए पैसे भी खलते नहीं हैं। अत: आर्थिक प्रगति के हिसाब से यातायात के साधनों, सड़कों, रेलमार्गों, आदि का दुरुस्त होना अति आवश्यक है।

- **सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक रूप से उत्थान :** आर्थिक प्रगति के अन्य घटकों के साथ-साथ देश का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में हमेशा से ही सामाजिक चेतना का स्वर उच्च रहा है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छी चीजों को करने के लिए लोग सामाजिक रूप से जुड़ते हुए आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मनुष्य तो है ही सामाजिक प्राणी। बिना समाज के व्यक्ति जी ही नहीं सकता है। उसकी सभी गतिविधियाँ समाज व समाज में रह रहे लोगों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती हैं। **प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खीम ने कहा था कि – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज सामाजिक संबंधों को ताना-बाना है**।

  राजनीतिक रूप से भी भारत हमेशा से ही अग्रणी रहा है जो इसकी विशेष पहचान को व्यक्त करता है। हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। आज भी भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत के प्रसिद्ध नेता हैं अपितु आज वह विश्व के प्रसिद्ध नेताओं में से एक बन चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। यही कारण है कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारत के छात्रों को सकुशल वापस लाया गया है जबकि रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी होने के कारण, उस देश में अन्य देशों द्वारा

निवेश किया जाता है जो कि आगे चलकर उस देश की आर्थिक स्थिति में मील का पत्थर साबित होता है।

शिक्षा की दृष्टि से यदि नजर डालें तो हमारा देश हमेशा ही ज्ञान विज्ञान का प्रचार-प्रसार करने वाला अग्रणी देश रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिनमें देश-विदेश के अनेक छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय गुरुकुल के रूप में स्थापित थे और वहाँ उस समय में आवासीय शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। हालांकि, कालांतर में, आक्रमणकारियों द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया गया था। उस समय की शिक्षा आज के समय की शिक्षा की तरह नहीं होती थी जो कि बच्चों को केवल पैसा कमाने की मशीन ही बनाते हैं अपितु उस समय की शिक्षा में ज्ञान के साथ-साथ जीवन को सही तरह से जीने के संस्कार भी दिए जाते थे। बिना संस्कार के ज्ञान या शिक्षा बेकार है।

आपसी भाईचारा, प्रेम, मान-सम्मान इत्यादि इस शिक्षा का आधार होते थे और मुख्य उददेश्य भी। प्रसिद्ध कवि **कबीर दास जी ने कहा है कि – पौथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।।** बच्चों को आईएएस, आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए इत्यादि बनाने के चक्कर में हम बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि हमेशा अपने से बड़ों का उचित आदर एवं सम्मान करना चाहिए क्योंकि जीवन में वही पाता है जो झुकता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही अधिक विनम्रता होती है क्योंकि अकड़ तो केवल उसी व्यक्ति में होती है जिसमें विनम्रता का अभाव होता है।

यदि देश को पुन: विश्व गुरु बनाना है तो हमें उच्च कोटि के सिद्धांतों को मानना ही होगा। हमें **आचार्य चाणक्य उर्फ कौटिल्य, महर्षि भर्तृहरि**,

आचार्य वात्स्यायन, महाभारत काल के **विदुर**, **संत कबीर दास जी**, **संत सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कवि बिहारी, कवि रहीमन** इत्यादि विद्वानों के बताए गए उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों को अपनाना ही होगा तभी हमारे देश की भाषा, सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

- **आर्थिक प्रगति को प्रभावी तरीके से करने हेतु वचनबद्धता :** आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के लिए मनुष्य में जब तक एक संकल्प नहीं होगा, तब तक उसमें आगे बढ़ने की लालसा नहीं हो सकती है। यह संकल्प ही होता है जो हमें किसी कार्य को पूर्ण करने के प्रति हमेशा प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता रहता है। मनुष्य को सदैव अपनी क्षमता एवं शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। विकास के अन्य मानदंडों को पूरा करना चाहिए ताकि उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। किसी भी कार्य को करने के लिए वचनबद्धता का होना अत्यन्त आवश्यक है। आर्थिक प्रगति से ही बहुत से कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। आर्थिक प्रगति के लिए, अपना कार्य करते समय मनुष्य को पूरी तरह से ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है।

- **उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग :** भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति ने प्रचूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का समावेश किया है। हमारे देश में हर प्रकार की संपदा सहज उपलब्ध है। केवल, उस संपदा का उचित दोहन आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पारिस्थितिकीय संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना की गई। उन्होंने यह सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है। उन्होंने जगह-जगह खुदवाई करवाई और उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहररात, तांबा, लोहा, पीतल, कोयला इत्यादि पदार्थ प्राप्त हुए। 1853 में मिले कोयले के कारण ही, उन्होंने 1853-54 में ब्रिटेन से ट्रेन

मंगवाई और पहली बार ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई। समय की आवश्यकता है कि आज हमें देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए नई तकनीकों का सहारा लेना चाहिए ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी पूरी तरह से समाप्त न हों और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें।

- **कर्तव्यनिष्ठा के साथ दायित्वों को पूरा करते हुए आर्थिक प्रगति:** जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं जिन्हें नागरिक कर्तव्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। साथ ही, हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए जिससे देश आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

2. भारत में प्रभावी कानून व्यवस्था :

इसके तहत हम कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करते हैं जो कि इस प्रकार हैं :

- **आर्थिक प्रगति हेतु आवश्यक तत्व :** किसी भी देश में आर्थिक प्रगति हेतु बहुत-से कारक या घटक होते हैं जिनमें वहाँ के लोगों की शिक्षा, तकनीकी ज्ञान की समझ, स्वास्थ्य हेतु उनकी जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन, देश के प्रति सकारात्मक सोच इत्यादि बहुत आवश्यक है ताकि प्रत्येक नागरिक देश की प्रगति में योगदान कर सके।

- **अपराधों पर नियंत्रण रखना :** किसी भी समाज या राष्ट्र को यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि जब तक उनके समाज या राष्ट्र में कानून एवं व्यवस्था का राज स्थापित नहीं होगा तब तक वहाँ पर न तो आर्थिक प्रगति हो सकती है और न ही अन्य प्रकार का कोई विकास ही संभव है। हमारे देश में भी यही नियम लागू होता है। भारत में राजनीतिक स्थिरता होने से देश की अच्छी छवि बनती है और वह दुनिया की नजरों में अच्छे

देशों में शामिल हो जाता है जिससे विदेशों से आने वाला निवेश बढ़ता है जो कि अंतत: देश की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। अत: देश की आर्थिक प्रगति हेतु देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी होना पहली एवं अनिवार्य शर्त है।

- **कानून का डर होना :** हमारे देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की नजर में न कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। पिछले दिनों स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने देश के नामी लोगों के यहाँ पर भी छापा मारा और अन्य साधारण लोग जिनके पास मादक पदार्थ प्राप्त हुए थे, के साथ-साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। इससे कहीं न कहीं बड़े लोगों के मन में भी कानून का डर पैदा हुआ है कि कानून की निगाह में हर व्यक्ति बराबर है।

- **न्यायालयों में विभिन्न मामलों पर त्वरित कार्रवाई का किया जाना:** देश में अच्छी कानून व्यवस्था के साथ ही माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे दोषियों को शीघ्र ही सजा मिल सके और निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। आज भी हमारे देश की अदालतों यथा जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, एवं उच्चतम न्यायालय इत्यादि में करोड़ों मामले विचाराधीन हैं। इन मामलों को शीघ्र ही निपटाया जाना चाहिए ताकि देश के नागरिकों को समय से न्याय मिल सके।

- **नागरिकों को नियमों व कानूनों की जानकारी देना :** हमारे देश के सभी नागरिक, चाहे वे गांव के रहने वाले हों, या शहर के, उन्हें सभी प्रकार के नियमों एवं कानूनों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सरकारी एवं निजी दोनों स्तर पर जागरूकता फैलायी जानी चाहिए क्योंकि माननीय न्यायालय के अनुसार, कानून की जानकारी न होना, कानून से बचाव का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए सभी को कानून के बारे में उचित एवं सही जानकारी होना अनिवार्य है।

- **विभिन्न अपराधों में निष्पक्ष जाँच पड़ताल करना :** विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि में जाँच अधिकारी का निष्पक्ष एवं तटस्थ होना नितांत आवश्यक है। उसे निष्पक्ष रूप से अपनी जाँच करनी चाहिए और संदिग्धों के विरुद्ध जाँच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। विभिन्न अपराधों में अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करते हुए उन्हें शीघ्र ही उचित सजा दिलवाते हुए समाज में अच्छा संदेश दिया जाना चाहिए।

3. आर्थिक प्रगति में तकनीक का योगदान :

- **विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाना :** देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग प्रदान करने के लिए देश के नागरिकों को समय के अनुरूप अपने आपको बदलना चाहिए और अधिक से अधिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। देश के सभी विभागों इत्यादि में नवीनतम तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने-अपने स्तर पर देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग प्रदान कर सकें।

- **मशीनों का उपयोग वस्तुनिष्ठता हेतु आवश्यक :** मशीनों के उपयोग से निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। आजकल कोई व्यक्ति जब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट जम्प करता है तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह सहज रूप में पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति द्वारा क्या कथित कृत्य किया गया है अथवा नहीं। इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है।

- **बुनियादी सुविधाएं यथा रेल, सड़क, हवाई यातायात आदि :** आर्थिक प्रगति में बुनियादी सुविधाओं का बहुत अधिक योगदान होता है। रेल, सड़क, हवाई, इत्यादि की बेहतर सुविधाओं के कारण देश के नागरिकों

के समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है जो देश की प्रगति में ही काम आती है और देश शीघ्र गति से आगे बढ़ता जाता है।

- **शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आदि क्षेत्र में तकनीकी उपयोग को बढ़ाना :** शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि क्षेत्रों में हमें अधिक से अधिक तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बच्चों को और अधिक रुचि से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके ताकि वे देश की आर्थिक प्रगति में अपना पूर्ण योगदान कर सकें।

- **विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा देना :** समाज में सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढावा दिया जाना इस बात का सूचक होता है कि वह समाज अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सस्ती एवं बेहतर तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि, हमारे देश में अनुसंधान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है किन्तु अब समय आ गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, आवास आदि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि देश को इन क्षेत्रों में हुए अनुसंधानों का लाभ प्राप्त हो सके। अनुसंधान कार्यों को करने में हमेशा ही गंभीरता का परिचय देना चाहिए। क्योंकि विभिन्न देशों जिन्होंने अनुसंधान कार्य किए हैं वे आज खोजी गई अपनी तकनीकों के बल पर विश्व में अग्रणी देशों में स्थान पाते हैं।

- **अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना :** हमारे देश में आज भी बहुत पुरानी तकनीकों का उपयोग किया रहा है। अब हमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन किया जा सके। इसका जीता जागता उदाहरण है - मैट्रो ट्रेन। इसके कारण आज दिल्ली सहित देश के कई शहरों में नागरिकों को सुरक्षित यात्रा के साथ साथ त्वरित गति से चलने

वाली मैट्रो ट्रेन की सुविधा मिल रही है। इससे नागरिकों के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है।

देश की आर्थिक प्रगति का कोई एक मानक नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के मानक आर्थिक प्रगति का आधार बनते हैं। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की सुलभता ऐसी चीजें हैं जिनसे किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सहज रुप में आकलन किया जा सकता है।

अध्याय 2

आर्थिक प्रगति की अवधारणा एवं महत्व

किसी भी देश में जब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में समृद्धि होती है तो वह देश आर्थिक रुप से समृद्धशाली माना जाता है। आर्थिक प्रगति की दृष्टि से यह राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता जाता है। आज के दौर में हर देश आर्थिक रुप से अधिक से अधिक प्रगति करना चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं की सुलभता आदि ऐसी चीजें हैं जिनसे किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सहज रूप में आकलन किया जा सकता है। आर्थिक प्रगति को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देश में सभी नागरिकों को मिलकर अपने-अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए सभी नागरिकों को अच्छी प्रकार से तकनीकी ज्ञान को अर्जित करना भी आवश्यक है।

आर्थिक प्रगति क्या है :

आर्थिक प्रगति को परिभाषित करते हुए कुछ विद्धानों ने इसकी परिभाषा दी है। वैसे प्रगति शब्द संस्कृत के 'प्रगत' शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं:

प्रोफ़ेसर ए.जे.यंगसन के अनुसार - "आर्थिक प्रगति से आशय किसी समाज से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि करना है। आर्थिक प्रगति का सीधा-सीधा अर्थ है आर्थिक रुप से किसी देश का प्रगति करना अर्थात आर्थिक प्रगति करना। आज सभी देशों के लिए यह एक आवश्यक घटक बन चुका है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रगति में बहुत कम अंतर है जहां आर्थिक प्रगति में संख्यात्मक घटक होता है वहीं आर्थिक विकास में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों घटक शामिल होते हैं।

प्रो0 किंडले बर्जन के अनुसार - 'आर्थिक प्रगति का अर्थ केवल उत्पादन वृद्धि से है जबकि आर्थिक विकास का अर्थ है उत्पादन वृद्धि के साथ प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तन होना है।

प्रो0 शुम्पीटर के मत के अनुसार - "आर्थिक प्रगति दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है।"

मायर एवं बाल्डविन के अनुसार - "आर्थिक प्रगति अल्पावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि आर्थिक विकास दीर्घावधि में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है।"

इसके अलावा, कुछ घटक इस प्रकार हैं –

1. **प्राकृतिक घटक –** हमारे देश में प्रकृति ने अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाएं हैं। इसलिए हमारे देश को प्राकृतिक रूप से संसाधन सम्पन्न देश कहा जाता है। हमें उनका हमेशा ही उचित दोहन करना चाहिए। अपने देश में आर्थिक प्रगति करने के लिए यह आवश्यक भी है। इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे और हमारा काम भी चलता रहे। साथ ही, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर भी रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन्हें सौंपा जा सके।

2. **मानवीय संसाधन –** भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर मानवीय शक्ति का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए जिससे देश में आर्थिक प्रगति हो सके। मानव संसाधन का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार प्राप्त हो सके। अकुशल कामगारों को कुशल

कामगारों के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनकी क्षमता का विकास करना चाहिए। तकनीकी ज्ञान के बढ़ने के बाद, कामगार अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी काम करने के योग्य बन जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है।

3. पूंजी निर्माण – सर्वप्रथम, पूंजीगत चीजों में निवेश की आवश्यकता होती है जोकि पूंजीगत स्टॉक, राष्ट्रीय उत्पादन और आय में वृद्धि को जन्म देता है। पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता से उद्योग धंधों या कंपनियों को सुचारु रूप से चलाने में काफी सहायता मिलती है।

4. पूंजी उत्पादन अनुपात – पूंजी के उत्पादन संबंधी अनुपात में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और उसकी गुणवत्ता के साथ आय में भी बढ़ोत्तरी हो। इस मद को हमेशा ही उचित मात्रा में रखना आवश्यक होता है और उत्पादन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि बाजार में उत्पाद की मांग बनी रहे।

5. उद्यमशीलता – ज्यादातर विकासशील देशों में वहाँ के नागरिक उद्यमशीलता में काफी पीछे रहते हैं। इन देशों में यह एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे मुद्रा ऋण योजना, स्टार्ट अप इंडिया इत्यादि योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक मात्रा में अपना उद्यम स्थापित करें। स्वयं भी कार्य करें और अन्य लोगों को भी रोजगार दें। दुनिया में बहुत-से देशों ने उद्यमशीलता को बढ़ाते हुए बहुत अधिक प्रगति की है।

6. तकनीकी परिवर्तन : प्रो. रिचर्ड गिल के अनुसार – "तकनीकी परिवर्तन के लिए चार चीजों का होना बहुत आवश्यक है 1. वैज्ञानिक अभिरुचि का होना, 2.समाज में शिक्षा का उच्च स्तर होना, 3. नव प्रवर्तनों को व्यावहारिक रूप देना तथा 4. उद्यमशीलता।" तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करके कोई भी देश शीघ्र वृद्धि कर सकता है। विकासशील देशों में इस प्रकार का देश अग्रणी माना जाता है।

तकनीकी के कारण आज विश्व के कुछ बहुत छोटे-छोटे देश भी विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो चुके हैं।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति से आश्य उस देश में रहने वाले नागरिकों की खुशहाली एवं सम्पन्नता से होता है। आर्थिक प्रगति तभी हो सकती है जब हर नागरिक अपनी सक्रिय भूमिका निभाए तथा सदैव राष्ट्र हित में कार्य करे।

आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास में अंतर :

किसी भी देश में आर्थिक विकास का अनुमान वहां की सकल घरेलू विकास दर अर्थात् जीडीपी के आधार पर लगाया जाता है। जीडीपी दर जितनी अधिक होती है उस देश का विकास उतनी ही तेजी से होता है। जबकि आर्थिक प्रगति में देश के नागरिकों की सम्पन्नता को देखा जाता है।

आर्थिक प्रगति की आवश्यकता :

यह सार्वभौमिक सत्य है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रगति करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद उसे सफलता मिलती है तो उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है। तत्पश्चात, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सहभागिता करने वाले व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह उसमें सफल हो सके और उसे अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके अथवा कोई व्यक्ति इसलिए अच्छी मेहनत करता है और अपने कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत हो सके। इसलिए ही, लोग आर्थिक प्रगति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही, न केवल व्यक्ति अपितु देश भी अपनी-अपनी आर्थिक प्रगति करने में लगे रहते हैं क्योंकि इस दुनिया में आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना किसी भी देश के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी व्यक्ति के लिए।

आर्थिक प्रगति से कानून व्यवस्था का संबंध :

समाज के लिए कानून व्यवस्था उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि व्यक्ति को अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए आपसी सौहार्द की। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के समाज को बिना कानून व्यवस्था के नहीं संभाला जा सकता है। यह शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान हो चुकी है जिसके बिना शरीर एक मिनट भी सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। किसी भी देश या समाज पर वहां की कानून व्यवस्था की सक्रिय स्थिति का बहुत ही सीधा असर पड़ता है। देश के भीतर लड़ाई झगड़े, दंगे, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, अपहारण, हत्या, जैसी घटनाओं के होते रहने से नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है जिससे न तो देश के नागरिक ही कोई कारोबार इत्यादि कोई कार्य करना पसंद करते हैं और न ही कोई विदेशी सेवा/उत्पाद कंपनी यहां निवेश करने के लिए आती है। इससे विदेशों से हमारे देश में विनिवेश करने के लिए कोई आकर्षित नहीं हो पाता है। इसके साथ ही, अन्य देशों में हमारे देश की छवि भी धूमिल होती है। यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक देश को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्वप्रथम वहां की कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुधारना चाहिए ताकि वहां पर अधिक से अधिक विनिवेश हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो विदेशी नागरिक भारत में आकर कारोबार करने से परहेज करेंगे जिसका सीधा असर देश की आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा। कानून व्यवस्था अच्छी न होने के कारण पर्यटन उद्योग पर सीधे-सीधे प्रतिकूल असर होता है। अत: देश में आर्थिक प्रगति पर प्रभावी कानून व्यवस्था का सीधा असर पड़ता है।

आर्थिक प्रगति में कानून व्यवस्था का योगदान :

देश की आर्थिक प्रगति में वहां की कानून व्यवस्था का बहुत अधिक योगदान रहता है। भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए देश के विभिन्न प्रान्तों में आपसी भाईचारा बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग-अलग भाषाएं, बोलियाँ हैं और ऐसे में उन्हें एक रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। देश के सभी राज्यों/क्षेत्रों में शांति स्थापित

करके ही आर्थिक प्रगति की राह पर देश को अग्रसर किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक विकास के बारे में कहा है कि – विकास केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है बल्कि उसके जीवन की सामाजिक स्थितियों में सुधार से भी संबंधित है। इसलिए, विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है वरन् इसमें वृद्धि के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल हैं। इसी तरह, आर्थिक प्रगति का संबंध केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होने तक ही सीमित है। आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनना अपने आप में प्रत्येक देश की प्राथमिकता में शामिल है। यही कारण है कि प्रत्येक देश आज अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए निंरतर प्रयासरत रहता है और तत्संबंधी उपाय भी करता रहता है।

आर्थिक प्रगति के अन्य आयामों से भेद और संबंध इस प्रकार हैं :

- **आर्थिक विकास –** आर्थिक विकास पूरी तरह से चहुंमुखी वृद्धि का द्योतक होता है। आर्थिक विकास में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों घटक शामिल होते हैं। आर्थिक विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि विकास सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही, आर्थिक प्रगति किए बिना कोई देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। यह इनका बहुत ही निकट को परस्पर संबंध है।

- **आर्थिक संवृद्धि –** आर्थिक संवृद्धि से तात्पर्य उस वृद्धि से है जिसमें देश में सभी लोगों को रोजगार आदि सहज उपलब्ध हो सकें और वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। यह केवल पैसे से संबंधति समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए यह संख्यात्मक होता है। इसमें अन्य पहलुओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आर्थिक संवृद्धि भी बिना आर्थिक प्रगति के संभव नहीं है क्योंकि अर्थ के बिना धर्म संभव ही नहीं है।

- **आर्थिक उन्नति –** किसी भी राष्ट्र का आर्थिक रूप से उन्नति करना और अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि की सहज

उपलब्धता होना ही आर्थिक उन्नति कहलाता है। आर्थिक प्रगति और आर्थिक उन्नति दोनों का अर्थ लगभग समान ही है।

- **सामाजिक प्रगति –** दुनिया के देशों में अपने देश की सामाजिक स्थिति अच्छी तब मानी जाती है जब वहां के सामाजिक विचारों का खूब प्रचार-प्रसार हो और भारत के विचारों को देश और दुनिया हर जगह अपनाया जाता है। आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति भी होती है। सामाजिक प्रगति का आर्थिक प्रगति से सीधा संबंध है।

- **राजनीतिक प्रगति –** आज हमारे देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री न केवल भारत अपितु पूरे विश्व के नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वे आज पूरी दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं। अभी हाल ही में, भारत को एक वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्त सौंपा गया है जोकि भारत की बढ़ती राजनीतिक प्रगति का ही परिणाम है। आर्थिक प्रगति के रास्ते भी इससे खुलते चले जाते हैं और देश आगे बढ़ता है।

- **शैक्षिक प्रगति –** जब देश में साक्षरता दर बढ़ने लगती है तो माना जाता है कि देश प्रगति कर रहा है। आज हमारे देश के छात्र देश विदेश सभी जगह बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार, हमारा देश शैक्षिक रूप से भी प्रगति करता दिख रहा है। शैक्षिक प्रगति से देश को नई विधा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि मिलते हैं जो देश की आर्थिक और अन्य प्रकार की प्रगति में सहयोग प्रदान करते हैं।

- **सांस्कृतिक प्रगति –** सांस्कृतिक रूप से हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और हमारे ऋषियों एवं मुनियों के ज्ञान को ही पूरी दुनिया ने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है जो कि आज नये कलेवर में प्रदर्शित हो रहा है। सांस्कृतिक रूप से गीत संगीत, कला, नृत्य, योग, इत्यादि की हर जगह प्रशंसा होती है। सांस्कृतिक प्रगति से आर्थिक

प्रगति भी होती जाती है और इनमें आपस में सीधा संबंध होता है। जिस देश की सांस्कृतिक विरासत जितनी प्रबल होती है वहाँ आर्थिक प्रगति भी उतनी प्रबल होने लगती है।

अध्याय 3

आर्थिक प्रगति के नियामक

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित होते हैं। साथ ही, आर्थिक प्रगति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। देश की प्रगति में हमेशा ही ये कानून मानक के रूप में कार्य करते हैं। आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए विभिन्न निर्धारित नियमों व कानूनों का सबको पालन करना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रमुख नियामक इस प्रकार हैं :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) : भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है या यूं कहें यह नियामक बैंक है। इसकी स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। आरंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक को कोलकाता में स्थापित किया गया था किन्तु बाद में वर्ष 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है और इसके कार्यालय प्रमुख गवर्नर होते हैं जो कि वर्तमान में श्री शशिकांत दास हैं। हालांकि, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व के तहत था। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और इसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है –"भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष रूप से संस्थागत ऋण का बहुत अधिक महत्व है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में, छानबीन करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा हेतु एक समिति (क्रैफीकार्ड) का गठन किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग, जो आजकल नीति आयोग कहलाता है, के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति 30 मार्च 1979 को गठित की गई थी। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के आधार पर संसद ने 1981 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के गठन की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, नाबार्ड का गठन दिनांक 12 जुलाई 1982 को हुआ। नाबार्ड का एक ही उद्देश्य है कि –"सहभागिता, संधारणीयता एवं समानता पर आधारित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन" ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक।"

3. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा, 1973) के अंतर्गत विनियम नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 'प्रवर्तन इकाई' गठित की गई थी। इस इकाई का नाम 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। वर्ष 1977 में निदेशालय को मंत्रीमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत रख दिया गया। यह निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए) के प्रावधानों को प्रवर्तित करता है। इन दोनों कानूनों के उल्लंघन संबंधी जांच पड़ताल करना, गैर कानूनी तरीके से अर्जित सम्पत्ति की जाँच पड़ताल तथा दोषियों को सजा दिलवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि नागरिकों में कानून का राज स्थापित हो सके।

4. आयकर विभाग : वास्तव में, वर्ष 1922 में आयकर अधिनियम के तहत ही भारत में आयकर की शुरूआत हो गई थी। इसके बाद, समय-समय पर अलग-अलग परिवर्तन होते चले गए। वर्ष 1939 में अपीलीय कार्यों का निरीक्षण अलग से करना, 1940 में, निरीक्षण निदेशालय को अलग से स्थापित किया गया। 1943 में विशेष जाँच शाखाओं की स्थापना की गई। वर्ष 1947 में व्यापार लाभ कर अधिनियम बनाया गया। 1952 से लेकर अभी तक निरंतर परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। हमारे देश में आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने भी आयकर का प्रावधान किया था और उन्होंने कहा था कि जनता को जितनी अधिक सुविधाएं मिलेंगी वह उतनी ही अपने राजा से खुश रहती है। इसके साथ ही, रघुवंशम् में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप से कहा था कि "जिस प्रकार से सूर्य जमीन से नमीं को सोंख कर, इसे कई हजार गुणा करके वापस कर देता है। ठीक उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से करों की वसूली करके, इसे अपनी प्रजा की भलाई पर ही व्यय कर देता है।"

5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की स्थापना मल्होत्रा समिति की वर्ष 1999 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। आईआरडीए को अप्रैल, 2000 में सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ग्राहकों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए कम प्रीमियम राशि पर अच्छी बीमा सेवाएं प्रदान करवाना और बीमा कम्पनियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखना, बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, आदि ताकि बीमा कम्पनियाँ चाहे वे सरकारी हों या निजी, दोनों तरह की कंपनियों में विभिन्न नियमों एवं कानूनों को लागू करवाया जा सके। आईआरडीए ने अगस्त 2000 में बाजार में पंजीकरण करना अनिवार्य किया और विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में आने की अनुमति प्रदान की। आईआरडीए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए के अंतर्गत विनियम बनाने

की शक्ति रखता है और आईआरडीए ने वर्ष 2000 से बीमाधारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा कारोबार संबंधी कंपनियों के पंजीकरण हेतु विभिन्न विनियमन बनाए हैं।

6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए): भारत सरकार ने वर्ष 1999 में वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा(ओल्ड ऐज सोशल एंड इंकम सिक्योरिटी) नामक राष्ट्रीय परियोजना को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। ओएएसआईएस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के आधार पर ही भारत सरकार ने वर्तमान परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (डीपीएस) के स्थान पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली(एनपीएस) की शुरूआत की जिसमें तीनों सेना के कार्मिकों को छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्मिकों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा पारित अध्यादेश द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2003 को अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई। इसके साथ ही, दिनांक 22 दिसम्बर 2003 को अंशदान पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। इसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात, दिनांक 1 मई 2009 से इस नई पेंशन प्रणाली का विस्तार स्वैच्छिक आधार पर पूरे देश के सभी लोगों के लिए कर दिया गया है जिसमें स्व रोजगार पेशवर और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है –"वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और नियमित करना, पेंशन निधि योजनाओं एवं उससे जुडे विषयों अथवा उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों में अभिदाता के हितों की रक्षा करना"

7. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इग्जिम बैंक) : भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। वर्ष 1982 में बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया और दुनिया

की अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों की भांति एग्जिम बैंक ने शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त सुविधाएं प्रदान करना आरंभ किया। यह बैंक विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से उद्योगों और लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें आयात-निर्यात संबंधी तकनीकी, उत्पादों के विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, प्री शिपमेंट पोस्ट और विदेशों में निवेश के लिए सहायता आदि सेवाएं शामिल हैं।

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर की गई। वर्ष 1992 में पारित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे इसके द्वारा प्रदान किए गए कानून के हित विनियमित करना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना ताकि निवेशकों का विश्वास बनाए रखा जा सके।

9. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) : राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गर्वनर डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय आवास समिति 1988 ने आवास वित्त हेतु शीर्ष स्तरीय संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना की गई जो कि 1 जुलाई 1988 से अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है। राष्ट्रीय आवास बैंक के संपूर्ण कार्यों एवं कारोबार का परिचालन, निर्देश और प्रबंधन, निदेशक मंडल के अधीन है। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आवास बैंक का उद्देश्य

है – जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न और मध्यम वर्ग आय आवास पर ध्यान देने सहित बाजार संभावनाओं को तलाशना और उनका संवर्धन"।

10. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय : भारतीय कंपनी अधिनियम एवं अन्य कानूनों के तहत शामिल कार्पोरेटों को विनियमित करने का कार्य कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। यह कार्पोरेटों के मध्य वृद्धि करने हेतु प्रतिस्पर्धा वाला वातावरण तैयार करता है। मंत्रालय सभी कंपनियों पर सख्त नियंत्रण रखता है और समय-समय पर विभिन्न सूचनाएं और रिपोर्ट मांगता है।

11. भारतीय म्यूच्वल फंड संघ (एएमएफआई) : इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। म्यूच्वल फंड उद्योग का विकास करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। म्यूच्वल फंड को सहज एवं निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करवाने के लिए यह कार्य करता रहता है। यह लाभार्थियों में इसके लाभ एवं जोखिमों आदि की भी जानकारी प्रदान करता रहता है।

12. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) : यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का एक राजस्व विभाग है जो कि प्रत्यक्ष करों संबंधी नीति एवं योजना का कार्यान्वयन करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष करों की वसूली एवं संग्रहण करने का कार्य किया जाता है।

13. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं राजस्व निदेशालय : यह निदेशालय वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है। यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि की वसूली संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय क्षेत्रीय आसूचना संपर्क कार्यालय, इंटरपोल एवं विदेशी सीमा शुल्क प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाकर रखता है।

14. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो : यह ब्यूरो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1985 में गठित किया गया था। यह ब्यूरो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय, आसूचना बांटने एवं जांच पड़ताल करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

15. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं एवं औषधियों की तस्करी को रोकने का काम किया जाता है। विभिन्न राज्यों, जिलों, देशों में होने वाली प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी रोकने हेतु उचित कार्रवाई की जाती है।

इसके साथ ही, आर्थिक प्रगति से संबंधित कुछ नियम एवं कानून इस प्रकार हैं –

1. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) : यह अधिनियम 1 जून 2000 से प्रभावी बनाया गया है। इससे पहले विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 को परिवर्तित कर दिया गया था। भारत सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत इस कानून को बनाया और विदेशी विनिमय संबंधी सभी प्रकार के कार्यों इत्यादि देखने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जाता है।

2. सरफेसी : सरफेसी अधिनियम, 2002 एक ऐसा अधिनियम है जो कि भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना ऋण बकायेदारों की सम्पत्ति/सम्पत्ति को बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है। सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण हेतु सेंट्रल रजिस्ट्री भी गठित की गई है। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं 3(4) के तहत ऋण बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक नोटिस समाचार पत्रों इत्यादि में प्रकाशित करवाएं जाते हैं और बकायेदारों से अनुरोध किया जाता है कि बैंक की संपूर्ण बकाया राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।

3. रेरा : रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद द्वारा पारित रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। इसे आरंभ में 1 मई 2016 से लागू किया गया था किन्तु इसकी कुछ धाराओं सहित पूरे अधिनियम को 1 मई 2017 से पूर्णत: लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि रियल एस्टेट के खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, उनके साथ होने वाली धोखाधड़ियों, परेशानियों इत्यादि से भी उनको बचाना है। निवेशकों को भी यह अधिनियम सुरक्षा प्रदान करता है। यह घर का सपना देखने एवं घर खरीदने वाले देशवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके आने के बाद रियल एस्टेट में होने वाली धोखाधड़ियों से काफी मात्रा में निजात मिली है और देश को आर्थिक लाभ हुआ है। इसके नियम एवं कानून केंद्र एवं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों इत्यादि पर पूरी तरह से लागू होते हैं।

4. जीएसटी : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत इस वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून को बनाया गया है। इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है। इससे पहले केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर अलग-अलग कर लगाए जाते थे जिसका स्थान आज जीएसटी ने लिया है। वैट, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, विज्ञापन पर टैक्स, राज्य के टैक्स व सेस आदि सभी को जीएसटी में पूरी तरह से सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें आबकारी एवं पैट्रोलियम शामिल नहीं है। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के कारण सभी राज्यों इत्यादि में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें एक समान हो गई हैं अन्यथा यह पहले अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती थी। आज हमारे देश में जीएसटी 5 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक है। हमारे देश से पहले अन्य कई देशों यथा कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में काफी पहले से ही जीएसटी लागू है।

5. आयकर : हमारे देश में आचार्य चाणक्य अर्थात् कौटिल्य का नाम कौन नहीं जानता है। उनके द्वारा अर्थशास्त्र के बताए हुए सिद्धांत और उनकी नीति आज भी काफी प्रासंगिक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा जितना कम विलासी और कम ऐशोआराम की जिंदगी बीताता है, उस देश की जनता उतनी की खुश रहती है। उस समय में भी अमीरों से कर वसूल किया जाता था और गरीब जनता के कल्याण हेतु उसका उपयोग किया जाता था। आज भी आयकर इसलिए ही लिया जाता है ताकि कुछ प्रतिशत राशि से गरीब जनता को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में सहायता प्रदान की जा सके।

5. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत ही भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की 1 अक्तूबर, 2016 को स्थापना की गई थी। इसके तहत दिवालिया हो चुकी कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों इत्यादि की आस्तियों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे उन्हें इस संबंध में कम से कम नुकसान उठाना पड़े। इसके तहत अनेक प्रावधान बनाए गए हैं जो कि इससे संबंधित मामलों को सुलझाने में मददगार साबित होते हैं।

6. बीएसई : बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में राजस्थानी कपड़ा व्यापारी प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई थी जो कि एक जैन व्यापारी थे। यह भारत का सबसे पुराना एवं दुनिया का दसवां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो विभिन्न शेयरों इत्यादि से संबंधित गतिविधियों का संचालन, प्रतिरक्षण इत्यादि करता है।

7. एनएसई : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अप्रैल 1993 में इसे मान्यता प्रदान की गई। इसे वर्ष 1994 से परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। विभिन्न प्रकार के शेयर बाजारों इत्यादि से संबंधित कार्यों को करने के लिए इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

8. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) – इसके तहत विभिन्न प्रकार के अवैध तरीकों से प्राप्त धन की जाँच पड़ताल की जाती है और कानून के अनुसार दोषी पाए गऐ लोगों या नागरिकों को सजा एवं जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ते हैं। यह कानून 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ।

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 : इस अधिनियम के तहत हमारे देश में विभिन्न बैंकिंग कामकाज करने वाली कंपनियों को परिचालन इत्यादि की अनुमति प्रदान की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए ऐसी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है और इन कंपनियों को नियम न मानने के कारण आर्थिक दंड या प्रशासिनक दंड भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जाता है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 : इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाता है। हमारे देश में लम्बे समय से इस अधिनियम के होना अपेक्षित था क्योंकि आईटी संबंधी धोखाधड़ियों आदि की रोकथाम के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसी प्रकार, साइबर संबंधी अपराध करने वाले लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें आर्थिक दंड और सजा दोनों हो सकते हैं।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया जिसे 12 अक्तूबर 2005 से पूरे भारत में लागू किया गया। इसका उददेश्य है कि कोई भी नागरिक अपनी या सार्वजनिक प्रकृति की सूचना भारत सरकार या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम/उद्यम/ बैंक/बीमा कंपनी इत्यादि के किसी भी कार्यालय से एक निर्धारित राशि का भुगतान करके अधिकतम 30 दिन के अंदर प्राप्त कर सकता है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग से विनियामकों को होने वाली सुविधा

प्रौद्योगिकी से विभिन्न विनियामकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कि इस प्रकार हैं -

1. विभिन्न आंकड़ों को समेकित करना एवं उन्हें ऑनलाइन मांगना – तकनीक का उपयोग हर जगह काम आता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को ऑनलाइन मंगवाना, उनका समेकन करना, उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित इत्यादि करना, ये सब कार्य तकनीकी से सहज एवं सरल हो जाते हैं। तकनीकी का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो कोई भी देश या राष्ट्र प्रगति पथ पर शीघ्र और तेज गति से अग्रसर हो सकता है। हालांकि, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि – रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था।

2. समन्वय स्थापित करना : आर्थिक प्रगति करने के लिए देश में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों, निकायों इत्यादि के बीच आपसी तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। रेलवे मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पैट्रोलियम मंत्रालय, शहरी एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, दूर संचार विभाग, महानगर पालिका, नगर पालिका परिषद आदि विभागों में आपसी समन्वय रखने से समय, श्रम एवं धन तीनों की बचत होती है जो कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होती है।

अध्याय 4

भारत की आर्थिक प्रगति : एक आकलन

भारत दुनिया में सर्वाधिक विद्वता वाला देश रहा है। हमारे ऋषियों एवं मुनियों ने जीवन जीने की ऐसी-ऐसी कला विकसित की है जिस पर आज विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, संस्थानों इत्यादि में शोध हो रहा है और जो बातें उन विद्वानों ने उस समय कही थी वे आज भी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हो रही हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न देशों से आए आक्रमणकारियों ने लुटेरों के रूप में आक्रमण कर इसे लूटा है और यहां की धन संपदा को लूट कर अपने यहां ले गए। सिकंदर से लेकर बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, कुतुबुददीन ऐबक, तैमूर आदि ने यहाँ लूटपाट की और उसके बाद, यहाँ पर हुकूमत करने लगे। इसके बाद, अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापार करने के बहाने घुसपैठ की गई और धीरे-धीरे उन्होंने भी यहाँ के खजाने को लूटा और उसे पानी के जहाजों के माध्यम से ब्रिटेन भेजते रहे। उन्होंने भी यहाँ लगभग 200 वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों ने तो भारत को गुलामी की दास्तां के साथ-साथ मानसिक रूप से भी अंग्रेजी का गुलाम बनाया और आज भी हमारे देश भारत के अधिकांश युवा अंग्रेजी भाषा को ही बोलना अधिक पसंद करते हैं। इस बोलने में वे अपनी शान समझते हैं जबकि यदि वे अपनी मातृभाषा या हिंदी में बात करेंगे तो इससे उनका ही नहीं अपतिु देश का भी मान बढ़ेगा। किन्तु वे ऐसा नहीं सोचते हैं।

हालांकि, इसके पीछे एक कारण है, अंग्रेज लार्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई रणनीति। ब्रिटेन की ओर से जब लार्ड मैकाले को भारत में यहाँ के लोगों को समझने एवं उनसे किस प्रकार निपटा जाए, इस कार्य के लिए भेजा गया था तो उन्होंने कहा था कि भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश है, यहाँ न केवल धनसंपदा है, अपितु यह संस्कृति के मामले में भी बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ

के लोग सत्य, अहिंसा, धर्म इत्यादि को मनाने वाले हैं और ऐसे लोगों को बहुत आसानी से झुकाया नहीं जा सकता है। इन लोगों को जीतने के लिए इनकी भाषा एवं संस्कृति को कमजोर करना होगा और हमें अपने आप को उनसे उत्कृष्ट दिखाना होगा ताकि उन्हें अपने आप में हीन भावना का एहसास होने लगे। लार्ड मैकाले ने यही किया और उसकी नीति का ही परिणाम है कि हमारा देश अंग्रेजों का तो नहीं किन्तु अंग्रेजी का आज भी गुलाम है। हमारे देश के लोग आज भी अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। जबकि दुनिया के ज्यादातर विकसित देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा पर पूर्ण गर्व करते हैं और शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान इत्यादि का अध्ययन अपनी ही भाषा में करते है। इन देशों में जापान, जर्मनी, चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया इत्यादि शामिल हैं। हमें भी अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और आज तो पूरी दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत ही देश एवं विदेश की लगभग सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत एक पूर्ण वैज्ञानिक भाषा भी है जो कि कम्प्यूटर के उपयोग में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुई है। इसलिए हमें यह तो सबसे पहले मान लेना चाहिए कि अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपनी भाषा से बढ़कर कोई नहीं होता है।

इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए क्योंकि जिस देश ने अपनी भाषा का सम्मान नहीं किया है, वह देश अपनी संस्कृति से कट जाता है और जिस देश की अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है वह कितनी ही प्रगति, उन्नति एवं विकास क्यों न कर ले, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है और वह एक दिन नष्ट हो जाता है जैसे कोई पेड़ यदि अपनी जड़ों से कट जाता है तो वह जल्द ही नष्ट हो जाता है।

प्राचीन काल में भारत की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रही है। भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया करता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य साम्राज्य तक भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था किन्तु धीरे-धीरे हमारे देश को मुगलों, अंग्रेजों इत्यादि ने पूरी तरह से गुलाम बनाकर रख दिया। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष

हो गए हैं और हम इस वर्ष भारत की आजादी का अमृतमहोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव तभी सही रूप में माना जाएगा जब हम देश को आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि सभी स्तरों पर उत्तरोत्र आगे बढ़ाएंगे। किन्तु आज भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि बहुत-सी समस्याएं हैं। हालांकि, इसके अनेक कारण हैं, किन्तु एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ की धन सम्पदा को विदेशी लूटेरों द्वारा लूटा जाना भी रहा है। हमारे देश में सोना-चांदी इतनी अधिक मात्रा में था कि यदि आज वह यहाँ होता तो हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं होती। भारत जब आजाद हुआ था तब भारत में गरीबी बहुत अधिक थी।

उसके मुकाबले तो आज गरीबी के स्तर में काफी कमी हुई है, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। हमारे देश में बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता था। हालांकि, भारत कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खाद्यान्न उत्पादन, कपड़ा निर्माण इत्यादि करते थे किन्तु बहुत सी चीजों को विभिन्न देशों से आयात करना पड़ता था। हालांकि आज भारत की आजादी के 75 वर्ष बाद हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि आज लगभग हर क्षेत्र में हम न केवल उत्पादन कर रहे हैं अपितु लगभग सभी चीजों का निर्यात भी करने में सक्षम हुए हैं। तथापि, भारत को अभी भी विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से रक्षा उत्पादन एवं चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। भारत एक भौतिक संपदा से संपन्न देश रहा है। हालांकि विदेशी आक्रमणकारियों यथा मुगलों, अंग्रेजों इत्यादि ने भारत की भौतिक संपदा लूटी है। इन लोगों द्वारा भारत से लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का दोहन कर अपने देश में पहुंचाया गया है। यह भी सत्य है कि आज भारत विश्व की प्रथम पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत आगामी 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थवयवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार द्वारा पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया हुआ है।

यह भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत प्राचीनकाल से ही समृद्ध रहा है। प्राचीन राजा महाराजा बहुत अधिक समृद्धशाली हुआ करते थे और भारत में इतनी भौतिक संपदा जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, एलुमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि हुआ करती थी कि उसकी गणना करना भी काफी मुश्किल था। भारत एक देश ही नहीं अपितु एक संस्कृति, सभ्यता है, विचार है, धरोहर है। भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचारों का जन्म हुआ है जो आज भी दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य, राजा भर्ततृहरि, आचार्य वात्स्यायन, महात्मा गौतम बुद्ध, आचार्य पाणिनि, आचार्य पतंजलि, आचार्य सांदीपनि, आर्य भटट, विदुर इत्यादि के विचार आज भी देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपयुक्त हैं। भारत को कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों में नहीं समेटा जा सकता । भारत गांवों में बसता है। यह गाँवों का देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, और हर राज्य अपनी एक अलग संस्कृति का द्योतक है। भारत की आर्थिक स्थिति भी इनसे ही प्रकट होती है। हमें अपने अलग-अलग गांवों, शहरों इत्यादि के कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार के साथ-साथ आय भी प्राप्त होती रहे और इन चीजों के उत्पादन से देश भी आगे बढ़ सके।

गांवों, शहरों इत्यादि में निर्मित इन छोटी-छोटी चीजों के निर्माण एवं उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में प्रचार- प्रसार भी किया जाना चाहिए ताकि भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' का लक्ष्य भी पूरा हो सके। हमारे देश को ऋषि मुनियों का देश भी कहा जाता है। हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा बताए गए ज्ञान, विज्ञान एवं विचारों की आज भी पूरी दुनिया में अत्यधिक प्रशंसा होती है। हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने आज की लगभग सभी विधाओं में अपना ज्ञान प्रदान किया था। आचार्य सुश्रुत प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। इसी प्रकार, आचार्य आर्यभट्ट इत्यादि ने गणित के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों को बताया था। आचार्य पाणिनि, आचार्य पतंजलि, आचार्य सांदीपनि इत्यादि ने अपने- अपने क्षेत्रों में देश ही नहीं पूरी दुनिया को जो ज्ञान दिया है जो कि

अद्वितीय है। देश में हमारे प्राचीन ग्रंथों यथा रामायण, महाभारत, श्रीमद भगवत गीता, उपनिषदों एवं पुराणों के माध्यम से लोगों को वास्तव में जीवन को कैसे जीया जाए, इसकी संपूर्ण कला सिखाई गई है। लोग आज भी इन्हें पढ़कर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाते हैं। आज मनुष्य शारीरिक बीमारियों के अलावा मानसिक रूप से भी बहुत अधिक बीमारियों से जूझ रहा है। ये ग्रंथ इन सभी मानसिक पीड़ाओं को दूर करने में सक्षम हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आचार्य चाणक्य, आचार्य भर्तृहरि, विदुर आदि विद्धानों के विचारों को हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सराहा जाता है। देश और दुनिया में आज भी इन विद्वानों का इतना अत्यधिक सम्मान किया जाता है कि जिसे शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आधुनिक भारत में कबीर दास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अब्दुल रहीम खानखाना, रत्नाकर जगन्नाथ, मलिक मुहम्मद जायसी, कवि बिहारी, राम रामधारी सिंह

'दिनकर', भारतेंदु हरिश्चन्द्र, जय शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण, रामचन्द्र शुक्ल, महात्मा गांधी, पं.मदन मोहन मालवीय, ए.पी.जे अब्दुल कलाम इत्यादि विद्वानों के विचारों को आज भी काफी सम्मान दिया जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण में इन विद्धानों का बहुत ही योगदान रहा है। भारत की आर्थिक प्रगति को हमारे पूर्वजों के विचारों एवं भारतीय मानवीय मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता है।

भारत ने हमेशा ही अपनी प्रगति या विकास करने के लिए नैतिकता के पैमाने को ऊंचा रखा है और वास्तव में यही हमारे देश की संस्कृति है। लाभ कमाना अलग चीज है किन्तु वह लाभ अनीति के आधार पर नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में भारत ने विदेशों को क्लोरोक्वीन नामक दवाई प्रदान की। जबकि भारत अन्य लालची देशों की तरह इसमें काफी लाभ कमा सकता था किन्तु भारत की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। यही बात भारत को पूरी दुनिया में अन्य देशों से अलग करती है। हमारा देश बहुत अधिक स्वर्ण या चांदी बहुलता

वाला देश हुआ करता था। हमारे देश में इन संपदाओं के अतिरिक्त शिक्षा संबंधी विभिन्न पुस्तकों, संदर्भ साहित्य की पुस्तकों को भी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। उदाहरण के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आदि में रखे ज्ञान-विज्ञान के साहित्य को जलाकर राख कर दिया गया। कहा जाता है कि वहाँ पर इतनी अधिक पुस्तकें इत्यादि रखी हुई थी कि इसकी आग कई महीनों तक नहीं बुझी थी।

हमारा देश प्राचीन समय में विश्व गुरु रहा है। हमारे पूर्वजों ने अर्थशास्त्र इत्यादि के संबंध में जो सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किए थे। वे आज भी उसी तरह से क्रियान्वित हैं, लागू हैं और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के हैं।

भारत की आर्थिक प्रगति – ऐतिहासिक क्रम

1. सिंधु घाटी सभ्यता : भारत की मानवीय सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात एवं स्थायी नगरीय आबादी का एक उदाहरण है। इसका विकास 3500 ई.पू. से लेकर 1800 ई.पू. तक हुआ था जो कि उस समय में काफी समृद्धशाली रही थी। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि संबंधी कार्य ही किया करते थे, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, बैल इत्यादि पालतू जानवर पालते थे। वे लोहे, तांबे, कांसे, टिन आदि के उपकरण एवं शस्त्र बनाया करते थे ताकि रोजमर्रा के कामकाज उनके द्वारा किए जा सके और साथ ही, अपनी रक्षा के लिए इन धातुओं से शस्त्र भी बनाये जाते थे। इस सभ्यता का अन्य नगरों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। व्यापार करने के सिद्धांत बहुत ही व्यावहारिक हुआ करते थे। किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूरी तरह से दबाया नहीं जाता था अपितु सहिष्णुता के सिद्धांत पर व्यापार किया जाता था। लाभ तो कमाया जाता था किन्तु यह केवल आटे में नमक के समान ही होता था। सिंधु घाटी के अन्य बड़े नगर जैसे हडप्पा, लोथल, मोहनजोड़दो और राखीगढ़ी की सड़कें, जल-निकासी प्रणाली, जलापूर्ति के साक्ष्य उसकी नगरीय शैली को प्रदर्शित करते हैं।

उस समय भी अधिकांश लोग गांवों में ही रहते थे। गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही हुआ करता था। तत्कालीन समय में हिंदू धर्म व जैन धर्म काफी प्रभावशाली थे। विभिन्न नदियों के तट पर बसे शहर इलाहाबाद, बनारस, नासिक एवं पुरी व्यापार व वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित होते चले गए। बहुत से व्यापार जल मार्ग से किए जाते थे और सामान पहुंचाने या मंगवाने का कार्य नौकाओं इत्यादि से किया जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर श्री महावीर स्वामी के दर्शन एवं सिद्धांत ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है।

इस बात के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व व्यापार में अग्रणी रहा है। हमारे देश में उत्पन्न मसालों को पूरे देश में निर्यात किया जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व हमारे देश में धातुओं के सिक्कों का चलन हो चुका था और हमारे देश में गहन व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती थी। 300 ईसा पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, सम्राट अशोक आदि अर्थात् मौर्य काल तक भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बन चुका था। बहुत बड़े भूभाग पर हमारे देश के राजा विशेष रुप से चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक का राज हुआ करता था। उस समय नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि तक हमारे देश की सीमाएं हुआ करती थी। हमारा देश बहुत ही अधिक धनी माना जाता था। इसके साथ ही, उस समय कृषि, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि में भारत का स्थान विश्व में अग्रणी था।

इसके साथ ही, विश्व में प्रसिद्ध गुरु आचार्य चाणक्य अर्थात् कौटिल्य भी उस समयावधि में ही देश के शासन को चालने में मौर्य वंश को पूरा सहयोग कर रहे थे। उस समय देश-विदेश के छात्र हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यह चाणक्य ही थे जिन्होंने बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारत विश्व का सबसे धनी देश था। बाद में लगभग मध्य युग तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हुआ करता था। 17वीं शताब्दी तक हमारे देश के मराठा साम्राज्य में विश्व

की कुल सम्पत्ति का एक तिहाई भाग से अधिक हुआ करता था। विश्व के **प्रसिद्ध इतिहासकार अंगस मैडिसन की पुस्तक 'दि वर्ल्ड इकॉनामी – 'ए मिलेनियम पर्सपक्टिव'** के अनुसार, भारत विश्व का सबसे धनी देश था और यह लगभग 17वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।"

2. सन 1000 ई. तक की आर्थिक स्थिति : हमारे देश में लगभग 7वीं शताब्दी के बाद विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों इत्यादि ने आक्रमण कर यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, इत्यादि महत्वपूर्ण चीजें लूटी और अपने देश ले गए। सन 1026 ई. में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ रखे सोने-चांदी आदि की प्रतिमाओं इत्यादि को लूटा और अपने साथ अपने देश ले गया।

इसी प्रकार, मुहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया किन्तु हर बार भारत द्वारा उसे छोड़ दिया जाता था किन्तु किसी ने बहुत ही सही कहा है कि **'सठे साठ्यम् समाचरेत' अर्थात् दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए।** मुगलों ने हमारे देश में काफी लंबे समय तक राज किया और बाद में वे यहीं बस गए। उस समय तक भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी किन्तु सन 1600 के बाद भारत में अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने प्रवेश किया और धीरे-धीरे यहाँ बस कर गए और फिर देश के विभिन्न प्रांतों या विरासतों के विभिन्न राजाओं के बीच आपसी फूट डालकर स्वयं यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया। इस दौरान हमारे देश में कितने ही वीर सपूतों को भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने प्राणों की आहूति देनी पड़ी। सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपतराय, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, बंकिम चन्द्र चटर्जी इत्यादि लोगों ने देश को आजाद कराने में अपना सबकुछ न्यौछावर कर दिया था।

3. 1947 से अब तक : जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय अमेरिकी डॉलर एवं भारत के रुपये का मूल्य बराबर हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे हमारे देश में रुपए के मूल्य का ह्रास होता गया और आज एक डॉलर की कीमत लगभग 80 रुपए के बराबर है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा देश कितना पीछे जा चुका है। इसे अर्थव्यवस्था में पुन: लौटाने के लिए भारत सरकार को कड़े आर्थिक फैसले लेने ही पड़ेंगे और शायद यही कारण है कि वर्ष 1991 में विश्व में हुए उदारीकरण को भारत ने भी स्वीकार किया और विदेशी कंपनियों इत्यादि को भारत में व्यापार आदि करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली और भारत आर्थिक रुप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि हमारा देश राज्यों का देश है और विभिन्न राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों में अपनी-अपनी सरकारें हैं।

सभी राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि लोकलुभावन वायदों से ऊपर उठकर सोचे और देश की उन्नति एवं प्रगति में स्थायी सहयोग प्रदान करें । राजनीतिक दलों इत्यादि को इस संबंध में अवश्य ही सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश रहेगा तो सबकुछ रहेगा अन्यथा कुछ नहीं है।

4. वर्तमान में आर्थिक प्रगति की स्थिति : हालांकि, पिछले कुछ समय में भारत की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है और वह विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था की दर चीन से भी आगे है और वर्तमान में तेजी से बढ़ रही है। इसका श्रेय वर्तमान भारत सरकार द्वारा संचालित नीतियों को ही जाता है।

क्षेत्रीय विविधता के अंतर्गत आर्थिक प्रगति :

1. सबसे अधिक समृद्ध राज्य : भारत में सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा महाराष्ट्र को ही जाता है। प्राचीन समय में भी मराठा साम्राज्य में विश्व की

लगभग 1 तिहाई धन संपदा हुआ करती थी। आज भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप विख्यात है और देश का सबसे अधिक कर भी यहाँ से प्राप्त होता है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र अन्य राज्यों की तुलना में काफी समृद्धशाली है। हालांकि, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों यथा विदर्भ आदि में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। यद्यपि, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य में लॉटरी आदि का अधिक मात्रा में खेला जाना, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन आदि। इस दिशा में संबंधित सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए और राज्य के लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें इन व्यसनों से दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि पुन: लोगों द्वारा किसी कर्ज में दबने इत्यादि के कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं को करने पर मजबूर न होना पड़े।

2. सबसे शिक्षित राज्य : हमारे देश में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 100 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त कर चुका है। जिस राज्य या देश की साक्षरता दर जितनी अधिक होती है वहाँ पर आर्थिक प्रगति भी उतनी ही तीव्र गति से होती है। इसीलिए देश के अधिकांश अस्पतालों में केरल की नर्सें (सिस्टर) इत्यादि बहुत ही सहज रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसका मुख्य कारण है वहाँ पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार और वहाँ के लोग इतने अधिक शिक्षित हो गए हैं कि वहाँ पर कोई अशिक्षित परिवार देखने तक को नहीं मिलता है।

यह सत्य है कि जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ समृद्धि अपने आप आ जाती है। हमारे देश के संविधान निर्माता डॉ.बीआर अम्बेडकर जी ने सही कहा था कि हम सभी को पहले शिक्षित होना पड़ेगा, बिना शिक्षा के न तो आप संघर्ष कर सकते हैं और न ही अपने लिए कुछ और कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व उनके विचारों से स्पष्ट दिखाई देता है।

3. विभिन्न राज्यों में आपसी समन्वय स्थापित करना : हमारे देश के विभिन्न राज्यों, जिलों इत्यादि में इतनी विविधता है कि यहाँ पर अलग-अलग तरह के कारोबार होते हैं, प्रत्येक राज्य या जिला किसी न किसी चीज के लिए

बहुत अधिक प्रसिद्ध है। हमारे देश के सभी राज्यों या जिलों इत्यादि में आपसी समन्वय होना बहुत आवश्यक है और इस समन्वय के माध्यम से ही देश बहुत जल्दी आर्थिक रूप से प्रगति की राह पर चल सकता है। देश के विभिन्न राज्यों या जिलों के बीच आपसी समन्वय होना चाहिए और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहजता से आवाजाही होगी तभी तो चीजों का भी आदान-प्रदान सहजता से हो सकता है और इस प्रकार देश में व्यापार में वृद्धि होगी जिससे एक दूसरे राज्यों या जिलों इत्यादि में आपसी प्रेम-भाव बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक रूप से समृद्धि भी आएगी।

4. विविधता दर्शाते हुए विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थिति : हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। विश्व प्रसिद्ध इमारतों के साथ साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालय, संसद भवन, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय इत्यादि यहीं पर हैं। इसके साथ ही, नई दिल्ली में विभिन्न देशों के दूतावास, या उच्चायोग हैं जिनकी सुरक्षा इत्यादि की भी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की ही होती है। विभिन्न देशों से अपने देश के संबंधों को स्थायी एवं मुधर संबंध स्थापित करने में देश में स्थित दूतावास या उच्चायोग बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथ ही, हमारे देश के विभिन्न राज्यों को भी अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करते रहना चाहिए और आय के अनुसार ही विभिन्न योजनाओं इत्यादि पर धनराशि को खर्च करना चाहिए। राज्य अपने करदाताओं से लिए गए पैसों को विभिन्न प्रकार की लोकलुभावन योजनाओं में खर्च न कर उसे विकास के स्थायी घटकों पर व्यय करें ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होने से देश को आगे बढ़ने में सहयोग प्राप्त होता है।

अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश राज्य तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शुमार हो चुका है। यहाँ के लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ खासियत अवश्य है जैसे मेरठ की कैंची, स्पोर्ट का सामान, अलीगढ़ के ताले, हाथरस की हींग,

मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, सहारनपुर का लकड़ी का सामान, लखनऊ का चिकन कारीगरी, बनारस का पान, मंदिर, धार्मिक पर्यटन स्थल, प्रयागराज में संगम स्थल, कानपुर में चमड़े का काम, आगरा का पेठा और चमड़े के जूते आदि । केरल के मसाले, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लकड़ी एवं बांस के बने सामान इत्यादि। इसके साथ ही, बिहार राज्य भी समृद्धि करता नजर आ रहा है। यहाँ के प्रत्येक जिले की अपनी कुछ खास बात है जैसे मुजफ्फरपुर - लीची एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान का पता चला है जो कि बिहार में ही पायी गई है। झारखंड राज्य भौगोलिक संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य अपने वन क्षेत्र एवं आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कलात्मक कृति या चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही, यहाँ सोने एवं हीरे इत्यादि की खाने पायी गई हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का पहनावा और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वहाँ सुन्दरता विश्व प्रसिद्ध है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसके साथ ही, यह हिंदी फिल्मों आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोलकाता का रसगुल्ला, केरल और चेन्नई का इडली, सांबर, डोसा आदि आज उत्तर प्रांतों में भी सहज उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा आदि राज्यों में बांस और जूट का सामान विश्व प्रसिद्ध है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बाद भी, हमारा देश एक है। हालांकि, यदि सभी राज्यों में एक ऐसा केंद्र स्थापित कर दिया जाए जोकि आपसी समन्वय को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शिनयों में सहभागिता करने हेतु सहज स्थान उपलब्ध करवाने में सहायता करता हो, तो इससे देश की आर्थिक प्रगति की गाड़ी को नई गति मिलेगी और लोगों को रोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। इस तरह की गतिविधि करने से आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। उडीसा राज्य भी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का जगन्नाथ जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा

को देखने के लिए देश-विदेश से हजारों सैलानी आया करते हैं। यहाँ के समुद्र से जो रत्न निकलते हैं वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।

यदि राजस्थान का जिक्र नहीं किया तो भारत का वर्णन अधूरा ही रहेगा। राजस्थान वह स्थान है जो राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा इत्यादि वीर राजा हुए हैं जिनकी गाथाएं आज भी लोक गीतों के माध्यम से वहाँ के लोग गाया करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चन्द्रबरदायी ने भी अपने राजा का साथ कभी नहीं छोड़ा था। जब मौहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था, तो उसके बाद भी चन्द्रबरदायी ने उनको कभी हिम्मत नहीं हारने दी और अंत में जिस मौहम्मद गौरी ने उन्हें धोखा दिया था, कवि चन्द्रबरदायी के कुछ वचनों यथा 'चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान' के आधार पर, पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाण से मौहम्मद गौरी को मृत्यु शैय्या पर पहुंचा दिया। इसके बाद, चन्द्रबरदायी और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खंजर मारकर मृत्यु को गले लगा लिया था। इसके लिए, वहाँ के राजपूताना किले और तालाब आज भी गौरव गाथा को चीख-चीख कर कहते हैं।

5. सभी राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की स्थिति : देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही, संघ शासित राज्यों के बीच भी आपसी समन्वय होना आवश्यक है। इस तरह से संपूर्ण भारत को एक करते हुए व्यापार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है और देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों को भी नया बाजार मिल सकेगा। भारत सरकार के 'वॉकल फॉर लोकल' के उदघोष को भी बल मिलेगा। हमारे संघ शासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली आदि की भी अपनी कुछ अलग ही विशेषता है। इन सभी जगहों के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उत्पादों को पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व में प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि इन संघ शासित प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और यहाँ के लोगों को रोजगार आदि भी

प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में आतंकवाद जैसी समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है और अब समय आ गया है कि आतंकवाद रूपी दानव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जब तक देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, इत्यादि जैसी चीजें रहेंगी, ये देश की आर्थिक प्रगति में बाधा ही उत्पन्न करेंगी।

हमारे पड़ोसी देशों यथा पाकिस्तान, चीन इत्यादि को समझना चाहिए कि आज का भारत पहले का भारत नहीं है, यह समझाना भी जानता है और नहीं समझ में आए तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि के माध्यम से दुश्मन देश को सीधा करना भी जानता है। पाकिस्तान ही नहीं, आज चीन की भी हिम्मत नहीं है कि वह भारत के सामने आकर कुछ गलत हरकत कर सके। अभी चीन सीमा पर उसने जो कुछ हरकत की, भारत की सेना की तरफ से तत्काल कार्रवाई की गई और चीन की सेना को तुरंत पीछे हटना पड़ा। इसलिए आज भारत आर्थिक ही नहीं सैन्य शक्ति के रूप में भी विकसित हो रहा है और हमारे देश में सैन्य उत्पादन की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि कई देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ से सैन्य उत्पाद इत्यादि आयात कर रहे हैं।

अध्याय 5

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति एवं उसका महत्व

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति :

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। भारत विश्व की प्रथम पाँच प्रमुख महाशक्तियों (अर्थव्यवस्थाओं) में से एक है। भारत ने हमेशा ही अपने विचारों, आदर्शों एवं प्रतिमानों से विश्व समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत को पिछली कई शताब्दियों से विदेशी आक्रमणकारियों या विदेशी आक्रान्ताओं का सामना करना पड़ा था। विदेशी आक्रमणकारी सिकन्दर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहाँगीर और फिर अग्रेजों इत्यादि ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को खूब लूटा। इसके साथ ही, देश की भोली-भाली जनता पर भी अनगिनत अत्याचार किए। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से कारोबार करने के मकसद से आए अंग्रेजों ने भी भारत को लूटा । आज भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई थी। 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान लागू होने के साथ ही, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था।

आज भारत दुनिया में तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्रों में गिना जाता है। भारत आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की तरफ अग्रसर है। हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है किन्तु भारत को आने वाले समय में प्रत्येक क्षेत्र में इतनी कुशलता एवं तकनीकी विकसित करनी होगी जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। कुछ चीजों में आज अवश्य ही भारत आत्मनिर्भर बन चुका है किन्तु बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब धीरे-धीरे भारत हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपनी

बुद्धि एवं ताकत दोनों का लोहा मनवा रहा है। आने वाले कुछ समय में भारत विश्व की तीन प्रमुख महाशक्तियों में शामिल हो सकता है और वर्ष 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भी बन सकता है।

भारत की आर्थिक प्रगति :

भारत में धीरे-धीरे आर्थिक प्रगति होती जा रही है। आज हमारे देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति एवं विकास को सहज रूप में देखा जा सकता है। भारत की आर्थिक प्रगति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश में अच्छी कानून व्यवस्था और नियमों इत्यादि के अनुपालन से देश में प्रगति एवं उन्नति होती है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक प्रगति से धीरे धीरे आर्थिक प्रगति भी होने लगती है। भारत को सभी क्षेत्रों में प्रगति को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे देश में प्रगति हो सके। हमारे यहाँ जगह-जगह पुलों, राजमार्गों इत्यादि के निर्माण से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो चुका है।

देश में सड़कों इत्यादि का निर्माण यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में बहुत ही महती भूमिका निभाएगा। जब दूर दराज के किसी गांव से मजदूर, किसान या अन्य कोई व्यक्ति बाजार में काम करने या अपना सामान बेचने के उद्देश्य से जाता है तो उसे बहुत अधिक समय लगता है लेकिन जब सड़कें अच्छी हो जाती हैं तो उसे शहर जाने और वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इससे उसके धन एवं समय दोनों की बचत होती है जो कि कहीं न कहीं देश की आर्थिक प्रगति में ही सहायक सिद्ध होती है।

आर्थिक प्रगति में भारत के संसाधनों का उपयोग :

भारत की आर्थिक प्रगति में यहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भारत बहुत ही समृद्धशाली देश है। विश्व में सर्वाधिक संसाधन सम्पन्न देशों में से एक भारत है। भारत को प्रकृति की ओर से भरपूर संपदाएं प्रदान की गई हैं। यहाँ पहाड़, नदियाँ, झरने, धूप,

तालाब, घने वन, जंगल, सागर, नहरें, रेगिस्तान, समुद्र, समतल जमीन, पथरीली जमीन, हवा, पानी आदि सबकुछ मौजूद हैं। बहुत से विदेशी सैलानी भारत में केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उनके देश में धूप नहीं निकलती है या यूं कहें कि वे लोग भारत में धूप स्नान करने आते हैं। भारत भौगौलिक एवं जलवायु की दृष्टि से भी हर तरह से सम्पन्न देश है। भारत 37 राज्यों (28)/केंद्र शासित राज्यों (9) में बंटा हुआ है जो कि इसकी विविधता में एकता को दर्शाता है क्योंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित राज्यों की अपनी अलग भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, पहनावा आदि अलग अलग हैं।

फिर भी सभी लोग एक साथ रहते हैं। देश को अधिक से अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए ताकि देश की आर्थिक प्रगति और अधिक तेजी से हो सके। देश में सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वे संसाधन पूरी तरह से समाप्त न होने पाएं जैसे कोयले को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देना चाहिए क्योंकि यदि इस तरह के सभी संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो गए तो हम आनी वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। इसलिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अवश्य किया जाए, किन्तु जितना ज्यादा किफायती तरह से हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है। सभी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाना चाहिए। इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हम देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए भारत को आर्थिक प्रगति करने के लिए सही एवं उचित तरीके से आगे बढ़ना होगा तथा अच्छी एवं प्रभावी कानून व्यवस्था को स्थापित करना होगा।

आर्थिक प्रगति की आवश्यकता एवं उसका महत्व :

संस्कृत में एक बहुत ही मार्मिक श्लोक है जो कि इस प्रकार है –**"विद्यया ददाति विनयम् विनयादयाति पात्रताम्, पात्रत्वाद् धनमोप्नोति धनोद्धर्मस्ततः सुखम्"** अर्थात् विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म एवं धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसी

प्रकार, किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बिना धन के कोई भी देश अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता है।

धन से बहुत-सी जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है और उन्हें अच्छी तरह से लागू करके वहाँ की जनता को सुखी बनाने में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। जिस देश की जनता जितनी ज्यादा सुखी होती है, उस देश में उतनी ज्यादा समृद्धि होती है और वहाँ पर लोगों द्वारा देश के प्रति उतना अधिक अपनापन प्रदर्शित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस देश में जितनी अधिक भौतिक सुख सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध होती हैं, वह देश उतना ही विकसित देश माना जाता है। किसी देश के लिए आर्थिक प्रगति उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि अन्य कोई प्रगति। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तो उसे घर अंधकारमय लगता है। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे यह पूरा जीवन ही अंधकारमय लगने लगता है।

इसलिए, इस भौतिक संसार में धन अर्थात् अर्थ (पैसे) का विशेष महत्व है। हमारा देश एक विकासशील देश है। आबादी ज्यादा होने के कारण सभी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। हमारे देश के लिए आर्थिक प्रगति का महत्व बहुत अधिक है। 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाला यह देश आज भी अपने सभी नागरिकों को घर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार इत्यादि बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाया है। यदि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो देश में मूलभूत सुविधाओं का इजाफा होगा और देश के सभी नागरिकों को ये सुविधाएं सहज रूप में उपलब्ध होंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ का इस भौतिक समाज में कितना अधिक महत्व होता है। देश में सभी प्रकार की कंपनियों, फर्मों, कार्यालयों, संस्थानों इत्यादि सहित सभी प्रकार के कार्यों को करने वालों को अपना संपूर्ण कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। इससे जहाँ एक ओर

भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है वहीं दूसरी ओर देश में काले धन में कमी आती है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होता है।

आर्थिक प्रगति एवं कानून व्यवस्था में आपसी संबंध :

देश की आर्थिक प्रगति एवं कानून व्यवस्था में बहुत ही सीधा-सीधा संबंध है। जिस राष्ट्र या देश में कानून व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की होती है वहां की आर्थिक स्थिति भी उतनी ही अच्छी होती है। आर्थिक प्रगति के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होता है जिससे देश आगे बढ़ता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जाति, धर्म, नस्ल, रूप, रंग, क्षेत्र आदि बीच में नहीं आता है, उनके लिए केवल भारत ही एक मात्र जगह है जिसके वह निवासी हैं। देश के नागरिक राज्यों या जिलों इत्यादि में नहीं बंटे होते हैं। उनके लिए तो पूरा भारत ही अपना गांव है। इस प्रकार, आर्थिक प्रगति हेतु पहली शर्त है कि उस देश विशेष की कानून व्यवस्था बहुत ही प्रभावी हो और वहां पर अपराधों की संख्या नगण्य हो जिससे वहां पर अधिक से अधिक काम-धंधे फल-फूल सकें और अधिक से अधिक संख्या में व्यापारी (देश एवं बाहरी) दोनों जगह से वहां आकर अपना कारोबार कर सकें। अच्छी कानून व्यवस्था के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि देश के सभी नागरिकों को आम कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए जिससे वे पूरी ईमानदारी से अपने व्यवसाय, पेशा, नौकरी इत्यादि को कर सकें।

वर्तमान में, भारत सरकार का यह प्रयास है कि वह देश के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में किसी भी प्रकार के कार्यालय, संस्थान या व्यवसाय से जुड़े कार्यों में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता अपनाने से देश में भ्रष्टाचार में कमी आती है और धीरे-धीरे देश आर्थिक रूप से भी प्रगति पथ पर बढ़ने लगता है।

कर चोरी आदि रोकने में प्रभावी कानून व्यवस्था :

कानून व्यवस्था के माध्यम से जहां अपराधों को नियंत्रित किया जाता

है, वहीं कर चोरी जैसे अपराधों को रोकने में भी मदद मिलती है। सभी आयकर दाताओं या कम्पनी करदाताओं का ब्यौरा ऑनलाइन रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कर चोरी जैसे बिक्री कर, राजस्व कर, आय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क कर आदि की चोरी न की जा सके। देश में ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो सके। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन लेनदेन में काफी हद तक बढ़ोत्तरी हुई है।

इसमें कोई शक नहीं है कि नकदी लेनदेन को घटाकर ही हम भ्रष्टाचारमुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। जितना अधिक सूचना तंत्र एवं तकनीकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कामकाजों में किया जाएगा, उतनी अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता आएगी जो कि अंततोगत्वा देश की आर्थिक प्रगति में ही अपना सहयोग प्रदान करेगी।

हम अपने देश में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों का अधिक से अधिक उपयोग करके कर-चोरी आदि को बहुत ही सहज रूप में रोकने में कामयाब हो सकते हैं।

जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एवं आर्थिक प्रगति :

देश के सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त मूलभूत सुविधाएं दर्शाती हैं कि उस देश में कानून का शासन है, भ्रष्टाचार कम है तथा देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। जिस देश में कानून का शासन नहीं होता है, वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। वहाँ पर एक पुरानी कहावत लागू होती है –"अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा।" इसी प्रकार, जिस समाज या देश में भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, शौचालय आदि की सुविधाएं सामान्य नागरिकों को सहज उपलब्ध हो जाती हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था को अच्छा माना जाता है। नागरिकों

को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने से नागरिक भी सरकार के प्रति अपने कर-दायित्वों को सहर्ष पूरा करने में लग जाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे अच्छी एवं बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जा रही है और आने वाले समय में यह और अधिक तेजी से बढ़ती नजर आएगी। देश की प्रगति का आधार हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही बनेगी।

अध्याय 6

आर्थिक प्रगति और वर्तमान कानूनी प्रावधान

किसी भी देश को अपने नागरिकों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा बुनियादी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए। वही देश, राज्य, जिला, कस्बा या गांव तरक्की करता है जिसके नागरिक जितने अधिक संतुष्ट हैं, खुश रहते हैं। देश में आर्थिक प्रगति करने के लिए हमेशा अच्छे विचारों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दुनिया में अच्छी प्रगति करने के लिए सभी का कल्याण एवं सभी का उत्थान आवश्यक है। आर्थिक प्रगति करने के लिए निरंतर एवं सक्रिय प्रयास करते रहना जरूरी है। आर्थिक प्रगति से जुड़े कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है जो कि इस प्रकार हैं :

1. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) : यह अधिनियम 1 जून 2000 से प्रभावी बनाया गया है। इससे पहले विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1973 को परिवर्तित कर दिया गया था। भारत सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत इस कानून को बनाया और विदेशी विनिमय संबंधी सभी प्रकार के कार्यों इत्यादि को देखने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जाता है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 से विदेशी धन से जुड़े बहुत से मामलों को सुलझाया जाता है।

2. सरफेसी : सरफेसी अधिनियम, 2002 एक ऐसा अधिनियम है जो कि भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना ऋण बकायेदारों की सम्पत्ति/सम्पत्ति को बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है। सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज हेतु सेंट्रल रजिस्ट्री भी गठित की गई है। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं 3(4) के तहत ऋण बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक नोटिस

समाचार पत्रों इत्यादि में प्रकाशित करवाएं जाते हैं और बकायेदारों से अनुरोध किया जाता है कि बैंक की संपूर्ण बकाया राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।

3. रेरा : रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना संसद द्वारा पारित रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसे आरंभ में 1 मई 2016 से लागू किया गया था किन्तु इसकी कुछ धाराओं सहित पूरे अधिनियम को 1 मई 2017 से पूर्णत: लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि रियल एस्टेट के खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, उनके साथ होने वाली धोखाधड़ियों, परेशानियों इत्यादि से भी उनको बचाना है। निवेशकों को भी यह अधिनियम सुरक्षा प्रदान करता है। यह घर का सपना देखने एवं घर खरीदने वाले देशवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है।

4. जीएसटी 2017 : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत इस वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून को बनाया गया है। इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है। इससे पहले केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर अलग-अलग कर लगाए जाते थे जिसका स्थान आज जीएसटी ने लिया है। वैट, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, विज्ञापन पर टैक्स, राज्य के टैक्स व सेस आदि सभी को जीएसटी में पूरी तरह से सम्मिलित कर दिया गया है। इसमें आबकारी एवं पैट्रोलियम शामिल नहीं है। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के कारण सभी राज्यों में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें एक समान हो गई हैं अन्यथा यह पहले अलग-अलग राज्यों इत्यादि में अलग अलग होती थी। आज हमारे देश में जीएसटी 5 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक है।

5. आयकर अधिनियम, 1961 : हमारे देश में आचार्य चाणक्य अर्थात् कौटिल्य का नाम कौन नहीं जानता है। उनके द्वारा अर्थशास्त्र के बताए हुए सिद्धांत और उनकी नीति आज भी काफी प्रासंगिक है। आचार्य चाणक्य के

समय में भी अमीरों से कर वसूल किया जाता था और गरीब जनता में उनके कल्याण हेतु उसका उपयोग किया जाता था। भारत सरकार द्वारा आयकर के संबंध में विस्तृत रूप से अधिनियम 1961 में पारित किया गया।

5. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत ही भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की 1 अक्तूबर, 2016 को स्थापना की गई थी। इसके तहत दिवालिया हो चुकी कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों इत्यादि की आस्तियों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे उन्हें इस संबंध में कम से कम नुकसान उठाना पड़े।

6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 : इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाता है। देश में आईटी संबंधी धोखाधड़ियों आदि की रोकथाम के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। इसी प्रकार, साइबर संबंधी अपराध करने वाले लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें आर्थिक दंड और सजा दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ विशेष कानून भी हैं जिनका देश की आर्थिक प्रगति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जो कि इस प्रकार हैं –

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नमक अधिनियम 1944
3. प्राचीन वस्तुएं एवं कला निधि अधिनियम, 1972
4. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (एएमएल)
5. विदेशी अंशदान एवं विनियमन अधिनियम, 1976
6. मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
7. नशीली दवाएं एवं साइकोट्रॉपिक अधिनियम (स्वापी) 1985
8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

9. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
10. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
11. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
12. पोटा अधिनियम, 2002
13. पासपोर्ट अधिनियम, 1920
14. आयुध अधिनियम, 1959
15. विस्फोटक अधिनियम 1884
16. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
17. कॉपीराइट अधिनियम, 1957
18. कंपनी अधिनियम, 1956 एवं एमआरटीपी अधिनियम, 1968
19. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
20. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
21. गैर कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 1967
22. चिट फंड अधिनियम, 1982

इन सभी कानूनों एवं प्रावधानों का आर्थिक प्रगति पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। इन प्रावधानों के लाभ और हानि का विवरण इस प्रकार दिया जा रहा है :

लाभ :

1 सुगमता एवं समानता होना – आजकल इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है और अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन होने लगे हैं जिससे बहुत ही सरल एवं कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा पहुंच जाता है। हालांकि, इंटरनेट के जमाने में बहुत अधिक सावधानी भी आवश्यक है और बिना सावधानी के किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने का खतरा बढ़ जाता है।

2 संग्रहण में अधिकता होना – कम्पयूटर के माध्यम से लेनदेन इत्यादि होने के कारण बहुत बड़ी संख्या के डाटा को भी कुछ ही मिनटों के समय में समेकित किया जा सकता है जिसमें पहले समय में कई-कई दिन लग जाया करते थे। इसके साथ ही, इन आंकड़ों को रखना भी बहुत ही सुरक्षित है और किफायती भी।

हानि :

1 जागरूकता की कमी – आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया से काफी दूर हैं। ये लोग इंटरनेट से लेनदेन नहीं कर पाते हैं। हमारे देश की कुल जनसंख्या के लगभग 30 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इस तरह से यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन ही हुए हैं जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 वर्ष में 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गयी है।

2 तकनीकी ज्ञान की कमी – तकनीकी ज्ञान में कमी के कारण हमारे देश में आज भी लोग मैनुअल कामकाज में अधिक विश्वास करते हैं। उन्हें धोखाधड़ी का भी डर लगा रहता है। इसलिए सभी बैंक एवं आरबीआई भी समय समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना खाता संख्या, ओटीपी, एटीएम कार्ड संख्या, क्रेडिट कार्ड संख्या, उसका पिन, सीवीवी इत्यादि नहीं बताएं।

3 ऑनलाइन पोर्टल पर कभी कभी वेबसाइट का हैक होना – विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन लेनदेन करते समय कभी-कभी हैकर्स वेबसाइट इत्यादि को ही हैक कर लेते हैं जिससे उसमें काफी व्यवधान आ जाता है और पूरा कामकाज ठप सा हो जाता है। इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए विभिन्न बैंकों या संबंधित संस्थाओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए।

विदेशी निवेश की स्थिति :

1. आर्थिक प्रगति के लिए विदेशी निवेश होना अति आवश्यक : 1991 के उदारीकरण, व्यावसायीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आदि के बाद से देश में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। आज हमारे देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है। हालांकि, हमारे देश में अभी-भी बहुत अधिक निवेश किया जाना अपेक्षित है और विभिन्न बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी भी आवश्यक है। देश में जब बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, तभी देश की प्रगति को गिना जा सकता है और वही आर्थिक प्रगति का रूप होगी।

2. निर्धारित सीमा तक ही विदेशी निवेश होता है अच्छा : यह भी सत्य है कि किसी भी विदेशी कंपनी को किसी अन्य देश में निवेश को एक निर्धारित सीमा तक ही रखा जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज भी हमारे देश में आरंभ में व्यापार के माध्यम से ही आए थे और उन्होंने किस प्रकार हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया जिसके लिए हमारे देश के न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा तब जाकर हमें पुन: आजादी प्राप्त हुई है।

निजीकरण :

1. निजीकरण समय की मांग : हमारे देश में वर्तमान सरकार का यह प्रयास है कि वह केवल एक नियत्रंक के रूप में कार्य करे न कि विभिन्न सरकारी कंपनियों की नियोक्ता बनकर कार्य करे। शायद यही कारण है कि आज हमारे देश में सरकारी कंपनी यथा एयर इंडिया को टाटा एयरलाइन्स को बेच दिया गया है और प्राइवेट कर दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी कंपनियों को दीपम अर्थात निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार विनिवेश की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है और उसमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सरकार के खजाने में अधिक से अधिक धनराशि इकटठा हो सके जिसका उपयोग देश के विकास कार्यों में किया जा सके।

2. सरकारी नियंत्रण आवश्यक : जहाँ तक किसी भी प्रकार की प्राइवेट कंपनी का प्रश्न है तो सरकार का उद्देश्य है कि उसका नियंत्रण हरेक संस्था पर रहे चाहे वह दूर संचार कंपनी हो या बीमा कंपनी हो या एफएम रेडियो हो या केबिल टीवी संबंधी कार्यक्रम प्रसारण संबंधी चैनल हों या कुछ और हों।

जिस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक सभी सरकारी एवं प्राइवेट तथा विदेशी बैंकों या बैंक वित्त कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखता है उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाली कंपनियों पर संबंधित प्राधिकरणों या अन्य किसी सरकारी विभाग के माध्यम से सरकारी नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है जो कि देश की आर्थिक प्रगति में सहायक ही सिद्ध होता है।

3. बैंकों आदि का भी निजीकरण : वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन द्वारा दो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले समय में कुछ सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाया जा सकता है। हालांकि, इससे एक ओर से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी वहीं प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी जिस कारण उनकी लाभप्रदता की स्थिति में भी अवश्य सुधार होने की संभावना है किन्तु यहाँ यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार को भी इन कदमों को उठाने से पूर्व बहुत ही सजग रहना होगा। क्योंकि वर्ष 1969 में प्राइवेट बैंकों का ही तो राष्ट्रीकरण किया गया था।

4. प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक : यह सत्य है कि विभिन्न कंपनियों के एक साथ होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सकारात्मक रवैया अपनाया जाता है। देश में प्रतिस्पर्धा का सीधा लाभ ग्राहक या उपभोक्ता को ही प्राप्त होता है। आज बाजार में विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं की कंपनियों के होने के कारण अच्छी सेवा एवं उत्पाद मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

5. सरकारी घाटा कम करना : भारत सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कंपनियों यथा एलआईसी, आईडीबीआई बैंक आदि की हिस्सेदारी को कम करने का निर्णय

लिया है जिससे उसके खजाने में अधिक से अधिक राशि जमा हो सके। इसके साथ ही, सरकारी घाटा भी कम करने का सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। बेवजह के खर्चों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

6. निजीकरण के साथ सरकारी नियमों का पूर्णत: पालन : निजी और सार्वजनिक कंपनियों दोनों का साथ रहना अच्छा होता है क्योंकि यदि केवल निजी कंपनियाँ रहेंगी तो भी आम जनता को काफी परेशानी होती है। निजी कंपनी इत्यादि पर भारत में लागू सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जैसे कानून लागू नहीं होते और न ही संविधान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा अन्य पिछले वर्ग को प्रदान किया जाने वाला जातिगत आरक्षण लागू होता है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे देश में गरीब जनता को नौकरी के अवसर कम होंगे।

आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर सुधार आवश्यक होता है। देश ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तिमाही और 7 दिसंबर 2021 में विकास दर 5.4% प्राप्त की है जबकि चीन की विकास दर 4% रही है। भारत विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बन गया है जबकि अप्रैल से जून 2021 में विकास दर 20.3% तथा जुलाई से सितंबर 2021 में यह दर 8.5% रही थी।

इससे पहले वर्ष 2020 में अक्टूबर से दिसंबर में देश की विकास दर 0.7% रही थी। चालू वित्त वर्ष की कुल विकास दर 8.9% रहने का अनुमान है। जनवरी-मार्च 2021 में विकास दर 1.6% रही थी। विभिन्न क्षेत्रों के निर्माण कंस्ट्रक्शन व्यापार होटल ट्रांसपोर्ट लोक प्रशासन व अन्य सेवाएं इत्यादि में विदेशी निवेश करने की कोशिश की जाती है विदेशी विनिवेश से देश में पैसा काफी मात्रा में आता है और रोजगार भी बढ़ता है किंतु हमें देश में अपनी बातों के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि किसी विदेशी निवेश की सीमा एक ही स्तर तक निर्धारित हो। बहुत अधिक विदेशी निवेश भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है जैसे संस्कृत में कहावत है – 'अति सर्वत्र वर्जयेत'। ऐसे विदेशी निवेश की निगरानी भी सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। किसी भी देश

की आर्थिक प्रगति चार स्तंभों पर टिकी रहती है जैसे 1. मानव पूंजी की गुणवत्ता, 2. निजी निवेश की उपलब्धता, 3. ढांचागत सुविधाओं की गुणवत्ता व विस्तार और 4. सामाजिक व्यवस्था। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक प्रगति के मानदंडों को अपनाना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए।

अध्याय 7

आर्थिक प्रगति में प्रौद्योगिकी की भूमिका

आर्थिक प्रगति में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि प्रधान देश होने के कारण, आज भी ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं अर्थात गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। इनके अलावा कुछ किसान ही उन्नत किस्म की विशिष्ट खेती करते हैं जैसे अलग-अलग तरह की फसलें जैसे मशरुम, फल, सब्जी आदि की खेती करना क्योंकि यह फसल नगद फसल कहलाती हैं। हालांकि हमारे देश में आज भी बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है सिंचाई के बहुत अच्छे साधन,नहरें आदि नहीं हैं। हमारे देश में कहीं पर एकदम सूखा पड़ता है तो कहीं पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। यदि उचित संख्या में बांध बनाए जाएं तथा बाढ़ के पानी को नहरों आदि के माध्यम से देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया जाए तो कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। हमें नई तकनीकों का उपयोग करके बाढ़ के पानी का सदुपयोग करना होगा, अधिक से अधिक नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए और खेती में भी नए तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करके अच्छी किस्म की खेती करनी होगी। आज प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव के रूप में बदल कर रख दिया है। पूरा विश्व प्रौद्योगिकी के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी आज के युग की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। बिना उचित प्रौद्योगिकी अपनाए कोई भी देश आज आगे बढ़ना तो दूर, कुछ भी नहीं कर सकता है।

छोटा-सा देश जापान आज विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में शामिल है क्योंकि उसने प्रौद्योगिकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है। वास्तव में देखे तो उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं।

भारत हमेशा से ही विश्व का चहेता देश रहा है चाहे वह लूटपाट करने के लिए हमारे देश में आए फारसी, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली हों या फिर चीन, मिस्र अथवा यूनान से भ्रमण करने आए विभिन्न विदेशी यात्री। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी तथ्य को देखते हुए कि भारत सोने की चिड़िया है इसका सोना चांदी अन्य खनिज संपदा का दोहन करने तथा उसे लूट कर अपने देश भेजने के लिए ही सन 1851 भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इस विभाग की स्थापना हेतु ब्रिटेन के भू वैज्ञानिकों को लाया गया तथा यह देखा गया कि भारत में किस स्थान पर सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि खनिज पदार्थ मौजूद है। उस समय पर अंग्रेजों ने सोना चांदी आदि भूमि के अंदर से निकालकर पानी के जहाजों से ब्रिटेन भिजवाया। यह क्रम लगातार काफी वर्षों तक चलता रहा। यहां यह बताने का उद्देश्य है कि अंग्रेजों ने तकनीकी का उपयोग कर उस जमाने में भारत की खनिज संपदा को लूटा और अपने देश भिजवाया। अब समय आ गया है कि भारत भी अपने देश में तरह-तरह की प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक समृद्धशाली तथा प्रगतिशील राष्ट्र बन कर उभरे।

सभी नागरिकों की संपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होना :

देश के सभी नागरिकों की संपूर्ण जानकारी जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक खाता संख्या, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट एवं अन्य प्रमाण पत्र आदि को रखा जाएगा तो जहां एक और उसके रखरखाव में कोई दिक्कत नहीं है तो वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई भी कम होगी क्योंकि डिजिटल रूप में रखने के कारण कागज तो ना के बराबर ही लगेगा और देश के पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सकेगी और आसपास के वातावरण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जहां इन दस्तावेजों के रखरखाव में खर्च में काफी कमी आएगी

वहीं दूसरी ओर डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा बशर्ते विभिन्न तकनीकी बचाव संबंधी कार्य पहले कर लिए जाएं।

पैसों का भौतिक लेनदेन कम करना या कैशलेस करना :

वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद करने के अनेक लाभ हैं। बैंकिंग संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने चाहिए। इससे जहां चेकबुक, डीडी का उपयोग खत्म होगा वहीं इनकी सफाई एवं रखरखाव पर होने वाले करोड़ों रुपए भी बचेंगे।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी की भूमिका :

आर्थिक प्रगति हेतु स्वेदशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग कर भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।

दोनों प्रौद्योगिकियों के बारे में बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही बहुत तरह की चीजों का निर्माण किया जाता रहा है। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहा है। आज प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत को अपनी स्वेदेशी प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे देश में चीजों की गुणवत्ता को पूरा विश्व मानता है। हमें अपने देश में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए जिससे ऐसी चीजों का निर्यात किया जा सके और देश में बाहरी मुद्रा का आगमन अधिक हो। इस प्रकार, हमारे देश में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

कपड़ों, खिलौनों, जूट के सामानों, लकड़ी के बने सामानों, पीतल के बर्तनों इत्यादि के निर्माण में स्वेदशी प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत की निर्यात की गति को बढ़ावा मिलेगा।

1. कुटीर उद्योगों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना : हमारे देश में हर प्रकार के कुटीर उद्योग जैसे खाने पीने की चीजों जैसे पापड़, आचार, मुरब्बा इत्यादि को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से निर्मित करके बनाया जाना चाहिए। इससे स्वदेशी तकनीक बढेगी और देश प्रगति करेगा।

2. स्वयं सहायता समूहों इत्यादि को बढ़ावा देना : स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए तकनीकी का उपयोग करना चाहिए ताकि वे अधिक गुणवत्तायुक्त सामान या सेवा प्रदान कर सकें और देश की आर्थिक प्रगति में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।

3. रोजमर्रा की चीजों का स्वदेशी तकनीक से निर्माण : दैनिक उपभोग की चीजों जैसे साइकिल, स्कूटर, मिक्सर, वाशिंग मशीन, फ्रीज, टीवी, मोबाइल फोन, रेडियो इत्यादि का निर्माण देश में ही किया जाना चाहिए जिससे किफायती दरों पर ये चीजें उपलब्ध हों और देश का पैसा देश में ही रहे। सरकार द्वारा स्वेदशी तकनीक का उपयोग करने के लिए किए जा रहे प्रचार-प्रसार 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक प्रगति हेतु स्वेदशी तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। स्वेदशी तकनीक के माध्यम से ही हमारे देश में पुलिस बलों एवं सेना में उपयोग होने वाले हथियारों, गोला बारूद इत्यादि का निर्माण किया जाना चाहिए।

4. आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम : हमारा देश आज प्रत्येक वस्तु के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का निर्यात आरंभ हो गया है। हमारे देश की रक्षा उत्पादन संबंधी सामान को कुछ देशों को निर्यात किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ देशों से ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं उन्हें भारतीय रक्षा उपकरण इत्यादि ही चाहिए क्योंकि उनकी गुणवत्ता का कोई सानी नहीं है। इसके साथ ही, भारतीय कपड़े, जूते, चमड़े का सामान, इत्यादि की अन्य देशों में काफी मांग बढ़ रही है।

विदेशी प्रौद्योगिकी की भूमिका :

1. न्यूनतम श्रम में अधिकतम उत्पादन : विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हमें कम से कम श्रम में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए और देश में उत्पादन की कमी को पूरा कर आर्थिक सहयोग की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए। विदेशी तकनीकों को अपनाकर हमें अपने देश में इस प्रकार की तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2. मानव श्रम की बचत : विदेशी तकनीक का उपयोग करके हमें अपने देश में मानव श्रम की बचत करनी चाहिए ताकि मानव श्रम किसी अन्य कार्यों को कर सके। हमें अपने देश के मानव श्रम को अन्य चीजों में उपयोग में लाना चाहिए जिससे देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ सके।

3. निर्यात करने में सहजता : देश में अच्छी तकनीकी से बने उत्पादों को सहजता के साथ निर्यात किया जा सकता है। गुणवत्तायुक्त सामान या उत्पाद को किसी भी देश के बाजार इत्यादि में बहुत ही आसानी से निर्यात किया जा सकता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है।

4. विदेशी प्रौद्योगिकी की अधिक मांग : आज भी उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूरी दुनिया में मांग है। शायद यही कारण है कि विदेशी प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता की वजह से ही ऐसे सामान की मांग अधिक हो जाती है जो कि अच्छे सामान एवं अच्छे पदार्थ से तैयार किए जाते हैं।

5. विश्वस्तरीय एवं अच्छी तकनीक का लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त होना : अच्छी एवं विश्वस्तरीय तकनीक का लाभ लोगों को काफी लंबी अवधि तक प्राप्त होता है। इसके साथ ही, अच्छे उत्पादों एवं विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली तकनीकों से बने सामान की देश एवं विदेश दोनों में बहुत अधिक मांग होती है। इन कारणों से भी आर्थिक प्रगति में वृद्धि होती है।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना :

जहां कुछ लोग बिना आगे की शिक्षा ग्रहण किए रह जाते हैं वहीं कुछ लोग ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम उपलब्ध होने के कारण अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भले ही वे कहीं कोई नौकरी कर रहे हो या अपना कोई कारोबार कर रहे हो। भारत के नागरिकों के सभी निजी दस्तावेजों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन तैयार किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके जो कि इन विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों यथा जमीन के कागजात का रिकॉर्ड, गाड़ियों इत्यादि का रिकॉर्ड रखने में काफी खर्च होता है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विभागों आदि द्वारा निकाली जाने वाली निविदाओं का कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाना चाहिए ताकि कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म हो सके और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके।

जितनी तेजी से प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा उतनी ही तेजी से आर्थिक प्रगति होती है। यह हमारे देश में पेटीएम गूगल पे, फोन पे आदि का उपयोग करते रहने से केस लैस को काफी बढ़ावा मिलेगा साथ ही देश की आर्थिक प्रगति भी होगी। बिना शिक्षा प्राप्त किए ना तो कोई राष्ट्र तरक्की कर सकता है और ना ही वह आगे बढ़ सकता है। भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और उसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नित्य प्रतिदिन हमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही होगा।

कोरोना महामारी के दौरान भी देश में प्रौद्योगिकी का उपयोग काफी बढ़ा। इसी प्रकार पुलिस थानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर की जा सकती है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए ताकि उनके मन से भय या डर का भाव निकल सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हमें अपराधियों को पकड़ने, उनकी पहचान करने, उनको न्यायालय द्वारा उचित दंड दिलवाने में मदद मिलती है। फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट, सीसीटीवी आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

जहां अपराध कम होंगे या न के बराबर होंगे तो समझो वहां आर्थिक प्रगति स्वत: ही दिखाई देगी। आर्थिक प्रगति एवं प्रभावी कानून व्यवस्था का चोली दामन का साथ होता है। एक के होने पर ही दूसरी चीज हो सकती है अन्यथा एक के न होने पर दूसरी चीज नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आर्थिक प्रगति करने के लिए आज हम सभी को प्रौद्योगिकी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना प्रौद्योगिकी के हम आज के समय में प्रगति नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से आरंभ हुए कोरोना वायरस ने मार्च 2020 तक लगभग पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अभी तक इस महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ बच्चे अनाथ हो गए हैं, कुछ पत्नियों ने अपने पतियों को खो दिया है, कुछ ने अपने पिता को खो दिया है, किसी ने मां को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है, किसी ने अपनी बहन को खो दिया है। परंतु जीवन तो चलने का नाम है जीवन किसी के जाने से तो नहीं रुक सकता है, वह तो चलता रहता है।

आज हमारे देश क्या पूरी दुनिया के अधिकांश छात्र-छात्राएं (बच्चे) अपने घरों में बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से ऑनलाइन ही अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है कि बच्चों का शैक्षिक वर्ष बर्बाद न हो इसलिए ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है और हमारा देश इस में सफल रहा है। इसके साथ ही बहुत सी कंपनियों, सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए घर से ही अनुमति दी गई थी ताकि काम-काज चलता रहे इसका परिणाम यह हुआ कि कोविड-19 महामारी के बावजूद हमारा देश दुनिया का सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बन गया है। लगभग सभी गतिविधियां ऑनलाइन ही हो रही हैं।

कुछ आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जैसे राशन,दूध,फल,सब्जी आदि के अलावा सभी कार्यों को ऑनलाइन ही संपन्न किया गया है। हमारे घरों में ही टीवी रेडियो ने इस दौरान भी पूर्व की भांति मनोरंजक कार्यक्रम, सूचनाएं,

समाचार आदि प्रसारित किए हैं और लोगों का मनोरंजन किया है। देश के भीतर एवं बाहर दोनों जगह सुरक्षा सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्व प्रौद्योगिकी का ही है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्थितियों पर नजर रख सकते हैं। विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं। आज देश के छोटे से छोटे सब्जी वालों, फल वालों, नाई आदि को पेटीएम, गूगल, फोन-पे आदि से पैसों का लेनदेन करते हुए सहज रूप में देखा जा सकता है।

कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 महामारी के कारण लोगों ने अपने आप को डिजिटल लेनदेन की ओर अग्रेषित किया है जो कि आने वाले समय में बदलते भारत की तस्वीर को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। देश में मार्च 2019 में बैंकिंग लेनदेन करने वाले 55% लोग थे वहीं मार्च 2021 में यह संख्या 76% हो गई है और दिसंबर 2021 तक तो यह संख्या और भी बढ़ चुकी है जो लगभग 85% के आसपास है। गूगल सर्च इंजन एक अमेरिकी कंपनी है जो कि आज दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। हालांकि कुछ देशों ने अपने सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट भी रखी हैं तथापि सर्वाधिक लोग गूगल को ही प्राथमिकता देते हैं। गूगल में अब अंग्रेजी के अलावा विश्व की लगभग सभी भाषाओं में जानकारी अपलोड की जाती है। गूगल के सर्च इंजन में हमारे देश की लगभग 22 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है जो कि इसके उपयोग को दर्शाती है। इंटरनेट ने कोरोना काल में काफी मदद की है। एक अलग दुनिया को बरकरार रखा है। ऐसा लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान की तरह आज मोबाइल इंटरनेट वाला फोन भी मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो चुका है। विदेशी तकनीक होने के बावजूद हमने इसे पूरी तरह से अपनाया है और हमें इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए निरंतर करते रहना चाहिए।

अध्याय 8

कानून व्यवस्था की अवधारणा और महत्व

कानून क्या है :

वास्तव में, किसी भी देश या समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को सुचारु रुप से चलाने के लिए जिन नियमों, उप-नियमों, अधिनियमों, विनियमों इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही कानून की संज्ञा दी जाती है। कानून को परिभाषित करते हुए अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

1) **सालमाण्ड के अनुसार - कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता प्रदान करता है और न्यायालय के प्रशासन में लागू करता है।**

2) **डिग्विट के अनुसार – कानून समाज की आवश्यकता मात्र की अभिव्यक्ति है।**

3) **रूसो के अनुसार – कानून सामान्य इच्छाओं का एक कार्य है, यह समस्त लोगों का प्रस्ताव है।**

यदि देखा जाए तो कानून वे सामान्य नियम होते हैं जो कि संपूर्ण समाज पर एक समान रूप से लागू होते हैं। कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, फिर चाहे वह कोई आम व्यक्ति हो या कोई खास। कानून को किसी न किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मान्यता मिली होती है।

भारत एक विशाल देश है और ऐसे देश में कानून का राज स्थापित करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है। वास्तव में, देखा जाए तो हमारे देश में कानून का राज स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनेक

तरह के उपाय करने पड़ते हैं। सबसे पहले किसी भी समाज में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन को आम जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। इसके साथ ही, वहाँ की आम जनता के विचारों को भी जानना होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से सब कुछ जनता पर थौंप दिया जाए। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है और उसका निर्वहन करना पड़ता है ताकि वास्तव में समाज में प्रत्येक समुदाय एवं समूह को संतुष्टि प्रदान की जा सके। हमारा देश तो अपने आप में विविधताओं से परिपूर्ण देश है। हमारे देश में अनेक धर्म, समुदाय, जाति, रंग, रूप इत्यादि के लोग बहुत ही प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं। यही हमारे देश की एकता को प्रदर्शित करता है।

कानून व्यवस्था क्या है :

भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म हैं। इन सभी धर्मों के लोगों आदि की बोलियाँ, भाषाएं, रहन-सहन, खान-पान आदि सभी अलग-अलग हैं। इन सब के बावजूद भी वे लोग एक साथ मिल-जुलकर रहते हैं। इसे ही भारत की विविधता में एकता का नाम दिया जाता है। किसी देश या समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए नियमों या कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने एवं करवाने की आवश्यकता होती है। समाज के विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी नागरिकों को एक समान समझते हुए कुछ नियमों आदि का पालन करना होता है ताकि देश या समाज में एक उचित व्यवस्था स्थापित हो सके जो कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसे ही कानून व्यवस्था कहा जाता है। अमीर-गरीब, बूढा-जवान, स्त्री-पुरुष सभी को इन नियमों, विनियमों, उपनियमों, अधिनियमों, इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होता है। जिस समाज में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है वहां न तो आर्थिक प्रगति होती है और न ही समाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक इत्यादि कोई प्रगति हो सकती है।

अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी समाज में सर्वप्रथम वहाँ की कानून व्यवस्था को बेहतर रखा जाए और अपराध एवं अपराधियों दोनों पर पूरी

तरह से नियंत्रण रखा जाए। आज अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को नई नई तकनीकों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। अपराधियों द्वारा रोज नई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जिससे वे अपराध घटित करते हैं और जल्दी से पकड़ में भी नहीं आ पाते हैं। पुलिस को भी इन तकनीकों का उपयोग कर उनकी ही चालों से उन्हें ही मात देनी होगी। हमें अपनी पुलिस सेवा में भी ऐसे नौजवानों को भर्ती करना होगा जिन्हें कम्प्यूटर एवं तकनीक का काफी अच्छा ज्ञान हो। ऐसे युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में पुलिस में भर्ती करना होगा जो कि विज्ञान एवं अन्य तकनीकी विषयों में पारंगत हों ताकि इसका लाभ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मिल सके।

इन सबसे विभिन्न अपराधों आदि को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न नए तरीकों को भी अपनाना होगा जिससे समाज से अपराध कम से कम हो जाए। समाज में पुलिस की भी अच्छी बेहतर छवि निर्मित हो सके। आज भी पुलिस की छवि समाज में बहुत सकारात्मक नहीं है, पुलिस को विभिन्न सामाजिक पुलिसिंग (सोशल पुलिसिंग) करके इसे सुधारना होगा और नागरिकों को पूर्ण विश्वास दिलाना होगा कि पुलिस उनके सुख-दुख में हर समय साथ है। पुलिस को उन्हें सहयोग प्रदान करना होगा जिससे अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित करने में सहायता मिल सके। इसलिए पुलिस प्रशासन को नए भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को आरंभ में ही ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि समाज में उनकी छवि अच्छी बन सके और वे समाज में नागरिकों के साथ मिलकर सामाजिक पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकें। प्रारंभिक पुलिस प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को भारतीय मूल्यों की अहमियत बताते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ मानसिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, सकारात्मकता पर विशेष रूप से बल देते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार की जटिल परिस्थितियों में भी उनमें नराकात्मकता का प्रभाव हावी न हो सके और वे समाज में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर देश को प्रगति पथ पर

अग्रसर कर सके । वर्तमान समय में, यह तरीका ही सबसे अच्छा सिद्ध हो रहा है और विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है।

कानून व्यवस्था की आवश्यकता :

किसी भी देश या समाज को नियमों के अनुसार सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए एक विधि मान्य कानून को स्थापित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, किसी शहर में सड़क यातायात को उचित रुप में सुचारु बनाए रखने के लिए सरकार यातायात पुलिस की व्यवस्था करती है। इसके माध्यम से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा जाता है ताकि सड़क पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो और नागरिक अपने गन्तव्य स्थल पर सुगमता के साथ सुरक्षित पहुंच सकें। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाता है। इसी प्रकार, देश में हर प्रकार का सौहार्द बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। हमारा देश अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों का देश है। देश में आंतरिक कानून एवं शांति-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च कार्य की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को प्रदान की गई है। जिस प्रकार, देश की सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की सुरक्षा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों यथा सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इत्यादि द्वारा पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। आईबी, एनआईए आदि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से देश में आंतरिक एवं बाह्य रूप से गुप्त सूचनाओं पर पैनी नजर रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार के बाहय या आंतरिक खतरे को समय रहते टाला जा सके।

कभी भी गुप्त सूचना संगठन इत्यादि भी गुप्त सूचनाओं को समय पर नहीं पहचान पाते हैं या समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, देश में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन एजेंसियों को सक्रिय एवं स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही, केंद्रीय सरकार द्वारा भी आंतरिक कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए विभिन्न केंद्रीय पुलिस बलों की सहायता ली जाती है। मुख्य

केंद्रीय बल इस प्रकार हैं –

1. केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) : इसकी स्थापना 1939 में 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में हुई थी जिसे स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के रूप में घोषित कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय 226 बटालियनों की क्षमता वाले इस बल को देश का सबसे बड़ा बल माना जाता है। यह बल कानून व्यवस्था स्थापित करने एवं उग्रवाद, नक्सवाद आदि कार्रवाइयों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ) : इस बल का गठन 1969 में किया गया था जो कि हमारे देश की 330 से अधिक केंद्रीय औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडों, मेट्रो ट्रेन आदि की भी सुरक्षा का जिम्मा इस बल के पास ही है। यह बल पूरी तत्परता एवं सतर्कता से अपना कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

3. त्वरित कार्य बल (आरपीएफ) : 1992 में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया जिन्हें त्वरित कार्रवाई बल की चार चार कंपनियों वाली 10 बटालियनों में बदल दिया गया है। इसका मुख्य कार्य सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में किया जाता है जिससे समाज में सौहार्द का माहौल बना रहे।

4. सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) : 1962 में भारत चीन संघर्ष के पश्चात वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो का गठन किया गया जिसका कार्य सीमावर्ती गांवों इत्यादि में विध्वंस, घुसपैठ एवं तोड़-फोड़ के खतरे से गांव वाले लोगों में सुरक्षित करना और उनका मनोबल ऊंचा करना था। बाद में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। एसएसबी की तैनाती 1,751 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर और 699 किलोमीटर लंबे भारत भूटान सीमा पर की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा करना है। जिस प्रकार, सीमा

सुरक्षा बल (बीएसएफ) चीन, पाकिस्तान बार्डर आदि की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार यह एसएसबी भी सीमा सुरक्षा करता है।

5. भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) : 1962 में चीनी आक्रमण के बाद, 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चीनी सीमा की सुरक्षा करना, लददाख, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों की सीमाओं की रक्षा करते हुए, वहाँ पर चीनी घुसपैठ को रोकना और उन्हें मारकर भगाना है।

6. असम राइफल्स (एआर) : असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में किया गया था। यह देश का सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है। 'पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में लोकप्रिय असम राइफल्स 1631 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसका मुख्यालय शिलांग, मेघालय में स्थित है।

7. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) : इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि से प्रभावित लोगों की मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रभावित क्षेत्रों में इस बल को उस राज्य विशेष आदि में भेजा जाता है। यह बल प्राकृतिक रुप से देश में कहीं भी बाढ़, भूस्खलन, इत्यादि के कारण हुई तबाही को रोकने, उसका बचाव कार्य करने एवं वहाँ के लोगों का पुनर्वासन करने में अपनी पूरी ताकत के साथ दायित्व का निर्वाह करता है। उड़ीसा, पूर्वोत्तर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कार्यों में राहत प्रदान करने के लिए यह बल विशेष रुप से जाना जाता है। यह बल बहुत ही फुर्तीले तरीके से कार्यों को अंजाम देता है जिससे लोगों को शीघ्रता से राहत मिलती है।

8. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) : देश में पुलिस की आवश्यकता, समुचित अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए 28 अगस्त 1970 को गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान

एवं विकास ब्यूरो का गठन किया गया था। इसे भारत एवं विदेश दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन घटनाक्रमों की सूचना रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुलिस संबंधी विषयों में उच्च स्तर की पढ़ाई करने, उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने, पुलिस को उचित प्रशिक्षण देने, नए-नए अपराधों के संबंध में विश्लेषण करने एवं उनका समाधान ढूंढ़ने, पुलिस एवं कारागार संबंधी समस्याओं का समाधान करने, स्थानीय समस्याओं का समाधान करने इत्यादि का भी कार्य सौंपा गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

9. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी : राजस्थान के माउंट आबू में 15 सितम्बर 1948 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1971 में प्रो. एम.एस.गोरे की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने को कहा गया था। 1975 में इस अकादमी को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे ही आज सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाली अधिकारी के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता कार्यक्रम, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध अनुसंधान कार्यक्रम आदि पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

10. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) : भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए इसे मुख्य रूप से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी (मुख्यालय–नई दिल्ली)। सीमा पर होने पर सभी प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए इस बल को गठित किया गया है और यह बल वास्तव में बहुत ही कठोर परिस्थितियों में देश की सीमा की सुरक्षा में लगा रहता है। इससे बहुत से आर्थिक अपराधों को भी रोकने में मदद मिलती है।

11. राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) : इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की

गई थी जिसे देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए आपातकालीन स्थितियों हेतु गठित किया गया है। यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

12. आसूचना ब्यूरो (आईबी) : इसकी स्थापना विश्व की सबसे प्राचीन खुफिया एजेंसी के रूप में वर्ष 1887 में की गई थी। बाद में 1948 में इसका नाम बदलकर आसूचना ब्यूरो कर दिया गया। गुप्तचर सेवाएं और आतंकवाद विरोधी कर्तव्य इसके मुख्य कार्य हैं।

13. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) : वर्ष 1941 में इसकी स्थापना स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में, 1963 में इसका नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सरकारी विभागों इत्यादि में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच, आर्थिक अपराधों की जाँच, हत्या व अपहरण आदि जैसे संगीन व पेचीदा मामलों की जाँच और आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जाँच इत्यादि कार्य इसके मुख्य कार्य हैं। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है।

14. अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (आरएडब्ल्यू) : इसको वर्ष 1968 में अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी के रूप में गठित किया गया था। विभिन्न सरकारों एवं सेना की गतिविधियों पर नजर रखना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से सावधान रहने के लिए विदेशी खुफिया जानकारी इकटठा करना इत्यादि इसके मुख्य कार्य हैं। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है।

15. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) : इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराधों का रिकार्ड रखने, अपराधियों की रिकार्ड रखने, विभिन्न राज्य सरकारों एवं थानों में समन्वय करने, अपराधों का अध्ययन करने, विश्लेषण एवं अंगुली चिह्नों आदि का रिकार्ड रखने एवं अन्वेषण एजेंसियों को सहयोग प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। एनसीआरबी ने कई ऐसे साफ्टवेयर तैयार किए हैं जिससे आज हमारे देश के सभी थानों इत्यादि को एक साथ जोड़ा

जा सका है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है।

16. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) : इसका गठन वर्ष 1996 में किया गया था जिसका उद्देश्य देश में नशीली दवाओं एवं स्वापक औषधि के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है।

भारत में लागू प्रमुख कानून अधिनियम :

हमारे देश में अनेक कानून एवं नियम लागू हैं। इन कानूनों इत्यादि की सहायता से देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहायता मिलती है। इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। हमारे देश में बहुत से कानून बनाए गए हैं और जिनमें समय समय पर कुछ संशोधन भी होते गए हैं। इन प्रमुखों कानूनों इत्यादि के कारण देश में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना काफी सुगम होता है। कुछ प्रमुख कानूनों, संहिताओं एवं अधिनियमों को निम्न सूची के अनुसार दर्शाया गया है :

क्र. सं.	कानून/संहिता/अधिनियम	वर्ष
1	भारत का संविधान	1950
2	भारतीय दंड संहिता	1860
3	भारतीय पुलिस अधिनियम	1861
4	सार्वजनिक दयुत अधिनियम	1867
5	भारतीय व्यस्कता अधिनियम	1875
6	भारतीय तार अधिनियम	1885
7	सिविल प्रक्रिया संहिता	1908
8	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	1908
9	भारतीय राइफल्स अधिनियम	1920

10	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम	1922
11	सशस्त्र बल (आपातकाल क.) अधि.	1947
12	संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम	1947
13	संयुक्त राष्ट्र (सु.प.) अधिनियम	1947
14	पुलिस अधिनियम	1949
15	विशेष अपराध न्यायालय (क्षे) अधि.	1950
16	वायु सेना अधिनियम	1950
17	थल सेना अधिनियम	1950
18	ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम	1952
19	पाकिस्तान से आगमन निरसन अधि.	1962
20	राज्य सशस्त्र पुलिस बल विधि विस्तार अधि	1952
21	खाद्यय अपमिश्रण निवारण अधि	1954
22	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	1955
23	अनैतिक देह व्यापार (नि.) अधि.	1956
24	नौसेना अधिनियम	1957
25	सशस्त्र बल (विशेष शक्ति.) अधिनियम	1958
26	आयुध अधिनियम	1959
27	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम	1960
28	दहेज निषेध अधिनियम	1961
29	विदेशियों विषयक अधिनियम	1962
30	सीमा शुल्क अधिनियम	1962
31	पुलिस बल (अधि. निर्बंधन) अधिनियम	1966

32	पासपोर्ट अधिनियम	1967
33	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम	1967
34	नागरिक सुरक्षा अधिनियम	1968
35	राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधि	1971
36	आंतरिक सुरक्षा अधिनियम	1971
37	न्यायालय अवमानना अधिनियम	1971
38	भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम	1971
39	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम	1972
40	दंड प्रक्रिया संहिता	1974
41	आर्थिक अपराध (परिसीमा) अधिनियम	1974
42	विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधि	1974
43	विक्षुब्ध क्षेत्र (वि.न्या.) अधिनियम	1976
44	अस्पृश्यता संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध अधि.	1976
45	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	1980
46	चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधि	1980
47	वन (संरक्षण) अधिनियम	1982
48	सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम	1982
49	यान हरण निवारण अधिनियम	1982
50	उत्प्रवास अधिनियम	1983
51	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि	1984
52	आतंकवादी क्षेत्र(विशेष न्या) अधिनियम	1984

53	लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधि	1984
54	आसूचना संगठन अधिनियम (अधि.निर्ब)	1985
55	स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अ.	1985
56	स्त्री अपशिष्ट रूपण (प्रतिशोध) अधिनियम	1986
57	बाल श्रम अधिनियम	1986
58	धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण.) अधि	1988
59	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम	1989
60	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ(अत्याचार निवारण) अधिनियम	1947
61	मोटर वाहन अधिनियम	1988
62	सशस्त्र बल (जम्मू कश्मीर) अधिनियम	1990
63	उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम	1991
64	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम	1993
65	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	2000
66	रासयनिक अस्त्र अभिसमय अधिनियम	2000
67	किशोर न्याय (बालक देखरेख) अधिनियम	2000
68	धनशोधन निवारण अधिनियम	2002
69	आतंकवाद निवारण अधिनियम	2002
70	आतंकवाद निवारण(निरसन) अधिनियम	2004
71	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि	2005
72	बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम	2006

73	माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम	2007
74	ग्राम न्यायालय अधिनियम	2008
75	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ.	2012
76	महिला कार्यस्थल यौन उत्पीडन अधिनियम	2013
77	राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा अधिनियम	2013
78	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम	2013
79	दि विसिल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम	2014
80	काले धन एवं कर अधिनियम	2015
81	रियल एस्टेट (विनि. एवं विकास) अधि	2016
82	दिवाला एवं दिवालियापन संहिता	2016
83	वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम	2017
84	विशेषीकृत बैंक नोट अधिनियम	2017
85	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम	2018
86	मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण) अधिकार	2019

कानून व्यवस्था के लिए समाज में आपसी समन्वय की आवश्यकता :

किसी शासन या प्रशासन द्वारा समाज या देश में जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं वह सब उस समाज या देश के लोगों के हित में ही होते हैं। समाज के सभी लोगों को पुलिस बल के कार्यों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ जिससे यह एक गणतंत्र बना। संविधान में बनाए गए नियमों एवं कानूनों के अनुसार देश चले, कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित

हो, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यही संविधान की मूल भावना है। हमारे देश की पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार हो, कभी भी दुर्व्यवहार न किया जाए, इसके लिए, सभी को भारतीय संविधान सहित देश के विभिन्न कानूनों की जानकारी होनी आवश्यक है। आज भी पुलिस को देखकर लोगों में एक अलग प्रकार का भय व्याप्त है जो कि ब्रिटिश पुलिस की देन रहा है। आज भारत के नागरिकों एवं विभिन्न पुलिस बलों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित किया जाना नितांत जरूरी है क्योंकि पुलिसकर्मी भी समाज का ही अंग हैं। हमें पुलिस कर्मियों को समाज का ही हिस्सा मानना चाहिए ताकि हमारे और उनके बीच आपसी समन्वय बढ़े और देश में अपराधमुक्त भारत का सपना साकार हो सके। पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश होने के कारण भी कई बार आम जनता की पुलिस के साथ भिडंत हो जाती है। इसके साथ ही, पुलिस कर्मियों को भी भारत के सभी नागरिकों के साथ सदव्यवहार करना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। जब भारत अपराधमुक्त या अपराध में नगण्य हो जाएगा, तब समझो, भारत की आर्थिक प्रगति अपने आप तीव्र गति से होनी आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही, भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। इस प्रकार, वह दिन दूर नहीं है, जब भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भी भारत विश्व की प्रथम पाँच अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।

कानून व्यवस्था को लागू करते समय पुलिस कर्मियों का धैर्य :

यह सत्य है कि देश या राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों को ही प्रदान की गई है और यह भी उतना ही सत्य है कि यह काम इतना आसान भी नहीं है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम को करने में बल और बुद्धि का बराबर उपयोग सुनिश्चित करना पड़ता है तभी उस देश या राज्य में कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापित हो सकती है। इसके साथ ही, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है जिसमें पुलिस कर्मियों को धैर्य एवं साहस

को रखते हुए, कानून व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है। पुलिस को देश में अप्रिय घटनाओं को घटने से रोकना पड़ता है, यदि कहीं अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उस पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त करना होता है और इन घटनाओं में शामिल शरारती तत्वों को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, जिससे समाज में कानून का राज स्थापित हो सके तथा लोगों में कानून का भय भी बना रहे। लोगों में यह भय व्याप्त रहे कि यदि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह व्यक्ति कितनी ही ऊंची पहुंच का क्यों न हो।

जब पुराने जमाने में लोगों को कानून की जानकारी कम हुआ करती थी जिस वजह से लोग पुलिस से अधिक डरते थे किन्तु आजकल लोगों को कानून की पर्याप्त जानकारी है और वे बिना वजह पुलिस इत्यादि से नहीं डरते हैं। वे जानते हैं कि कानून सभी के लिए समान है और आज पुलिस बिना वजह किसी भी नागरिक को परेशान नहीं कर सकती है।

यह भी कटु सत्य है कि पुलिस कर्मियों द्वारा धैर्य धारण करके ही समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। इसके साथ ही, पुलिस कर्मियों को दूरदर्शी भी होना पड़ेगा। उन्हें यह सब देख लेना चाहिए कि किसी समारोह, मेले, राजनीतिक रैली, हड़ताल आदि के कारण किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार, पुलिस को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे और इस प्रकार के समारोहों, कार्यक्रमों, रैलियों इत्यादि का आयोजन भी शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

बेहतर कानून व्यवस्था :

अच्छी एवं बेहतर कानून व्यवस्था के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जहां एक ओर देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग मिलता है, वहीं दूसरी ओर विश्व के महत्वपूर्ण एवं अग्रणी देशों में अपने देश का नाम शामिल होता है। उत्कृष्ट कोटि की कानून व्यवस्था वही होती है, जहां किसी देश में बिना भेदभाव किए

सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सहज रूप में उपलब्ध होती हैं।

इस प्रकार की कानून व्यवस्था से अपराधों की संख्या में काफी कमी आती है और लोग अमन चैन से जीवनयापन करते हैं। नागरिकों को भी पुलिस बल की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए ताकि अपने आस-पास में किसी भी प्रकार के अपराध को घटने से रोका जा सके। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कुछ बुनियादी चीजें अपनाना बहुत आवश्यक है जो कि इस प्रकार हैं :

1. पुलिस एवं नागरिकों में आपसी समन्वय स्थापित करना – पुलिस एवं नागरिकों में हमेशा एक बेहतर समन्वय स्थापित होना बहुत आवश्यक है। देश की आर्थिक प्रगति सहित सभी प्रकार की प्रगति हेतु समन्वय जरूरी है।

2. पुलिस को वैज्ञानिक सोच विकसित करनी की आवश्यकता : पुलिस बल में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक जीवन में विज्ञान को नहीं जोड़ा जाएगा, वर्तमान समय की बहुत सी समस्याएं सुलझ नहीं पायेंगी।

3. पुलिस को आधुनिक हथियारों एवं साजो सामान से सुसज्जित करना : अब समय आ गया है कि पुलिस को भी आधुनिक हथियारों एवं सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। अपराधियों पर नियंत्रण हेतु यह बहुत ही आवश्यक है कि आधुनिक हथियारों एवं गाड़ी, मोबाइल, ड्रेस आदि सहित सभी सुविधाओं में इजाफा किया जाए और उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी का बनाया जाए।

4. पुलिस को तकनीक एवं सूचना का अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करना : पुलिस बल को तकनीक एवं सूचना का अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्हें नित नए हो रहे बदलावों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। तकनीक रूप से सक्षम बनने के बाद ही, पुलिस कानून व्यवस्था को सहज रूप में स्थापित करने में कामयाब हो सकती है।

5. पुलिस बल को पर्याप्त मात्रा में अच्छी सुविधाएं प्रदान करना : पुलिस बल में संतोष की भावना रहे, उन्हें भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाना

चाहिए, उन्हें भी अन्य सरकारी विभागों की तरह ही अवकाश, चिकित्सा, यात्रा, आवास, ऋण इत्यादि की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे उनका मनोबल ऊंचा बना रहे और वे हीन भावना से ग्रस्त न रहें।

6. पुलिस को अच्छी छवि निर्मित करने हेतु सक्रिय प्रयास करना: पुलिस को समाज में अच्छी छवि निर्मित करने के लिए बहुत अधिक सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे अच्छे सकारात्मक कदम उठाने से अवश्य ही लोगों के मन में पुलिस की बनी गलत छवि को मिटाया जा सकता है और अच्छी छवि का निर्माण किया जा सकता है।

7. पुलिस कर्मियों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए उपाय करना: पुलिस बल में अक्सर देखने में आता है कि वे बहुत मानसिक तनाव में होते है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें मुख्य रूप से लगातार डयूटी का होना, अवकाश का शीघ्रता से न मिलना, कार्य में कोई प्रशंसा न मिलना, पदोन्नति के न्यूनतम अवसर होना (उप निरीक्षक स्तर से नीचे के स्टाफ सदस्यों हेतु), वेतन एवं भत्तों का न्यूनतम होना इत्यादि शामिल हैं।

8. पुलिस बल को अच्छी आवास, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान करना : अन्य सरकारी विभागों के समान ही पुलिस कर्मियों के लिए भी अच्छी आवास, चिकित्सा, ऋण आदि की सहज एवं सुलभ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस कर्मियों को भी अन्य सरकारी विभागों एवं कॉर्पोरेट की तर्ज पर वेतन सहित अन्य आकर्षक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे उनमें संतोष की भावना फलीभूत हो और वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से निष्पादित कर सकें।

इस प्रकार के उपायों से अवश्य ही हमारे देश में अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी और देश प्रगति पथ पर प्रशस्त होगा। वास्तव में, देखा जाए तो जहाँ पुलिस एवं नागरिकों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं और आपसी समन्वय बना रहता है, वहीं उत्कृष्ट कोटि की कानून व्यवस्था होती है।

अच्छी कानून व्यवस्था से लाभ :

किसी समाज या देश को बेहतर बनाने के लिए उस समाज में अच्छी कानून व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ती है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को नियमबद्ध करके समाज में जब उचित ढंग से सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वही कानून व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। केवल अपराधों को रोकना ही कानून व्यवस्था नहीं है, समाज या देश में शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखते हुए देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना भी बेहतर कानून व्यवस्था की श्रेणी में आता है। भारत के संविधान के अनुसार, कानून व्यवस्था की प्रभावी स्थिति को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। अच्छी कानून व्यवस्था से देश और समाज में हर प्रकार की प्रगति एवं उन्नति होती है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रगति आदि शामिल हैं। देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी देश की बेहतर छवि का निर्माण होता है जिससे देश में निवेशकों एवं निवेश दोनों में बढ़ोत्तरी होती है। इस तरह से देश दुनिया में बेहतर एवं उत्कृष्ट श्रेणी के देशों में शामिल होता है। इससे बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होती है और नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आता है। उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़कें, रेल इत्यादि की सुविधाएं मिलने लगती हैं जिससे देश की कुल जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होती है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। इस प्रकार, देश की आर्थिक प्रगति होने लगती है और देश विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ने लगता है।

विकसित देशों में यही चीजें खास हैं कि वहाँ पर नागरिकों को वह प्रत्येक सुविधा सहज उपलब्ध होती है जो कि आज के समय में अपेक्षित मानी जाती है किन्तु विकासशील देशों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी समृद्धि नहीं होती है। शायद, राजनीतिक दलों या सत्ताधारी दलों को भी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही चुनावों के दौरान लोक लुभावन वायदे नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्हें पूरा करने में वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति ही खराब होगी और देश की आर्थिक प्रगति पर इसका

विपरीत असर पड़ेगा। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन देशों या राज्यों ने चुनावों में लोक लुभावन वायदे किए और बाद में उन देशों या राज्यों इत्यादि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी। यहाँ तक कि हमारे कई पड़ोसी देश (जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आदि) ऐसे हैं जो कि इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस तरह की चीजों से हमेशा बचना चाहिए। इससे देश या समाज में अव्यवस्था ही नहीं फैलती अपितु देश की प्रगति भी अवरूद्ध होती है।

खराब कानून व्यवस्था से हानि :

देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना पड़ता है ताकि देश में अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं एवं बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, रेल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय इत्यादि की अच्छी व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही, जब देश में इस तरह की गतिविधियाँ अधिक से अधिक होगी वहाँ पर अपने आप ही रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगते हैं। बुनियादी सुविधाओं संबंधी निवेश एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेश आदि कहीं से भी हो सकता है। यदि किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वहां न कोई व्यक्ति (किसी दूसरे राज्य का व्यापारी) निवेश करेगा और न ही विदेश से कोई निवेशक ही निवेश करने के लिए आकर्षित हो पाएगा। इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। देश में आने वाले अच्छे निवेशकों से न केवल देश को आर्थिक लाभ होता है अपितु देश के हजारों युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होता है। हमारा देश आज विश्व में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। युवाओं को रोजगार प्रदान करना किसी भी देश या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारे देश में कहीं न कहीं घटित होने वाले या घटित हो रहे अपराधों की संख्या में भी कमी आती है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अधिकांश मामलों में युवा ही अपराधों में शामिल पाए जाते हैं।

राज्य को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था विकसित करनी पड़ती है जिससे उस राज्य या क्षेत्र में बाहर से आने वाले निवेशक को पूरी सुरक्षा मिले। उसके सामान, वाहन, कंपनी, कार्यस्थल एवं कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे देश की एक अच्छी छवि निर्मित हो सके और अधिक से अधिक मात्रा में देश में निवेश हो सके। किसी राज्य या क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण, निवेशक भी अपना पैसा वहां लगाने को तैयार नहीं होते हैं। वह राज्य या क्षेत्र अन्य राज्यों/क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ता चला जाता है जो कि देश की आर्थिक प्रगति में बाधक बनता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपनी कम्पनी आदि को किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में बंद कर दिया क्योंकि उन्हें वहाँ पर सुरक्षित माहौल नहीं मिला। कई राज्यों में राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है। अत: हमेशा कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए ताकि देश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और देश में निवेश कर रहे निवेशकों इत्यादि को भी अच्छा माहौल मिल सके जिससे वे भी लाभ कमाएं और हमारे देश की आम जनता को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।

कानून व्यवस्था का महत्व :

कानून व्यवस्था को समाज या देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती है वहां किसी भी प्रकार की प्रगति अर्थात् सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक इत्यादि नहीं हो सकती है। प्रभावी कानून व्यवस्था से देश के राज्यों, जिलों, शहरों, नगरों, कस्बों एवं गांवों इत्यादि में विकास तथा प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित होने लगते हैं और पुलिस की बेहतर छवि का निर्माण होता है। समाज में आज भी पुलिस को देखकर बहुत-से लोग या औरतें या बच्चे डर जाते हैं जबकि पुलिस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही होती है। पुलिस की इस छवि को दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी

होने से व्यापारियों को अपना कारोबार करने में लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही, अवैध रूप से किए जाने वाले कारोबार इत्यादि में कमी आती है। देश में अवैध कारोबारों पर नियंत्रण लगाने के लिए समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाए जाते हैं जिससे अवैध कारोबारियों के हौंसले पस्त हो जाते हैं। देश में वैध कारोबार करने के लिए नियम के अनुसार ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित प्राधिकरणों या प्राधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कारोबारियों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि इससे कारोबार के साथ साथ रोजगार में भी बढोत्तरी होती है।

लोग अवैध करोबार करने या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध जैसे अपहरण, चोरी, लूटपाट, फिरौती, कर चोरी, रिश्वत लेना या देना, हत्या, बलात्कार, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि को करने से पहले सौ बार सोचेंगे। इस प्रकार, देश में चल रहे अवैध करोबार पर सीधे-सीधे लगाम लग जाती है। अच्छी कानून व्यवस्था में पुलिस बल संयम के साथ समाज में शांति बनाए रखता है और विभिन्न अपराधों जैसे सांप्रदायिक झगड़ों, दंगों, हत्या, अपहरण, बलात्कार इत्यादि पर विराम चिह्न लगाने में काफी हद तक कामयाब होता है। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र पर पैनी निगाह रखनी चाहिए और उसे हमेशा मजबूत करते रहना चाहिए। खुफिया तंत्र को सुदृढ़ एवं तत्पर बनाए रखना चाहिए। पुलिस को समाज में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से उचित कदम उठाने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए। हालांकि, कभी कभी कुछ घटनाओं की जानकारी पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है और घटना घटने के बाद ही पुलिस को पता चलता है जिससे वह उस घटना को रोक पाने में सफल नहीं हो पाती है।

तथापि, पुलिस प्रशासन को हमेशा सतर्क एवं चौकन्ना रहते हुए समाज पर अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। पुलिस को अपने मुखबिरों की भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि वे पूर्ण निष्ठा

एवं समर्पण भावना के साथ पुलिस प्रशासन को अपना निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें। बेहतर कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए नागरिकों को भी नियमों इत्यादि का पूर्ण पालन करना चाहिए और इनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे देश की आर्थिक प्रगति में भी महती सहयोग मिलता है। इस प्रकार, देश अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकता है और यह गति निरंतर बनी रहे। इसके लिए भी लगातार सक्रिय प्रयास एवं छवि निर्माण करते रहना चाहिए।

अपराध को घटित होने से पहले ही रोकना :

आज हर इंसान यह सोचता है कि उस जगह पर अपराध हो गया है। उस शहर में अपहरण, हत्या, बलात्कार इत्यादि हो गया है। क्या इस तरह के अपराध को रोका जा सकता था। आज यह बात मायने रखती है कि अपराध को कैसे रोका जाए। पुलिस का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं है कि वह अपराध या अपराधियों पर हमेशा नियंत्रण बनाए रखे अपितु उसका एक उद्देश्य यह भी है कि अपराध को घटित होने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। वही पुलिस प्रशासन ज्यादा दुरुस्त माना जाता है जो कि किसी भी प्रकार की घटना को घटित होने से पहले ही उसको रोकने में कामयाब हो जाता है। आजकल पुलिस कर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें अपराध को घटित होने से रोकने के लिए किसी प्रकार के उपाय करने हैं। उन्हें अपने मुखबिरों से किस प्रकार की सूचना मंगवानी हैं और उनका विश्लेषण किस तरह से करना है। गुप्तचारों के माध्यम से पुराने जमाने में भी अपने देश या राष्ट्र की रक्षा करने का कार्य लिया जाता था। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस तरह के कार्य करने के लिए विशेष रूप से निपुण लोगों को ही रखा करते थे। गुप्तचरों की सूचनाओं पर पूरे राज्य या देश का शासन टिका होता था और गलत सूचना के चले जाने से कभी-कभी बहुत बड़ी अनहोनी भी हो जाया करती थी।

इसलिए, आज के समय में खुफिया विभाग का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि कोई भी देश अपने देश में किसी भी प्रकार से

आक्रमण कर सकता है। फिर वह आक्रमण चाहे प्रत्यक्ष रुप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। किसी भी स्थिति में अपराध को घटित होने से पहले ही रोका जाना चाहिए। वास्तव में, यही ज्यादा अच्छा उपाय है जैसे किसी बैंक ऋण खाते का लेखा जोखा कैसा है, इसकी जांच पड़ताल लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है जो कि ऋण वितरण आदि के बाद की प्रक्रिया है, किन्तु किसी अपराध को घटने से पहले ही रोकना वास्तव में कानून व्यवस्था संबंधी कानूनों का सही एवं बेहतरीन अनुपालन है। हालांकि, इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन इत्यादि को मिलकर मिशन मोड में कार्य करना होगा और भविष्य में होने वाले अपराधों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन को खुफिया तंत्र को भी बहुत अधिक मजबूत करना होगा क्योंकि यही वह तंत्र होता है जो कि देश को आंतरिक एवं बाहय रूप से सुरक्षित बनाने में सहायता करता है। हमें किसी भी अप्रिय घटना या अपराध को घटने से पहले ही रोकने के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने होंगे ताकि देश को अपराध मुक्त बनाने में सहायता मिल सके।

कानून व्यवस्था हेतु समाज में जागरूकता फैलाना :

किसी भी देश या समाज में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए समाज में सभी नागरिकों में इसकी जागरुकता फैलाना बहुत आवश्यक है। समाज में बेहतर छवि निर्माण करने के लिए पुलिस को अधिक से अधिक सामाजिक पुलिसिंग करनी चाहिए और समाज में पुलिस के कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। सभी नागरिकों को कानून के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करने पर ही अच्छी जागरुकता फैलाई जा सकती है। इसमें एक सुझाव यह भी हो सकता है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पाठय पुस्तकों में पुलिस से संबंधित अध्याय होने चाहिए जो कि भविष्य में बच्चों के मन में पुलिस की बेहतर छवि निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ ही, सभी सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं को भी देश के नागरिकों के मध्य कानूनी या विधिक नियमों संबंधी जागरुकता फैलाई जानी चाहिए ताकि देश

के प्रत्येक नागरिक को भारतीय कानूनों की जानकारी सहज प्राप्त हो सके।

यदि कानूनों की सही जानकारी रहेगी तो कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अनावश्यक रूप से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आम जनता का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। बिना कानून की जानकारी के देश के गरीब एवं अनपढ़ लोगों का हमेशा ही शोषण होता रहा है। संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसी वजह से कहा था कि भारत के नागरिकों को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

अध्याय 9

प्रभावी कानून व्यवस्था के मार्ग में बाधाएं

किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को हमेशा सतर्क एवं सजग रहना पड़ता है और रहना ही चाहिए। प्रभावी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुराने एवं निरर्थक कानूनों की वजह से काफी बाधाएं आती हैं। प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए कानूनी प्रक्रियाओं, नियमों, नीतियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए ही पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीयों द्वारा किया गया विद्रोह था जिसकी शुरुआत भारतीय सैनिक मंगल पांडे द्वारा की गई थी। जिसकी आग धीरे-धीरे ऐसी फैली कि पूरे भारत में जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन आगजनी आदि घटनाएं हुई जिससे एक बार तो अंग्रेज सरकार के पैर उखड़ ही गए थे। तत्पश्चात, अंग्रेजों ने भारत की आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखने तथा भारतीयों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का दमन करने के लिए वर्ष 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बनाया। इस पुलिस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर विभिन्न कानूनी धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय के माध्यम से सजा दिलवाना था।

इसका मतलब साफ है कि भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया कानून का वह शिकंजा था जिसकी आड़ में अंग्रेजों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अपने ही देश में अपने ही कानून जिसे अंग्रेजों ने बनाया था उसका विरोध भारतीय नागरिक नहीं कर सकते थे। आज भी हमारे देश में वही पुराना भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 लागू है और यही चल रहा है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की विभिन्न धाराओं में भारतीयों का विभिन्न प्रकार का शोषण होता है। भारतीयों का यह

शोषण आजादी के 75 वर्ष के बाद भी नहीं रोका जा सका है क्योंकि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की अधिकांश धाराएं आज भी लागू हैं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने अपना बचाव करने के लिए लागू किया था। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता(आईपीसी), सीआरपीसी की अधिकांश धाराएं अंग्रेजों द्वारा भारतीय नागरिकों का शोषण करने के लिए तैयार की गई थी। हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी भारतीय दंड संहिता की कुछ चीजों को लिया गया था। आजाद होने के बाद अपने देश भारत में आज अपनी दंड प्रक्रिया अपना समाज अपने समाज को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाने चाहिए ताकि देश का आम नागरिक भारत की स्वतंत्रता के महत्व को महसूस कर सके।

इसे विभिन्न अंग्रेजी दमनकारी प्रक्रिया एवं धाराओं से निजात मिली चाहिए। भारत की आजादी का सही मायने यही होगा कि भारतीयों के लिए अंग्रेजों की बनाई हुई धाराओं की इन बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और ऐसी धाराओं का निर्माण किया जाए जो देश की कानून व्यवस्था को प्रभावी रुप से लागू करवाने लायक हो तथा देश की आर्थिक प्रगति भी होती रहे। भारत की प्रगति आज काफी हद तक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अब वक्त आ गया है कि विभिन्न पुराने एवं निरर्थक कानूनों को संसद द्वारा निरस्त कर दिया जाए और देश की आर्थिक प्रगति सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले कानूनों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि आजाद भारत को इसका लाभ प्राप्त हो सके। देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं जिनको अति शीघ्र निस्तारित किया जाना अपेक्षित भी है तथा समुचित भी है। इसी प्रकार सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं को भी बदले जाने की आवश्यकता है।

कानून की धाराएं इस प्रकार बनाई जाएं ताकि वे भारत की सामासिक संस्कृति को बढ़ाते हुए आर्थिक प्रगति की ओर देश को अग्रसर कर सकें। देश में बहुभाषा, बहुजाति, बहुधर्म एवं बहुसंप्रदाय आदि के लोग एक साथ रहते हैं जो कि इसकी अनेकता में एकता को दर्शाता है। इसलिए आजकल भारत में

यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग काफी जोरों पर है। अभी हाल ही में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने को कहा है।

इसके साथ ही विभिन्न प्रक्रियाएं, नीतियां भी इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे तथा देश के नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं सहज सुलभ हो सकें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन नीतियों या प्रक्रियाओं से देश के नागरिकों को असुविधा ना हो। हालांकि कुछ नीतियां प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके प्रभावी कार्यान्वयन में काफी परेशानियां आती हैं।

कानूनों को सहज एवं सरल बनाया जाना ही प्रभावी कानून व्यवस्था को लागू किए जाने की पहली सीढ़ी है। देश के सभी कानूनों नियमों प्रक्रियाओं नीतियों आदि की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है। जैसे कुत्ते के साथ अत्याचार करना, उसे जलाकर मार देना, पानी में डुबोकर मार देना आदि की सजा इतनी कम है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है। यह सजा आईपीसी के तहत दी जाती है जो कि काफी कम है। जबकि आज इस सजा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ लोगों द्वारा बेजुबान जानवरों के साथ बर्बरता की घटनाएं की जाती हैं और प्रसिद्धि पाने के लिए उसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म पर भी वायरल किया जाता है जबकि यह कानूनी दृष्टि से न तो सही है और ना ही हमारी भारतीय संस्कृति इस कृत्य को उचित समझती है।

आज देश के बहुत से पुराने कानूनों आदि को हटाया जाना चाहिए क्योंकि आज उनकी कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं रह गई है। इसी प्रकार कुछ नए कानून भी ऐसे बने हैं जिनका दुरुपयोग काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है। दहेज कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, एससी,एसटी एक्ट,इत्यादि कुछ ऐसे कानून हैं जिनका बहुत अधिक दुरुपयोग होने के कारण निर्दोष लोगों को भी सजा मिल रही है। ऐसे कानूनों की तत्काल प्रभाव से समीक्षा किए जाने की

आवश्यकता है। आज कुछ औरतों द्वारा दहेज कानून, घरेलू हिंसा कानून आदि का सहारा लेकर अपने पति,सास,ससुर,ननद आदि को प्रताड़ित किया जा रहा है जो कि वास्तव में इनका दुरुपयोग है और समाज में भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है।

अतः सरकारों को कोई भी कानून बनाने से पहले उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए। इसके लाभ हानि आदि पर भी विभिन्न कानूनों की सहायता ली जानी चाहिए तथा कानून बनाते समय ही उसकी संपूर्ण खामियों एवं कमियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए।

भारतीय पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया :

समाज में जिस प्रकार अनेक बुराइयां, कुरीतियां व्याप्त होती हैं उसी प्रकार समाज में घटित होने वाले अपराधों को भी विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। इन अपराधों से मुक्त समाज की रचना को साकार करने या इन अपराधों पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। अपराध एवं उससे संबंधित कुछ धाराएं इस प्रकार हैं :

1. चोरी, चेन स्नेचिंग, घरों में चोरी, कार में चोरी, आयकर, वस्तु बिक्री कर इत्यादि की चोरी) (आईपीसी की धारा 378, 379, 380)
2. हत्या (गला काटना, जहर देना, गोली मारना, या व्यक्ति की अन्य प्रकार से हत्या) (आईपीसी की धारा 302, 307 हत्या का प्रयास करना)
3. अपहरण (फिरौती, या भीख मांगने के लिए किसी छोटे बच्चे का अपहरण, किसी अन्य कृत्य के लिए की गई, इत्यादि के लिए) (आईपीसी की धारा 362,365)
4. बलात्कार (जबरन किसी महिला से दुष्कर्म करना) (आईपीसी की धारा 376)
5. धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420)

6. बाल शोषण (बाल मजदूरी, घरों में काम, बच्चों से भीख मंगवाना) (बाल संरक्षण अधिनियम, 2005)
7. यौन उत्पीड़न (महिलाओं का कार्यस्थलों पर, बच्चियों इत्यादि का यौन उत्पीड़न) (आईपीसी की धारा 354क)
8. दहेज उत्पीड़न/हत्या (महिला से पैसा मांगना, न देने पर उसका उत्पीड़न/हत्या करना) (आईपीसी की धारा 302ख)
9. महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005)
10. साइबर अपराध (कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम इत्यादि से संबंधित), (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यवाही)
11. महिलाओं, बच्चियों से जबरन देह-व्यापार कराना (वेश्वावृत्ति)(आईपीसी की धारा 372, 373)
12. करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण (नकली नोट बनाना) आईपीसी की धारा 439क से 439ड. तक)
13. हवाला कारोबार(अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करना)
14. अश्लील वीडियो आदि का अवैध कारोबार,
15. डकैती (गिरोह में गांवों, ट्रेनों, इत्यादि में लूटपाट करना)
16. आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं उनमें मिलावट करना (प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है)
17. मानव तस्कारी/मानव अंगों की तस्कारी (दास/नौकर बनाना) (आईपीसी की धारा 370 से 373 तक)
18. अवैध हथियार रखना (शस्त्र अधिनियम,1959 की धारा 25 (1)(एए), अधिकतम 14 वर्ष की सजा का प्रावधान)

इसके साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी (भांग, धतूरा, हिरोइन, अफीम, गांजा, शराब इत्यादि), कर की चोरी (आयकर, सीमा शुल्क इत्यादि), अवैध

माल की तस्करी, उत्पाद शुल्क में चोरी, काले धन को वैध करना, प्राचीन कलाकृतियों की चोरी, अचल संपत्ति धोखाधड़ी, अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, कपटपूर्ण दिवालियापन, बैंक धोखाधड़ी, बीमा धोखाधड़ी, रोजगार में धोखाधड़ी, शेयरबाजर में हेराफेरी, अत्यावश्यक वस्तुओं का अवैध संग्रह एवं कालाबाजारी, सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी,अवैध विदेशी व्यापार आदि अनेक अपराध हैं जिनके लिए आईपीसी/सीआरपीसी के तहत विभिन्न संबंधित धाराओं में सजा का प्रावधान किया गया हैं।

प्रभावी कानून व्यवस्था के मार्ग में इस प्रकार की बाधाएं तब आती है जब बड़े-बड़े नेता या उद्योगपति पुलिस को अपने हाथ की कठपुतली समझने की भूल करते हैं। हालांकि पुलिस को कभी भी किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए और अपना कार्य करते समय पूरी तरह ईमानदारी एवं निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। कानून के लिए सभी समान हैं फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब छोटा हो या बड़ा।

पुराने कानून - आज के समय में अनुपयुक्त हो चुके पुराने कानूनों को समय-समय पर समाप्त करते रहना चाहिए और उनके स्थान पर समसामयिक एवं नए उपयोगी कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत बनाए गए थे जो भारत के नागरिकों को पूरी तरह से कुचलने के लिए ही बनाए गए थे। भारत सरकार को वास्तव में देश की तरक्की के लिए काम करते हुए पुराने एवं अनुपयोगी कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए। भारत में प्रभावी कानून व्यवस्था को लागू करने में आने वाली प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं :

1. अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 : भारत में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से अंग्रेज काफी घबरा गए थे और उन्होंने इस तरह के विद्रोह को दबाने के लिए भारत में पुलिस की व्यवस्था आरंभ करने का विचार किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक

मंगल पांडे सेना में सैनिक थे। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले से आरंभ हुई थी जो बाद में पूरे देश में एक चिंगारी की तरह फैल गई थी। अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए ही बनाये थे ये कानून, नियम, प्रक्रिया और नीति। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1961 बनाया गया था।

2. भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के तथ्य : अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण करने के लिए ही इस पुलिस अधिनियम को बनाया गया था ताकि भारतीय अपने शोषण के विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सकें। यही कारण है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के वीर सपूतों को फांसी की सजा दी गई। इसके साथ ही, अनेक बार फांसी की सजा नियत तिथि से पहले ही दे दी गई जैसे शहीद सरदार भगत सिंह के मामले में हुआ था।

3. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 : इसके तहत, विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के दंड का प्रावधान है। भारतीय पुलिस अधिनियम पर आधारित इसमें भारतीयों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था।

4. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 : आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अलग-अलग प्रकार के अपराधों में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसमें इसका पूर्ण वर्णन दिया जाता है। इसके साथ ही, इसमें आईपीसी की ज्यादातर धाराएं भी शामिल होती हैं।

5. पुराने कानून अप्रासंगिक : हमारे देश में बहुत से कानून आज अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्हें तत्काल निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने हाल ही में संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे बहुत-से पुराने कानूनों को निरस्त किया है जो आज किसी काम के नहीं रहे ।

6. नए कानूनों को स्थापित किया जाना : पुराने बेकार हो चुके कानूनों के स्थान पर नए कानूनों को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि देश में बिना वजह माननीय न्यायालयों का कीमती समय व्यर्थ न हो और यह महत्वपूर्ण समय अन्य मामलों को निपटाने में काम आए।

7. पुरानी नियमों आदि को हटाने और नए नियमों आदि को स्थापित करना : पुराने बेकार हो चुके नियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों आदि को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि समय के साथ बेकार हो चुके नियमों इत्यादि को निरस्त कर देने में ही भलाई होती है।

9. उचित कानून व्यवस्था का न होना : किसी देश की हर तरह की प्रगति करने के लिए वहाँ पर कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा होना अत्यन्त आवश्यक है। अच्छी कानून व्यवस्था के बिना कोई देश अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर सकता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह पहली शर्त है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए।

10. आर्थिक अपराधियों को विदेशों में शरण : पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए की चपत लगाकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी है। नीरव से पहले ही ब्रिटेन में भारत के कई भगोड़े शरण ले चुके हैं इसमें ललित मोदी, विजय माल्या, नदीम शैफी, टाइगर हनीफ, संजीव चावला, रवि शंकरण, लार्ड सुधार सुधारी, राजकुमार पटेल, राजेश कपूर और अब्दुल शाकूर जैसे लोग शामिल हैं। वर्ष 2013 से अब तक लभग 5500 से अधिक लोगों ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। भारत के 121 मॉस्ट वांटेड अपराधी 24 देशों में रह रहे हैं। इनके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार विभिन्न देशों से अपील भी कर चुकी है। भारतीय भगोड़े ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई और कनाडा में ज्यादा हैं।

भागे हुए कुछ आर्थिक अपराधियों का ब्यौरा –

क्र. सं.	देश का नाम	भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संख्या
1	अमेरिका	38
2	यू.ए.ई	20
3.	कनाडा	13

4.	ब्रिटेन	12
5.	जर्मनी	05
6.	सिंगापुर	05
7.	बांग्लादेश	03
8.	इटली	03
9.	नेपाल	03
10.	अन्य	19

भारत सरकार द्वारा मार्च 2018 तक विदेशों से कुल 65 व्यक्तियों का प्रत्यर्पण कराया गया है इनमें मोनिका बेदी, अबू सलेम,अब्दुल सत्तार, छोटा राजन, अनूप चेतिया,अब्दुल राऊ मर्चेंट आदि शामिल हैं। सबसे ज्यादा 17 प्रत्यर्पण यूएई से हुए। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को मंजूरी मिली।

11. बढ़ते साइबर अपराध : तकनीकी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन्मा एक नया अपराध साइबर अपराध है जो कि आज के समय में सबसे अधिक घटित होना वाला अपराध बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार साइबर अपराध वर्तमान में सभी अपराधों में सबसे अधिक जघन्य अपराध है, जो कि विश्व समुदाय और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अत: इसके लिए हमारे देश की पुलिस एवं सूचना तंत्र को पूरी तरह से मजबूत बनाना होगा जिससे साइबर अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। बढ़ते हुए साइबर हमले आज हमारे देश की आर्थिक प्रगति में बड़ा रोड़ा बन चुके हैं जिनसे निपटना सरकार के लिए बहुत जरूरी है।

12. नए कानून - जैसा कि कहा गया है कि भारत में मौजूदा पुराने अनुपयोगी कानूनों को समाप्त कर नए कानूनों को बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही

डिजिटलीकरण को बढ़ाया जाना चाहिए। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे देश में भूमि अभिलेख इत्यादि जैसे विभिन्न विभागों को कामकाज भी कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। देश में नए-नए कानूनों की अत्यंत आवश्यकता है जो कि देश को समय के साथ आगे ले जाने में मदद करेंगे। कानून बनाते समय हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता को बनाए रखा जाना चाहिए । जीएसटी आदि ऐसे ही कानून हैं जो कि देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। प्रक्रिया एवं नीति जैसे विभिन्न प्रक्रियाएं प्रशासन को लागू करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है और प्रभावकारी नीति का विश्लेषण करते हुए उसे भी कार्यान्वित किया जाता है। नीति हमेशा मानव मात्र की भलाई के लिए ही होनी चाहिए, धर्म, जाति, रंग, रूप, क्षेत्र, भाषा आदि से ऊपर उठकर कार्य किया जाना चाहिए ताकि देश में बंधुत्व की भावना बनी रहे।

अध्याय 10

भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रभावी कानून व्यवस्था एवं विविध तकनीक

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। हमारे देश में कानून को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। देश में आज भी बहुत से अमीर एवं दबंग लोगों की यह सोच है कि वे कानून से ऊपर हैं और पैसे के दम पर वे कानून से खिलवाड़ कर सकते हैं। हालांकि, हाल ही के कई मामलों में आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों ने यह सिद्ध किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। भारत में कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने एवं उसमें विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर उसे और अधिक कारगर सिद्ध करने में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को देश के नागरिकों की सोच में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे ताकि लोग यह मान सकें कि कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। हमारे देश में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बहुत ही जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा देश वर्षों अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहने के बाद आज भी अंग्रेजी मानसिकता से ऊबर नहीं पाया है। हमारे देश में आज भी अंग्रेजी भारतीयों के सिर चढ़कर बोलती है। लोग अपनी भाषा में बात करने में हीनता का अनुभव करते हैं जबकि अंग्रेजी में बातचीत करना शान का विषय माना जाता है। इस तरह लार्ड मैकाले की बनायी हुई नीति पूरी तरह से काम कर रही है। उसने कहा था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी यहाँ के लोग अंग्रेजी के गुलाम बने रहेंगे और इसी को लेकर उसने यहाँ पर स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो अंग्रेजों द्वारा बनायी गई पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के तहत ही भारत में कानून व्यवस्था को स्थापित किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुरूप संपूर्ण भारत को एक साथ लेकर चलना और उसके अनुसार कानूनों का पालन करवाना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देने के साथ ही, समान अवसर भी प्रदान करता है। हमारे देश में एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो, हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद अर्थात् राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि पर आसीन हो सकता है।

जहाँ हमारे देश के संविधान में नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं वहीं नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। इसलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के कानून को ही सर्वोपरि माने और उसके अनुरूप ही अपने सभी प्रकार के कार्यों को करेगा। प्रभावी कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए मानसिक सोच के साथ-साथ तकनीकी रूप से भी देश को सक्षम बनना होगा ताकि तकनीक का बेहतर उपयोग करके उत्कृष्ट कानून व्यवस्था लागू की जा सके।

प्रभावी कानून व्यवस्था हेतु तकनीकों का उपयोग बेहतर सिद्ध होता है। कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं -

फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अंतर्गत विधि विज्ञान विभाग (डीएफएस), विधि विज्ञान प्रयोगशाला आदि विभागों की सहायता से विकसित वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से लिखाई या अंगूठे इत्यादि के निशानों की पहचान की जाती है ताकि अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ा जा सके और चेक या डीडी या अन्य

राजस्व संबंधी दस्तावेजों पर की गई हेराफेरी को रोककर देश को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। आज के समय में इस क्षेत्र में नई नई तकनीक विकसित हो चुकी हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की लिखाई को बहुत ही आसानी से पहचान सकती हैं।

अपराधी के गिलास, पिस्टल, तलवार, चाकू, दीवार, दरवाजे, या अन्य किसी वस्तु पर रखे गए उसके हाथ के निशानों को बहुत ही बारीक तरीके से अध्ययन करके अपराधी को पहचान लिया जाता है और उसके फिंगर प्रिंट को आधार कार्ड में दिए गए फिंगर प्रिंट से मिलान कर लिया जाता है क्योंकि आधार कार्ड में व्यक्ति के फिंगर प्रिंट पहले ही मौजूद रहते हैं। फिंगर प्रिंट की पहचान से सबसे अधिक लाभ देश एवं राज्यों के राजस्व हानि को रोकने में किया जाता है। इससे चेक, डीडी या राजस्व संबंधी दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करने वाले या अंगूठा लगाने वाले लोगों की पहचान कर आरोपियों की पहचान सिद्ध की जाती है। इस प्रकार, दोषी पाए जाने पर उन्हें कानून द्वारा सजा प्रदान की जाती है जिससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि कानून के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इससे उन्हें कानून को मानने का भय व्याप्त होता है।

डीएनए जाँच की मदद से अपराध का पर्दाफाश करना :

यह कठिन परीक्षण होने के बावजूद काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। सक्षम प्राधिकारी से डीएनए जांच की मंजूरी मिलने के बाद अपराधी की स्पष्ट पहचान करने में यह बहुत मददगार है। विभिन्न प्रकार के अपराधों या दुर्घटनाओं इत्यादि के मामलों में हुई मृत्यु में मृतक की पहचान करने के लिए भी डीएनए जांच की जाती है। इससे अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ने में मदद मिलती है और दोषियों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा प्रदान की जाती है। आज के समय में डीएनए जांच बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। हालांकि, इस परीक्षण को करने से पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। बिना उसकी अनुमति के यह जाँच नहीं की जा सकती है। सक्षम न्यायालय द्वारा किसी मामले में उचित पाए जाने पर इसे जाँच करने का आदेश दिया जाता है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। डीएनए जाँच से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों में संबंधित व्यक्ति कौन है या किसी अपराध के संबंध में चल रही जाँच में किए गए डीएनए से यह पता

चलता है कि वह व्यक्ति उस अपराध में शामिल था या नहीं। अत: यह जाँच भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है और अपराधों के निस्तारण में इसकी अपनी अहम भूमिका सिद्ध हो रही है। बहुत सी घटनाओं में यह देखने में आता है कि आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया गया है और बाद में उसे आत्महत्या के रूप में बदल दिया गया है। हालांकि सभी को यह समझना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कैसा भी अपराध करने के बाद कुछ तो निशान अवश्य छोड़ जाता है जिससे उसे बाद में पकड़ लिया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई अपराधी कानून की सक्रिय प्रक्रिया से बच निकलता हो। हालांकि, कुछ मामलों में संदेह का लाभ अवश्य मिल जाता है।

सीसीटीवी कैमरों, आरएलबीडी कैमरों, एएनपीआर कैमरों, पीटीजेड कैमरों आदि का उपयोग :

तकनीक ने कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में काफी सहायता की है। हालांकि, यह भी सत्य है कि इसी तकनीक का उपयोग कर अपराधी भी बहुत अधिक शातिर हो रहे हैं। अपराधी भी विभिन्न प्रकार के अपराध करने में अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस को अपराधियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तकनीकी रूप से तो बहुत ही ज्यादा सजग एवं टेक्नोसेवी होना पड़ेगा। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे का सवाल है तो यह कैमरा आज पुलिस के लिए सबसे पहली पसंद बन चुका है। पुलिस किसी भी अपराध के घटना स्थल पर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की ही तलाश करती है। यदि वहाँ कहीं रास्ते में किसी स्थान पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है चाहे वह किसी सरकारी भवन पर हो या किसी निजी भवन पर, पुलिस वहाँ से उसकी फुटेज देखती है जिससे अपराधियों के बारे में कुछ सुराग मिल सके। अभी हाल ही में हुई दिल्ली दंगों की घटना के सीसीटीवी फुटेज से दंगाईयों की गिरफ्तारियाँ या कानपुर में मई 2022 में हुए दंगों की सीसीटीवी फुटेज से भी दंगाइयों की गिरफ्तारियाँ यह सिद्ध करती हैं कि सीसीटीवी कैमरे कितने अधिक कारगर हैं।

इनकी मदद से अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है और माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें सजा भी प्रदान की जाती है। सीसीटीवी कैमरे इसका जीता जागता उदाहरण हैं। अपराधियों की पकड़-धकड़ या उनकी पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में से एक है सीसीटीवी कैमरे, आज हर जगह बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुके हैं। लगभग सभी सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनियों, दुकानों, गली मुहल्लों, मॉल, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों इत्यादि पर सीसीटीवी कैमरों को सहज ही देखा जा सकता है। जहाँ ये कैमरे अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए विवश करते हैं वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोकने में बहुत अधिक हद तक लगाम लगाने में मदद मिली है। हालांकि, कुछ शातिर अपराधी अपराध करने से पूर्व सीसीटीवी कैमरों को ही तोड़ देते हैं जिससे उनका चेहरा या उनकी पहचान कैमरे में कैद न हो पाए। किन्तु अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो कोई न कोई सुराग अवश्य छोड़ जाता है।

आज सीसीटीवी का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत से राज्यों एवं शहरों में सभी मुख्य चौराहों, इत्यादि पर सीसीटीवी कैमरों को सहज ही देखा जा सकता है जो कि अपराध प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं ताकि वहाँ पर अपराध में कमी आए। वास्तव में, हुआ भी ऐसा ही है, इन कैमरों के लगने के बाद अपराधों में कमी आयी है। **आरएलबीडी कैमरों** का उपयोग चौराहों पर लगी रेड लाइट जम्प करने की स्थिति में गाड़ियों की फोटो कैप्चर करता है और उनका रिकार्ड रखता है। इसी प्रकार, एएनपीआर कैमरा नंबर प्लेट से गाड़ी का नंबर कैप्चर करता है तथा **आरएलबीडी कैमरे** से साम्य स्थापित करते हुए प्रत्येक उल्लंघनकर्ता वाहन का नंबर दर्ज करता है। इसी तरह, **पीटी जेड कैमरा** घूमते हुए लगतार चौराहे के आसपास आने वाले वाहनों, रुके हुए वाहनों की छवि को दर्ज करता है। इस तरह ये सभी कैमरों एक दूसरे से साम्य स्थापित करते हुए अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। साथ ही, इनके उचित उपयोग करने से अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है।

अलार्म/फायर अलार्म सिस्टम का उपयोग :

प्राकृतिक घटनाओं को तो नहीं रोका जा सकता है किन्तु विभिन्न प्रकार मानव भूल जनित घटनाओं को रोकने में अवश्य मदद मिल सकती है। अलार्म/फायर अलार्म सिस्टम भी ऐसी ही तकनीक है जो कि किसी स्थान या भवन, इत्यादि में आग लगने से पहले ही सचेत कर देती है। इस अलार्म के बजने पर यदि पूरी मुस्तैदी दिखाई जाए तो आग की बहुत बड़ी अप्रिय घटना को घटने से रोका जा सकता है। फायर अलार्म सिस्टम छोटी से छोटी धुंआ संबंधी गंध को सेंसर के माध्यम से पहचान कर बजना आरंभ कर देता है जिससे जान एवं माल की होने वाली हानि को रोकने में मदद मिल सकती है बशर्ते कि हम भी उतने ही सतर्क रहे और शीघ्र ही इस संबंध में उपचारात्मक उपाय करें।

इसके साथ ही, कभी कभी गलती से कोई अपराधी जो कि धूम्रपान का आदी होता है वह अनजाने में ही बीड़ी या सिगरेट इत्यादि का सेवन करता है और फायर अलार्म बजने लगता है जिससे उस अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलती है और होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है।

इसके लिए, सभी लोगों को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। इन तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्र ही पकड़ा जा सके या अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके या घटना स्थल पर शीघ्र ही सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

मोबाइल फोन को ट्रैकिंग सिस्टम (जीपीएस सिस्टम) पर लगाने की तकनीक :

किसी जमाने में मोबाइल या वायरलैस इत्यादि का प्रयोग कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों इत्यादि तक ही सीमित हुआ करता था किन्तु आज देश का कोई भी नागरिक मोबाइल का उपयोग कर सकता है। हालांकि, वायरलैस इत्यादि उपकरणों को प्रयोग आज भी सेना इत्यादि जैसे संगठनों तक ही सीमित

है। चूंकि मोबाइल ने आज पूरे देश के नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ रखा है। जहाँ यह मोबाइल एक दूसरे को सूचना या जानकारी प्रदान करने का कार्य कर रहा है वहीं दूसरी ओर अपराधी इसका उपयोग अपराध करने में करने लगे हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि में भी इनका उपयोग होने लगा है। लोग मोबाइल पर कोड भाषा में बातचीत करते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। दुनिया के आरंभ से ही अच्छाई एवं बुराई दोनों साथ साथ ही रहे हैं। इसलिए जहाँ कुछ लोग इसका सुदपयोग करते हैं वहीं दूसरे कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तकनीक तो तकनीक है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग देश या समाज की भलाई के लिए करें या बुराई के लिए ।

इस तरह के वैज्ञानिक उपकरणों का पुलिस एवं अपराधियों सहित सभी लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। अधिकांश आपराधिक मामलों को सुलझाने में अपराधियों के मोबाइल नं. की लोकेशन का पता लगाकर अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में फरार अपराधियों को पकड़ा जाता है और सच्चाई को सामने लाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। मोबाइल की लोकेशन से पता चल जाता है कि कोई अपराधी कहाँ पर है और अब उसकी योजना किस दिशा में या किस राज्य में है। बहुत से अपराधी किसी एक राज्य में अपराध करने के बाद अपने गृह राज्य या गृह जनपद में भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करके उनका पता लगाया है और उनके द्वारा किए गए अपराध हेतु उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिलवाई है।

यह भी सत्य है कि अपराधी जिस मोबाइल का सहारा लेकर बहुत ही शातिर तरीके से अपराधों को अंजाम देते हैं, पुलिस उन मोबाइल नंबरों की सहायता से उन तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर उचित सजा दिलवाती है। इस तरह से, मोबाइल ट्रैकिंग (जीपीएस सिस्टम) से भी काफी आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। अपराधमुक्त देश या समाज

की संकल्पना से ही देश की आर्थिक प्रगति का रास्ता खुलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पुलिस प्रशासन को इसमें महारत हासिल करनी चाहिए और उसके पास सभी अपराधियों के मोबाइल नं. इत्यादि अवश्य होने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने उनका उपयोग किया जा सके।

जाली दस्तावेजों/कागजातों जैसे फर्जी पैन, आधार कार्ड आदि की जांच करना :

आजकल विभिन्न उपकरणों की मदद से फर्जी दस्तावेजों/कागजातों को सुगमतापूर्वक तैयार कर लिया जाता है और देश को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। हाल ही में प्रकाशति रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी संख्या में नकली नोटों को पकड़ा है जिनकी एफआईआर (प्राथमिकी) विभिन्न बैंकों द्वारा देश के अलग अलग थानों में दर्ज की गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि अपराधी फर्जी, नकली नोट, दस्तावेज तैयार करने में निरंतर सक्रिय हैं। ऐसे अपराधों के कारण आर्थिक नुकसान पहुंचने के साथ साथ देश में काला धन बढ़ता जाता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। इसके साथ ही, विभिन्न फर्जी पैनकार्ड, आधारकार्ड, दस्तावेजों इत्यादि के माध्यम से बैंकों आदि वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते वक्त ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। इससे देश को राजस्व हानि तो होती ही है। इसके साथ ही देश की विश्व स्तर पर छवि भी खराब होती है जो कि भविष्य में किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इस प्रकार के फर्जी दस्तावेजों इत्यादि की जांच करने के लिए अधिकृत एवं सरकारी वेबसाइट पर जाकर इनकी वास्तविकता की जांच की जानी आवश्यक है। आधार कार्ड के आने के बाद, अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके साथ ही, हत्या, अपहरण, बलात्कार या सड़क/रेल दुर्घटना में मृत्यु के मामलों आदि में आधार कार्ड की मदद से भी उस व्यक्ति की पहचान की जाती है क्योंकि आधार कार्ड में उस व्यक्ति की अंगूलियों के निशान होते हैं।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों इत्यादि की बहुत ही सावधानीपूर्वक जाँच पड़ताल की जानी चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी धोखाधड़ियाँ इन आधारभूत दस्तावेजों के कारण ही अंजाम दी जाती हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें और इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की अवश्य जाँच कर लें। इससे जहाँ एक ओर अपराध को घटित होने से रोका जा सकता है वहीं दूसरी ओर आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि देश को हुए आर्थिक नुकसान से देश की आर्थिक प्रगति भी अवरुद्ध होती है।

विभिन्न शैक्षिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की जांच करना :

फर्जी दस्तावेजों को रोकने के लिए विभिन्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों/लाइसेंसों/पासपोर्ट/पहचान पत्रों आदि की जांच भी सरकारी एवं अधिकृत वेबसाइटों पर ही करनी चाहिए ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और देश को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। आज जिस तेजी से फर्जी या नकली दस्तावेजों इत्यादि को तैयार किया जाता है, उन्हें रोका जाना उतना ही आवश्यक हो गया है। आजकल विभिन्न तकनीकी उपकरणों की सहायता से इस तरह की चीजों का निर्माण किया जाता है कि असली या नकली दस्तावेजों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कभी कभी तो सरकारी या अधिकृत वेबसाइटों की भी फर्जी वेबसाइट बना दी जाती हैं। इसलिए दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते समय हमेशा सावधान रहें और यह देखें कि आप उचित तरह से अधिकृत माध्यम से ही सरकारी अधिकृत वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर चीजों का चेक करते हैं।

कई बार गूगल ब्राउज के माध्यम से आरंभ में दिखने वाली वेबसाइट नकली होती हैं जो कि धोखा देने के लिए ही सबसे पहले रखी जाती हैं और जल्दबाजी एवं भूलवश हम सभी लोग उनको ब्राउज करने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। ऐसी वेबसाइट से बड़ी संख्या में लोग शिकार हो चुके हैं। शायद यही कारण है कि आज लोग भौतिक अपराध के

मुकाबले साइबर अपराध के ज्यादा शिकार हो रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों को नकली रूप में तैयार कर लिया जाता है और उनके आधार पर कई शातिर लोग सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों इत्यादि में नौकरी भी पा जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि को भी नकली या फर्जी तरीके से तैयार कर लिया जाता है और अपराधी पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए, अब इस तरह के दस्तावेजों की अनिवार्य जाँच की जानी चाहिए ताकि देश में नकली या फर्जी दस्तावेजों के चलन को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार के फर्जी या नकली दस्तावेज तैयार करने वालों को कानून की दृष्टि में बड़ा अपराधी माना जाना चाहिए और देश के विरुद्ध षडयंत्र रचने संबंधी धाराओं में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा उचित सजा दी जानी चाहिए जिससे देश के लोगों में इस तरह के कृत्य करने से पहले डर का खौफ बना रहे। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, तहसीलों इत्यादि में फर्जी दस्तावेजों आदि के कारण बहुत बड़ी हेराफेरी होती है। उसे रोकने के लिए सतर्कता एवं उचित जांच की जानी चाहिए ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन विभागों में नौकरी पाने वाले या अन्य कोई अवैध कार्य करने वालों को गिरफ्तार करवाया जा सके।

बैंकों द्वारा चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट आदि की प्रमाणिकता की जांच करना :

आर्थिक नुकसान को रोकने के उद्देश्य से सभी बैंकों द्वारा जारी चेकों, ड्राफ्टों आदि की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए ताकि चेक या डिमांड ड्राफ्ट आदि के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ियों इत्यादि को आरंभ में ही रोका जा सके। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में बैंकों में फर्जी चेक, डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर बैंकों इत्यादि वित्तीय संस्थानों को करोड़ों रुपयों का चुना लगया जा रहा है जो कि देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा रोड़ा है।

शायद यही कारण है कि आज भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है क्योंकि डिजिटल माध्यम से होने वाले लेनदेनों में इस तरह की धोखाधड़ी पर पूर्णत: विराम लग जाता है। हालांकि, बहुत से शातिर लोग ऑनलाइन लेनदेनों में भी धोखाधड़ी करने लगे हैं और देश की सीधी-साधी जनता के पैसे को धोखाधड़ी करके अन्य किसी व्यक्ति के खाते में अंतरित कर देते हैं जिससे उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, देश की आम जनता को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, सीवीवी नं. इत्यादि को नहीं देना चाहिए इससे उस व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जागरूकता के लिए सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन को जागरूकता फैलाने के लिए चुना है जिसमें वे आरबीआई के माध्यम से आम लोगों को बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति से अपने बैंक खाते संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा न करें। इस प्रकार, हम सभी अपनी अपनी जागरूकता बढ़ाकर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं और देश को होने वाली हानि को रोककर देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।

प्रभावी कानून व्यवस्था में तकनीक के अनुसंधान एवं विकास पर विशेष जोर देना :

आज का युग वैज्ञानिक अनुसंधान का युग है। वर्तमान में हमें वैज्ञानिक तकनीकों में और अधिक अनुसंधान एवं विकास करने की आवश्यकता है। प्रभावी कानून व्यवस्था में तकनीक का महत्व तो सभी को पता चल चुका है। इसलिए, अब वक्त आ गया है कि तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को एक अभिन्न अंग बना दिया जाए जिससे देश में अपराधों एवं अपराधियों की संख्या में कमी आए। देश में विभिन्न अनुसंधानों की सहायता से आर्थिक प्रगति करने में मदद मिलेगी। अभी मोबाइल फोन के बंद हो जाने के बाद उसकी अंतिम लोकेशन तो पता चल जाती है कि मोबाइल कहां बंद हुआ है लेकिन उसके

बाद उसके मूवमेंट का कोई पता नहीं चलता है। अपराधी इस बात का फायदा उठाते हैं।

इस दिशा में कोई कारगार खोज या आविष्कार करें ताकि मोबाइल बंद होने के बाद भी पीड़ित या अपराधी का पता लगाया जा सके। वास्तव में, इससे एक नई क्रांति आएगी जो विशेष रूप से अपराधियों के हौसलों को पस्त करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी। हमारे देश में पुलिस विज्ञान, अपराध विज्ञान, सुधारात्मक प्रशासन आदि में अध्ययन कराया जाना चाहिए जिससे देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों इत्यादि में पुलिस जैसे सामाजिक विषयों पर पाठयक्रमों को तैयार कर बच्चों को विभिन्न अपराधों के बारे में आरंभ में ही ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों, अपराधों से अपने आप को बचाने में कामयाब रहे और समाज में अपराध मुक्त भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। अनुसंधान एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही अधिक विस्तृत है। इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। हमें केवल उसे सही तरह से खोजने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों–मुनियों इत्यादि ने आज के जमाने में खोजी गई लगभग सभी तकनीकों का आविष्कार कर लिया था। हमें आज उन तकनीकों को निखारने की आवश्यकता है।

हमें अपनी प्राचीन संस्कृति विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन करके यह समझना होगा कि किस तरह से और अधिक उन्नत तकनीक को विकसित किया जाए। आचार्य सुश्रुत जो कि चिकित्सा विज्ञान के सर्वप्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं, उस जमाने में वे लगभग 250 तरह की शल्य चिकित्सा किया करते थे और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से इस तरह की क्रियाओं का अंजाम दिया करते थे। आर्यभटट, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, आचार्य वात्सयायन इत्यादि ने बहुत से अनुसंधान किए हैं। हमारे देश में विमान उड़ाने तक की तकनीक प्राचीन काल में ही विकसित हो चुकी थी। हमें भी इन अनुसंधानों को आगे बढ़ाना चाहिए और नई-नई तकनीक विकसित करनी

चाहिए जो कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सहित सभी तरह से उन्नति में सहायक सिद्ध हो।

बायो टेक्नोलॉजी आदि का उपयोग :

आज देश हर तरह से प्रगति कर रहा है। इसमें कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं रहना चाहिए। बॉयो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अधिक से अधिक अनुसंधान किए जाने चाहिए। इसमें अनुसंधान से विभिन्न प्रकार की जैविक चीजों को तैयार करने एवं खाद्य पदार्थों के रखरखाव में सुविधा होती है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तकनीक का उपयोग देश की आर्थिक प्रगति के लिए होना चाहिए। देश के नागरिकों की अच्छी सेहत के लिए इसकी तकनीकों का उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोपरि होता है। यह तकनीक अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों एवं कानून व्यवस्था से जुड़ी है क्योंकि बहुत से लोग खाद्य पदार्थों इत्यादि में मिलावट करते हैं ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए उन्हें कानून के अनुसार उचित दंड एवं सजा दिलवाई जानी चाहिए। गलत कार्यों को करने वालों को सजा दिलवाने से समाज में अच्छा संदेश जाता है और लोग यह महसूस करते हैं कि यदि कोई गलत कृत्य करता है तो उसे सजा मिल सकती है।

ड्रोन कैमरों आदि की सहायता :

आजकल यह देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तकनीक का दुरुपयोग पहले करना आरंभ करते हैं। किसी भी तकनीक का उपयोग अलग अलग तरह से होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। वर्तमान में देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। विशेष रूप से जब किसी राज्य इत्यादि में संवेदनशील मतदान केंद्र आदि पर मतदान किया जाता है तो वहां पर ड्रोन कैमरों आदि से निगरानी रखी जाती है। दुर्गम या पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान या

वस्तु पहुंचानी हो तो भी ड्रोन कैमरों की मदद ली जाती है। इसके साथ ही, दूर-दूर तक जंगलों में चंदन या जंगली जानवरों के शिकारियों, मादक पदार्थों की तस्करी, इत्यादि की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाती है और अपराधियों की पहचान होते ही उन्हें पकड़ने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। आज सीसीटीवी कैमरों की तरह ही यह भी बहुत लाभदायक उपकरण है जिसका उपयोग देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम करने में किया जाता है।

चिकित्सा परीक्षण एवं पोस्टमार्टम :

विभिन्न अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों की जाँच-पड़ताल करने के लिए कई बार पीड़ित पक्ष के लोगों का चिकित्सा परीक्षण करना पड़ता है जिसकी वैज्ञानिक तकनीक के कारण अपराधियों का पर्दाफाश करने में सहायता मिलती है। इसमें विभिन्न प्रकार के सैम्पल लेने होते हैं और उनकी विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं इत्यादि में जाँच पड़ताल की जाती है और घटित घटनाओं एवं अपराधियों से इनका संबंध देखा जाता है। इसके साथ ही, विभिन्न अपराधों को सिद्ध करने के लिए पोस्टमार्टम की भी सहायता ली जाती है जिससे यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसकी हत्या की गई है या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है या उसने आत्महत्या की है। इस तरह से, यह पता चलता है कि समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से हुई है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से। अपराध के आंकड़ों को सहेजना भी देश में हो रही आपराधिक गतिविधियों को जानने के लिए काफी उचित होता है।

शायद यही कारण है कि देश में आजादी के बाद से ही, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी) का गठन किया गया है जो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पूरे देश में सभी राज्यों के थानों के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी प्रकार के अपराधों जैसे, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी, महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराध, नक्सलवाद, आतंकवाद, दहेज, घरेलू हिंसा,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी अपराध इत्यादि का पूर्ण विवरण सहित रिकार्ड रखा जाता है जिससे यह पता चलता है कि देश में कहाँ कहाँ कौन सा अपराध अधिक हुआ है या किस राज्य या जिले में अपराधों की संख्या काफी कम है। एनसीआरबी के माध्यम से इनका रखरखाव किया जाता है और विभिन्न प्रकार के अध्ययनों इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है।

आज भी किसी की अचानक मृत्यु होने के मामले में चिकित्सा परीक्षण एवं पोस्टमार्टम तकनीक बहुत प्रभावशाली है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण जानने में मदद मिलती है। देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनमें हत्या को आत्महत्या का रंग दिया गया, किन्तु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सिद्ध हुआ कि वास्तव में वह आत्महत्या नहीं अपितु हत्या थी और इस प्रकार, पुलिस असली हत्यारों तक पहुंचने में कामयाब हो पायी। इसलिए, आज तकनीक के बिना चल पाना काफी मुश्किल हो चुका है। भलाई इसी में है कि पुलिस प्रशासन अपने आपको तकनीकी क्षेत्र में कुशल बनाए और देश को अपराध मुक्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत बना रहे। इस प्रकार, सभी उपायों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और अपराधों एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है।

इसके साथ ही, इन उपायों के करने से देश में आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक इत्यादि प्रगति भी होती है। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। देश में आर्थिक प्रगति हेतु पारदर्शिता एवं तटस्थता बहुत ही जरूरी है। देश की प्रगति अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी हमेशा ही अपने से बड़े उच्चाधिकारियों के कार्यों एवं आचरण का ही अनुसरण करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग :

विभिन्न प्रकार के अपराधों की जाँच करने में आज वैज्ञानिक उपकरणों की बहुत अधिक मात्रा में उपयोगिता बढ़ गई है। आज हमें विभिन्न अपराधों को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के अनेक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। इन उपकरणों में मुख्य नाम इस प्रकार हैं –

क्र.सं.	उपकरण का नाम
1	हैंड हैल्ड वॉल स्कैनर्स
2	हैंड हैल्ड मेटल डिटेटर्स
3	3 डी ग्राउंड स्कैनर
4	एक्सरे बैगेज स्कैनर
5	पोर्टेबल डॉक्यूमेंट स्कैनर
6	3 डी लेजर स्कैनर
7	ब्रैथ एनालाईर
8	हैंड हेल्ड केमिकल एनालाईजर
9	लेजर डिस्टेंस मीटर
10	रेस्क्यू रडार
11	अंडरग्राउंड सर्च लोकेटर
12	रिमोट एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स
13	हैंड हेल्ड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स
14	पोर्टबल अंडर व्हीकल सर्विलांस स्कैनर

इसके साथ ही, विभिन्न प्रकार के अपराधों को समाज से समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती है जो कि कहीं न

कहीं देश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करती हैं। इन प्रक्रियाओं की सहायता से शीघ्रतापूर्वक अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दंड दिलवाने का कार्य करवाया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में से कुछ मुख्य प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	प्रक्रिया
1	न्यायिक सिद्धांत
2	चिकित्सा विधिक विज्ञान
3	न्यायिक मानवशास्त्र
4	न्यायिक मनोविज्ञान
5	न्यायिक मनोविकृत्ति विज्ञान
6	न्यायिक जीवविज्ञान
7	न्यायिक रसायन शास्त्र
8	डीएनए समलक्षणी विज्ञान
9	न्यायिक विष विज्ञान
10	अंगुलि छाप न्यायिक विश्लेषण
11	हथेली छाप न्यायिक विश्लेषण
12	दस्ताना छाप न्यायिक विश्लेषण
13	जूते के निशानों का न्यायिक विश्लेषण
14	कला संबंधी न्यायिक विज्ञान
15	बंदूकों का न्यायिक परीक्षण
16	डिजिटल न्यायिक विज्ञान
17	न्यायिक अभियांत्रिकी विज्ञान

18	दुर्घटना पुन:संरचना तकनीक
19	न्यायिक भाषा विज्ञान
20	लिखावट का न्यायिक विश्लेषण
21	पॉलीग्राफ या लाईडिटेक्टर परीक्षण
22	बॉयोमेट्रीक तकनीक
23	सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपयोग
24	मोटर वाहनों का ई-रजिस्ट्रेशन

इस तरह, ये विश्लेषण एवं प्रक्रियाएं देश में अपराधियों की दोष सिद्धि एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। वास्तव में आज यह सिद्ध हो चुका है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में तकनीक ने बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया है जिससे देश में आर्थिक प्रगति का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अध्याय 11

प्रभावी कानून व्यवस्था की अपेक्षाएं

प्रभावी कानून व्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी देश राज्य या क्षेत्र की ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें सभी नागरिक सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करते हैं। वहां का प्रत्येक नागरिक उस क्षेत्र राज्य या देश के कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। इसलिए ऐसी जगहों पर पूर्णता कानून का राज होता है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था को ही प्रभावी कानून व्यवस्था कहा जाता है। कानून व्यवस्था को बेहतर एवं दुरुस्त बनाए रखने हेतु इसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं :-

1. **निष्पक्षता, तटस्थता एवं वस्तुनिष्ठता का होना :** किसी भी अपराध में पुलिस विभाग के जाँच अधिकारी को निष्पक्ष, तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। किसी भी निजी कारण का जाँच इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा जाँच प्रभावित हो सकती है।

2. **पुलिस बलों का पुन: गठन करना :** वर्ष 1902 में द्वितीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस बलों का पुनर्गठन किया गया था। 1991 में उदारीकरण के बाद आर्थिक अपराधों की जाँच के लिए वर्ष 1994 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो में आर्थिक अपराध संभाग की स्थापना की गई। विधि आयोग ने भी अपनी 47वीं रिपोर्ट में आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। इसके बाद साइबर अपराध रोकथाम की दिशा में भी सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

3. **त्वरित कार्रवाई–उचित समाधान :** जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट को शीघ्रतातिशीघ्र प्रदान करना चाहिए। त्वरित कार्रवाई

करते हुए उसमें उचित समाधान प्रदान करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए ताकि समाज में पुलिस की विशेष भूमिका निर्धारित हो सके।

4. पुलिस सेवा में मानव संसाधनों का प्रबंधन : जिस प्रकार अन्य संगठनों में मानव संसाधनों या कार्मिकों का महत्व है, उसी प्रकार पुलिस में भी कार्मिकों के उचित प्रबंधन का बहुत अधिक महत्व है। 41वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में भी इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि किसी संस्था में संख्या की अपेक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता ही उनकी वास्तविक प्रभावशीलता सिद्ध करती है। तेजी से बदल रहे परिवर्तनशील लोकतांत्रिक देश में पुलिस की भूमिका पर इसमें उपस्थित उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गेट अल्वा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण के कारगर उपायों के साथ साथ पुलिस को जन समुदाय के प्रति और अधिक संवेदनशील होना होगा। पुलिस कर्मियों के कौशल में दक्षता लाने और मानवीय रूप से संवेदनशील बनने पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

5. पुलिस बल में समुचित कार्मिकों की भर्ती : हमारे देश में आज भी काफी कम संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख लोगों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए जबकि भारत में यह संख्या 182 है और वास्तव में खाली पदों के कारण यह संख्या प्रति लाख लोगों पर 139 ही है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय पूरे देश की पुलिस को अपनी ओर से मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। हालांकि, पुलिस व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकार का होता है।

6. नई भर्ती किए गए पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण : पुलिस बल में जो भी पुलिसकर्मी नवनियुक्त होता है तो उसे तत्काल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और यह प्रशिक्षण इस तरह का होना चाहिए कि समाज में समान्जस्य स्थापित करते हुए देश की आर्थिक प्रगति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता

है। बिना उचित प्रशिक्षण के पुलिस कार्मिकों को बहुत सी बुनियादी बातों को पता नहीं होता है जिससे उनके द्वारा कोई गलती हो सकती है।

7. कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार करना : पुलिस बल में सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिए। आज समाज में पुलिस की छवि काफी खराब हो चुकी है। कोई भी सामान्य व्यक्ति पुलिस को अच्छा नहीं समझता है। हालांकि बहुत से पुलिस कार्मियों ने ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें जनता द्वारा सराहना प्रदान की गई है और शायद यही एक मात्र रास्ता है जिससे पुलिस की खोयी हुई छवि को पुन: प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस बल में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डिजीटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे इसका लाभ देश की आर्थिक प्रगति के रूप में मिल सके।

8. विधि एवं कानून का अच्छा ज्ञान होना : सभी पुलिस कार्मिकों को भारतीय पुलिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता इत्यादि की विभिन्न धाराओं आदि का वृहत ज्ञान होना चाहिए। यदि किसी पुलिस कार्मिक द्वारा किसी संदिग्ध अपराधी पर गलत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और इसका पता रिपोर्टरों इत्यादि को हो जाता है तो पुलिस की काफी फजीहत होती है। इसलिए कोई भी धारा लगाने से पहले उसका सही प्रकार से विश्लेषण कर लेना चाहिए और पुलिस कर्मियों को कौन सा अपराध किसी श्रेणी में आता है, इसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है।

9. सभी पुलिस बल कार्मिकों को तकनीकी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना : आज का युग तकनीकी का है। पुराने युग में भर्ती हुए पुलिस कार्मिक ज्यादातर सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। अत: आज जो भी पुलिस कार्मिक सेवा में आ रहे हैं उन्हें तकनीकी को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे समाज में बढ़ रहे विशेष रूप से मोबाइल, कम्प्यूटर इत्यादि से संबंधित साइबर अपराधों की छानबीन में शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

10. आधुनिक उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग : रोजमर्रा के सरकारी कामकाज को करने एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अधिक से अधिक उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस बल में कुछ मॉडल जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, मोटरसाइकिल, कार आदि काफी पुराने मॉडल के हो चुके होते हैं, और यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो वे कई बार काम ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ही आज पुलिस को आधुनिक किया गया है। पुलिस बल में उच्च तकनीक की मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि से पैट्रोलिंग आदि की जाती है। पैट्रोलिंग कार, लैपटॉप, वायरलैस फोन इत्यादि ने पुलिस के कार्य को सुगम बनाया है। अपराधियों को पकड़ने में भी इनसे काफी मदद मिलती है। अत: अब समय आ गया है कि पुलिस को प्रौद्यगिकी को उपयोग करते हुए अधिक से अधिक गुणवत्ता हासिल करनी चाहिए और समाज में अपराधियों से मुक्त करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

11. आम नागरिकों को कानून की जानकारी : पुलिस बल आम जनता की सहायता और सेवा के लिए होता है। उसे आम लोगों को कानून की जानकारी देनी चाहिए और विधि से संबंधित विभिन्न नियमों, उप नियमों, अधिनियमों इत्यादि के बारे में भी जागरूक करना चाहिए।

12. शिक्षा का प्रचार प्रसार : समाज में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब तक कोई समाज में शिक्षित नहीं होता है तब तक वहाँ पर जागरूकता को पूरी तरह से नहीं फैलाया जा सकता है। साक्षरता दर जितनी अधिक होगी, समाज उतनी तेजी से ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा।

13. बच्चों को नियमों की जानकारी होना : आरंभ से ही बच्चों को समाज में विभिन्न प्रकार के नियमों इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों का दिमाग बहुत ही जल्दी चीजों को ग्रहण करता है और यही कारण है कि बचपन में बतायी गई बातों मनुष्य के जीवन भर याद रहती हैं।

14. नियम का पालन : देश के नागरिक सभी नियमों, कानूनों आदि का पूर्ण पालन करें तथा पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि देश

को अपराध मुक्त करने में पुलिस को मदद मिल सके। पुलिस बल को समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर देश के नागरिकों को नियमों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और नागरिकों को भी नियमों यथा ट्रैफिक नियमों, ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियम इत्यादि का पालन करना चाहिए। क्योंकि जहां नियमों का पालन होता है वहां कानून-व्यवस्था अपने आप अच्छी बनी रहती है और जहाँ कानून व्यवस्था ठीक रहती है वहाँ पर सभी प्रकार की प्रगति होती है।

15. जागरूकता कार्यक्रम : भारत सरकार के अलावा, गैर-सरकारी संगठनों आदि को भी समय-समय पर कानून संबंधी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए जिससे देश की जनता अधिक से अधिक संख्या में कानूनों इत्यादि के बारे में जागरूक हो सके।

16. जानकारी प्रदान करना : भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, बैंकों, बीमा कंपनियों इत्यादि से संबंधित नियमों इत्यादि की जानकारी आम जनता को प्रदान की जानी चाहिए। इससे नागरिकों में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और उनमें समझ विकसित होगी जो कि देश की आर्थिक प्रगति में कहीं न कहीं अवश्य सक्रिय योगदान करेगी। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय और तालमेल से समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी।

17. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) : विभिन्न महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी देश के सभी नागरिकों को जागरूकता की दृष्टि से बतायी जानी चाहिए। इसके लिए प्रचार प्रसार के अनेक माध्यमों को उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न अपराधों के संबंध में भारतीय नागरिकों को सरल भाषा में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अनजाने में भी किसी अपराध को करने से सावधान रहें।

18. भ्रष्टाचारमुक्त भारत : भ्रष्टाचारमुक्त समाज में ही प्रभावी कानून व्यवस्था हो सकती है। भ्रष्टाचार को हर प्रकार से समाप्त किया जाना चाहिए ताकि देश की आर्थिक प्रगति शीघ्रता से हो सके। इसे कम करने का आसान

उपाय यह है कि अधिक से अधिक डिजीटलीकरण का उपयोग किया जाए और सभी प्रकार के कार्यों को करने में कम्प्यूटर का उपयोग किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ आदि की कोई गुंजाइश न हो। सभी प्रकार के अनिवार्य डाटा को विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए क्योंकि जानकारी होने से ही भ्रष्टाचार में काफी कमी आती है।

19. पुलिस को सहायोग प्रदान करना: कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों को भी पुलिस का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। अपराधमुक्त भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब उसमें पुलिस बल को नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिले ताकि अपराधियों के हौसले शुरु में ही पस्त हो जाएं। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जनता के सहयोग से और सरकार के समर्थन से, आज उत्तर प्रदेश में अपराधी खौफ में हैं।

20. पुलिस कार्यों में स्वायत्ता : पुलिस को अपने कार्यों को करने में पूरी स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, जो भी जाँच पड़ताल इत्यादि की जाए वह नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए जिससे निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सके।

21. पुलिस में सकारात्मकता को बढ़ाना : पुलिस को भी सकारात्मक छवि निर्माण एवं नागरिकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पुलिस को समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए नए मानवीय मूल्यों एवं प्रतिमानों को स्थापित करना चाहिए ताकि बेहतर छवि निर्माण हो सके क्योंकि इस प्रकार के कृत्यों से ही देश की आर्थिक प्रगति होती है और समाज आगे बढ़ता जाता है। सकारात्मक छवि निर्माण करने में पुलिस को बहुत प्रयास करना होगा। हाल ही में, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बहुत से पुलिस कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आम जनता की मदद की और उन्हें खाने पीने, आने जाने एवं रहने तक की सुविधा उपलब्ध करवायी। इस प्रकार के कार्यों से देश में पुलिस की छवि बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

22. समान व्यवहार व आचरण करना : पुलिस कार्मिकों द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार व आचरण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा भी आम जनता के साथ इज्जत एवं सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण के तैयार हो जाने के बाद, समाज में अच्छा माहौल बन जाता है जो कि देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग प्रदान करता है।

24. आर्थिक अपराध अनुसंधान क्षमता बढ़ाना : हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, गोरे कमेटी 1971-73, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81, इत्यादि की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अपराध से निपटने के लिए अनेक सिफारिश की गई हैं। मलिमथ समिति 2001-2003, संगठित अपराधों-राजनेताओं के बीच गठजोड़ के संबंध में वोहरा कमेटी एवं बैंकों में धोखाधड़ी की रोकथाम के संबंध में मित्रा कमेटी की रिपोर्ट 2001 की मुख्य सिफारिशों को शामिल किया जाना तर्कसंगत है। इतने अधिक कानून होने के बावजूद हमारे देश में आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। अत: कानूनों का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य हो गया है। केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी कार्यालय विभागों आदि में आपसी समन्वय स्थापित किया जाए। जन कल्याण ही किसी भी सरकार एवं सरकारी योजना का मूल उद्देश्य होता है। उसे जन सामान्य तक पहुंचाया जाए और सभी नागरिक अच्छी तरह से नियमों का पालन करें तो आर्थिक प्रगति अवश्य होगी।

25. विभिन्न संबंधित विभागों का प्रभावी कार्यान्वयन :

i. **भारत सरकार और राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय** : भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के गृह मंत्रालयों में आपसी समन्वय स्थापित होना चाहिए और सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से किया जाना चाहिए और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत सरकार, गृह मंत्रालय पर ही निर्भर करती है।

ii. **आसूचना ब्यूरो (आईबी)** : देश में आसूचना ब्यूरो को अत्यधिक सक्रिय रूप में कार्य करना चाहिए क्योंकि विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के मध्य सटीक एवं उचित सूचनाओं को तुरंत भेजना चाहिए और देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखा जाना चाहिए। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक पूरी टीम गठित होती है।

iii. **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हमारे देश की प्रतिष्ठित जाँच एजेंसी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। यह एजेंसी प्रत्येक तरह के अपराधों का अन्वेषण करती है और अपनी रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर अपराधियों के दोषी सिद्ध होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा सजा प्रदान की जाती है। पहले सीबीआई के पास भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संबंधी जाँच का जिम्मा ही हुआ करता था किन्तु अब अनेक तरह के अपराधों की जाँच इसके दायरे में आती है। सीबीआई बैंकों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि में होने वाले विभिन्न धोखाधड़ी आदि मामलों की भी जाँच करती हैं जैसे हाल ही में, पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13500 करोड़ रुपए के घोटाले की जाँच आदि।

iv. **पुलिस विभाग** : चूंकि पुलिस राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य की पुलिस भी अलग अलग है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की पुलिस के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य एवं क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर केवल समाज की भलाई के लिए कार्य किया जाए। आज हमारे देश में सभी पुलिस थानों को तकनीकी के माध्यम से एक साथ जोड़ दिया गया है जिससे एक राज्य के अपराधी को दूसरे राज्य में तलाश करने में भी काफी मदद मिलती है।

v. **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए)** : यह देश की उत्कृष्ट जाँच एजेंसी है जो कि देश के अंदर होने वाले प्रत्येक प्रकार के अपराध की जाँच करती है। मुंबई में हुए 26 नवम्बर 2008 के आतंकवादी हमलों के बाद इसका गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 दिसम्बर 2008 को किया गया था। हालांकि, उच्च स्तरीय मामलों को ही इसे भेजा जाता है। देश के अंदर कई बार विभिन्न प्रकार की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और इस संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल का कार्य भी कई बार एनआईए को सौंपा जाता है।

vi. **प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)** : देश में आय से अधिक विभिन्न प्रकार की जमा की गई सम्पत्ति की जाँच करने का जिम्मा प्रवर्तन निदेशालय का होता है। देश में प्रवर्तन निदेशालय बहुत ही उच्च कोटि की जाँच पड़ताल करता है जिससे दोषियों के बचने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसमें भी कई बार अन्य संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता होती है। हवाला के माध्यम से अवैध रुप से भारत में आए पैसों की जाँच भी प्रवर्तन निदेशालय ही करता है।

vii. **केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो** : इसका गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 1985 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग, समन्वय, आसूचना का आदान प्रदान करना है ताकि आर्थिक कानूनों के उल्लंघन को रोका जा सके।

viii. **स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)** : यह एक ऐसा विभाग है जो कि विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों इत्यादि के गलत तरीके से सेवन करने, संग्रहण करने, उनकी तस्करी करने आदि को नियंत्रित करता है। इस विभाग को भी अन्य विभागों के सहयोग से अपने कार्य को निष्पादित करने में सहायता मिलती है।

ix. **गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय** : इसकी स्थापना 02 जुलाई 2003 को पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव श्री नरेश चनद्र की अध्यक्षता में गठित

एक कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर हुई थी। इसका मुख्य उददेश्य बैंकिंग पूंजी, बाजार, कार्पोरेट विधि फॉरेंसिक जाँच, काराधान, सूचना प्रौद्योगिकी के विषयों के जानकारों की सहायता से कार्पोरेट संबंधी धोखाधड़ी की जाँच करना है।

x. **स्मार्ट पुलिसिंग** : वर्ष 2014 में हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की पुलिस को स्मार्ट बनने और उसे उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया था और कहा था कि पुलिस को समाज के लिए कार्य करते हुए अपनी बेहतर छवि निर्माण करना चाहिए।

ऊपर वर्णित बातों के माध्यम से एक बेहतर समन्वय बनाए रखा जा सकता है जो कि देश की आंतरिक एवं बाहय दोनों तरह की सुरक्षा में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। देश में प्रभावी कानून एवं अच्छी कानून व्यवस्था के लिए इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा में गुणवत्ता रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, यातायात के साधन सुगम हों, पुलिस का व्यवहार परिपक्वता पूर्ण हो, सरकारी कार्यालयों एवं निजी कार्यालयों दोनों में भ्रष्टाचार न हो, व्यापारियों में लाभ कमाने के साथ ही आत्म-संतुष्टि की भावना हो, पारिवारिक सद्भाव बना रहे, नागरिकों में धर्म, जाति, रंग-रूप, नस्ल, भाषा, क्षेत्र आदि का भेदभाव ना हो, दोषी को कानून के माध्यम से उचित दंड मिले तथा निर्दोष को समय से न्याय मिले। जहां ये सब चीजें रहती हैं वास्तव में, वहीं कानून का शासन होता है। देखा जाए तो प्रभावी कानून व्यवस्था से यही अपेक्षाएं होती हैं।

अध्याय 12

तकनीक की अवधारणा और महत्व

तकनीक किसे कहते हैं :

तकनीक शब्द को अंग्रेजों में टेक्नोलॉजी (Technology) कहा जाता है। तकनीक एक ऐसी विधा है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होती है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के माध्यम से हमेशा ही नई-नई चीजों पर अनुसंधान कर अनेक चीजों का आविष्कार किया है। सर्वमान्य विधि जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर खरी उतरती है उसे ही तकनीक या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज के युग में तकनीकी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दस्तक दी है और यही कारण है कि आज का मनुष्य बिना तकनीक के कुछ नहीं कर सकता है या यूं कहें कि वह इस पर पूरी तरह से आश्रित हो चुका है। विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य ने जो अभिनव आविष्कार एवं तकनीक विकसित की उसे प्रौद्योगिकी कहा गया। **यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु (384-322 ईसा पूर्व) ने कहा था कि – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।**

आदिकाल से ही उसने समाज में रह कर विकास करना सीखा है। समाज संस्कृतियों से बना है और संस्कृतियाँ परम्पराओं की देन हैं। पाषाण युग में पत्थर की लकीरों से पशुओं की गिनती करने वाले मनुष्य ने बहुत पहले ही इस बात का परिचय दे दिया था कि मानव सभयता सृष्टि की सबसे महान और विकसित सभ्यता होगी। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक सभी में उच्च स्तर को छुआ है।

तकनीक की अवधारणा :

किसी भी कार्य को करने की वैज्ञानिक विधि ही तकनीक होती है। तकनीक का अच्छा एवं बुरा उपयोग हम पर निर्भर करता है। हमें इसमें सदैव ही जनहित एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ाने के लिए तकनीक का सदुपयोग किया जाना चाहिए ताकि देश निरंतर गति से आगे बढ़ता रहे। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूर्ण करने में तकनीक को सवोत्कृष्ट उपयोग किया जाना चाहिए। भारत इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश में तकनीक का बेहतर से बेहतरीन उपयोग करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे।

तकनीक का उपयोग :

यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि कुछ मनुष्यों का दिमाग जहां अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, वहीं कुछ मनुष्यों का दिमाग गलत चीजों के प्रति बहुत अधिक अग्रसर होता है। इसी प्रकार, विज्ञान में किए गए विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से तैयार की गई तकनीकों का उपयोग कुछ अच्छी चीजों के लिए करते हैं तो वहीं कुछ लोग इनका उपयोग बुरी चीजों के लिए भी करते हैं। उदाहरणार्थ, माचिस का उपयोग कुछ लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने हेतु आग जलाने के लिए या ईश्वर की पूजा करने के लिए दीया जलाने के लिए करते हैं, वहीं कुछ लोग इस माचिस का उपयोग अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या रखते हुए किसी व्यक्ति की झोपड़ी जलाने या दुकान या घर जलाने या खेत में खड़ी गेहूं या अन्य फसल को जलाने में करते हैं।

इसी तरह स्वीडन के वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका मानना था कि बड़े-बड़े पहाड़ों को काटकर सरल एवं सुगम रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। किन्तु बाद में उसी डायनामाइट का उपयोग बम एवं अन्य विध्वंसक सामग्री को बनाने

में किया जाने लगा। इसलिए इसमें अल्फ्रेड नोबेल का क्या दोष है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तकनीक का दुरुपयोग करने लगे। शायद यही कारण है कि उन्होंने इसे अपनी गलत खोज माना और जीवन के अंतिम दिनों में अपनी सम्पत्ति के एक बड़े हिस्से से नोबेल फाउंडेशन का गठन किया। वर्ष 1901 से आरंभ किए गए फांउडेशन के ब्याज से प्रति वर्ष मानव जाति के लिए अच्छा कार्य करने वालों को शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसलिए हमें सदैव तकनीक का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए गति के नियमों में तीसरा नियम हमें बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उस क्रिया के समान (बल की) किन्तु उसके विपरीत दिशा में होती है। यही बात अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2007 में उनके द्वारा किए गए एक अनुसंधान में कही थी कि जिस प्रकार संसार में भौतिक चीजों की क्रिया-प्रतिक्रिया होती है, वही नियम विचारों पर भी लागू होता है। उन्होंने बताया था कि सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है वहीं नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यह प्रामाणिक सत्य है।

तकनीक के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना :

हमें हमेशा तकनीक के सकारात्मक उपयोग पर विशेष जोर देना चाहिए क्योंकि तकनीक का उपयोग देश व समाज की प्रगति के लिए सहायक सिद्ध होना चाहिए। तकनीक के सकारात्मक उपयोग से देश में चारों तरफ खुशहाली का माहौल बनता है। तकनीकी का उपयोग किया जाना आवश्यक है जबकि उस तकनीक का गुलाम होना कतई सही नहीं है। उदाहरणार्थ, आज ऐसे बहुत से लोग सहज ही देखे जा सकते हैं जो कि खाना खाते वक्त भी अपने स्मार्ट मोबाइल फोन को चलाते रहते हैं, रास्ते में सड़क पार करते समय भी मोबाइल सुनते रहते हैं या रेलवे ट्रैक पार करते समय भी ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर

बात करते रहते हैं जिससे कई बार दर्दनाक दुर्घटना तक हो जाती है जिससे कई लोगों की जान तक चली गई है।

अत: हमें तकनीक का सकारात्मक व उचित उपयोग तो करना आना चाहिए किन्तु उसका इतना उपयोग न किया जाए कि व्यक्ति इस तकनीक के बिना कुछ कर ही न सके। तकनीक का उपयोग देश की आर्थिक प्रगति में इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुँच सके। यह उपयोग अनिवार्य रूप से मानव विकास एवं प्रगति के लिए ही होना चाहिए न किसी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए।

आजकल प्रत्येक देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए नए नए रक्षा उपकरणों का उपयोग करता है किन्तु यही रक्षा उपकरण जब किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में चले जाते हैं तो वे आम जनता को मारने, उनमें आतंक फैलाने एवं मानव जाति के दुश्मन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अत: इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी वैज्ञानिक खोज या उपकरण गलत हाथों में न जाने पाए। आज बहुत से देश परमाणु बम रखे हुए हैं जिनमें पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया आदि जैसे देश शामिल हैं जो कि बार बार परमाणु बम को चलाने की बात करते रहते हैं जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए भयंकर खतरा है।

तकनीक के गलत उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना :

प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु रहा है। भारत द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही आज विश्व के अनेक देश काफी आगे निकल गए हैं। भारत ने उस समय में ही में गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में महारात हासिल कर ली थी। हम अपने ऋषियों/मुनियों द्वारा बताए गए ज्ञान को तब तक मानने से बचते रहते हैं जब तक वही ज्ञान अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, रूस, ब्रिटेन इत्यादि देशों के वैज्ञानिकों द्वारा कसौटी पर न कस लिया जाए और उनके द्वारा पुन:प्रतिपादित न कर दिया जाए।

तकनीक के गलत या नकारात्मक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना

ही समाज या देश हित में होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन से गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी तो प्राप्त की जाए कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है या नहीं किन्तु गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना पूरी तरह से गलत है। इससे समाज में लिंग के अनुपात में बहुत अंतर आ जाएगा और इसे देखते हुए ही सरकार ने लिंग परीक्षण को अपराध माना है जिसके लिए एक निर्धारित सजा एवं दंड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, आप इंटरनेट पर ज्ञान संबंधी साइटों पर अध्ययन या उसको देखने के लिए ऑडियो-वीडियो सुनें/देखें किन्तु उसमें गंदी चीजों/पोर्न मूवी आदि को दिखाया जाना पूरी तरह से गलत है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

इस तरह की साइटों को देखने से किशोरों एवं नवयुवकों में महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति अपराध प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे वे लोग अपराध करने से नहीं हिचकिचाते हैं। कभी-कभी आवेशवश वे ऐसा घिनौना अपराध कर बैठते हैं कि उन्हें अपनी पूरी जिन्दगी जेल में काटनी पड़ती है। अत: तकनीक का नकारात्मक या गलत उपयोग हमेशा ही देश व समाज के विरुद्ध होता है। इससे न तो देश की किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं होती है और न ही देश विश्व जगत में अपना कोई स्थान रख पाता है। आज समय आ गया है कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो कि विद्या के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करे।

आज बच्चे ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं किन्तु संस्कार कहीं खो गए हैं जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। इसलिए समय रहते हमें अपने देश में उचित व्यवस्था बनानी होगी और शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों को भी स्थापित करना होगा ताकि हमारा देश प्रगति पथ पर हमेशा ही अग्रसर रहे।

तकनीक के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग :

देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए हमें नवीनतम तकनीकों का सहारा लेना चाहिए जैसे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को आधुनिक

कार, बुलेट, मोटरसाइकिल, राइफल आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि अपराधियों को सुगमता से पकड़ा जा सके क्योंकि पुरानी कारों या मोटरसाइकिलों में इतनी तकनीकी खराबी होती है कि अपराधी अपराध कर भाग जाते हैं और पुलिस अपने वाहन (कार, मोटरसाइकिल इत्यादि) से उन्हें नहीं पकड़ पाती है। कई बार ये वाहन रास्ते में ही खराब हो जाते हैं या उनकी राइफल फायर ही नहीं कर पाती है। इसके साथ ही, जो भी संसाधन उपलब्ध हों, उनका आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाना चाहिए।

तकनीक एवं आर्थिक प्रगति में आपसी संबंध :

आज का समय तकनीक का है। देश में अधिक एवं शीघ्र आर्थिक प्रगति करने के लिए तकनीक का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाना आवश्यक है। अच्छी तकनीक का उपयोग कर देश में शीघ्रातिशीघ्र आर्थिक प्रगति की जा सकती है। तकनीक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे लोगों को सुविधाएं सहज सुलभ रहें तथा देश में आर्थिक प्रगति भी होती रहे।

तकनीक का बढ़ता दायरा :

नवम्बर, 2019 में वुहान शहर से कोरोना वायरस (कोविड-19 महामारी) की शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि अभी तक भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे देश में भी विश्व के अन्य देशों के समान ही लॉकडाउन अर्थात् तालाबंदी की गई। पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई थी। इस दौरान यदि किसी चीज का सबसे अधिक उपयोग किया गया, वह थी तकनीक। मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी व गैर-सरकारी कार्मिकों ने अपने घर से ही ऑनलाइन कार्य किया है और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान किया है। हालांकि, तालाबंदी के दौरान जहां हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी जैसी घटनाओं में काफी कमी आई है वहीं कुछ मामलों जैसे घरेलू हिंसा, घर के अंदर आपसी झगड़ों में अवश्य ही इजाफा हुआ था। यह तकनीक का ही कमाल था कि लोग तालाबंदी के दौरान

गुजरे जमाने के प्रसिद्ध धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत, हम लोग, आदि टीवी के दूरदर्शन चैनल आदि पर देख पाए।

इसके साथ ही, बच्चों ने भी स्मार्ट फोन के माध्यम से ही घर पर रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई की। इस दौरान कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों इत्यादि ने अपनी स्कूल, कॉलेज या तकनीकी संस्थान की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण की है। यह अपने आप में एक विशेष बात है कि वही माता-पिता जो कभी बच्चों को मोबाइल छूने तक से रोकते थे, अब उन्होंने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अलग से स्मार्ट मोबाइल खरीद कर उन्हें दिया।

जहां तक बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रश्न है तो उन्होंने ग्राहकों को ज्यादातर लेनदेन ऑनलाइन करने के लिए ही प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि तालाबंदी की अवधि के दौरान ऑनलाइन लेनदेनों की संख्या करोड़ में बढ़ी है। आज हमारे देश के अधिकांश लोग ऑनलाइन लेनदेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि सब्जी, पानी पूरी, चाय, दवाई इत्यादि की दुकानों पर भी लोग ऑनलाइन देनदेन कर रहे हैं विशेष रूप से गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई (भीम भारत पे) इत्यादि के माध्यम से।

कानून व्यवस्था एवं तकनीक का आपसी संबंध :

देश या समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना ही पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज का युग तकनीक का युग है। पुराने जमाने में युद्ध आमने सामने लड़े जाते थे किन्तु आज तकनीक के इस्तेमाल से आप अपने देश में बैठे-बैठे दुश्मन देश को नष्ट कर सकते हो। इसी प्रकार, देश में बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए।

अच्छी तकनीक से जहां देश में एक ओर अपराधों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी वहीं अपराधमुक्त भारत में आर्थिक प्रगति भी तेजी से होगी।

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक का बहुत ही नजदीक का संबंध है। आज भी जिन अपराधों की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है, उनमें तकनीक जैसे सीसीटीवी, फिंगर प्रिंट, डीएनए टेस्ट आदि तकनीकों का उपयोग होता है जिससे अपराधी शीघ्र ही पकड़ में आ जाते हैं और देश में अपराधों पर नियंत्रित लगाने में मदद मिलती है। एटीएम मशीनों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से एटीएम में लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जाता है।

कानून व्यवस्था में तकनीक का सुरक्षित उपयोग :

समाज में आपराधिक प्रवृत्तियाँ कदाचित इसकी उत्पत्ति से ही विद्यमान रही हैं। मानव अपने मस्तिष्क से संचालित होता है और मस्तिष्क का समय समय पर सकारात्मक या नकारात्मक होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अपराध मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। जहाँ एक ओर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए नई प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, वहीं इससे बचने के लिए अपराध जगत में इसी नई प्रौद्योगिकी को एक माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

आज सभी अपराधों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद एवं नक्सलवाद इत्यादि में भी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से सभी अपराधों पर नकेल कसी जा सकती है। तकनीक का सुरक्षित उपयोग किया जाना कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने में सहायक होता है। विभिन्न तकनीकों का उचित व सुरक्षित उपयोग करके देश की कानून व्यवस्था मजबूत बनती है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की आर्थिक प्रगति होती है। बैंक द्वारा ग्राहक को अपने एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पिन/ओटीपी/पासवर्ड/खाता संख्या आदि की जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को देने से मना किया जाता है। इस प्रकार के नियमों एवं आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि धोखाधड़ी करने

वाले लोग आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ देश को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं।

कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में तकनीक का महत्व :

आज के युग में सभी क्षेत्रों में कार्यों को करने के लिए तकनीक का सहारा ही लिया जा रहा है। इससे कानून व्यवस्था भी अछूती नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए अच्छी एवं उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाए और इस संबंध में अधिक से अधिक अनुसंधान करते हुए नई-नई तकनीकें भी खोजी जाएं। तकनीक के योगदान से अवश्य ही कानून व्यवस्था को प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी। पुलिस एवं देश के सभी नागरिकों को तकनीक का सदुपयोग करना चाहिए ताकि देश की प्रगति में मदद मिल सके।

आज तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है। नित नई तकनीकों का उपयोग जीवन को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि तकनीक का उपयोग उचित तरीके से ही किया जाना चाहिए अन्यथा उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। इसमें दो राय नहीं है कि बिना तकनीकी ज्ञान के आज कोई भी देश या समाज प्रगति नहीं कर सकता है। जापान, जर्मनी, इजराइल ऐसे देश हैं जो कि अपनी तकनीकी क्षमता के कारण आज भी विश्व के गिने चुने अग्रणी देशों में शामिल हैं। हमें भी अपने देश में तकनीक के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि देश की आर्थिक प्रगति में महती सहयोग प्रदान किया जा सके।

तकनीक के संबंध में जागरूकता एवं सतर्कता :

आज का समय ऐसा है कि तकनीक के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए तथा तकनीक का उपयोग करते समय सतर्कता बरती जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, आज बैंकिंग में डिजिटल लेनदेन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह अच्छी बात है किन्तु यह भी ध्यान में रखा

जाना चाहिए इसका दुरुपयोग न होने पाए। आजकल बहुत से लोग इसी का फायदा उठाते हैं और बहुत-से लोगों से उनके बैंक खातों इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उनके खातों में सेंधमारी कर उन्हें कंगाल बना देते हैं। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सभी बैंकों के मुख्यालयों ने इस संबंध में काफी सतर्कता बरतने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं किन्तु 130 करोड़ आबादी वाले देश में कोई भी जागरूकता इतनी जल्दी नहीं फैल सकती है और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग साइबर अपराधियों के शिकार हो जाते हैं।

विभिन्न तकनीकों जैसे जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों आदि को स्थापित करते समय वहां के अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि इसका क्या उपयोग है और यह किस प्रकार भविष्य में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही, तकनीक के उपयोग में अत्यन्त सतर्कता बरती जानी चाहिए क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का डीएनए या ब्लैड सैम्पल आदि सावधानीपूर्वक नहीं लिया जाता है या सावधानीपूर्वक उसका लैब में परीक्षण नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को इसका अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है। अत: तकनीक के उचित उपयोग हेतु जागरूकता एवं सतर्कता दोनों अति आवश्यक है।

तकनीक के उपयोग का जितना लाभ प्राप्त होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है यदि उसका सावधानीपूर्वक उपयोग न किया जाए। तकनीक का उपयेाग करते हुए हमेशा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। आज पुलिस कर्मियों को अधिक से अधिक टेक्नोसेवी बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि अपराध एवं अपराधियों से निपटने में वे सक्रिय भूमिका निभा सकें। जब तक वे तकनीक का इष्टतम उपयोग नहीं करेंगे, अपराधी उनसे हमेशा आगे ही रहेंगे क्योंकि अपराधी इन तकनीकों का अधिकतम उपयोग देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए ही करते हैं। इसके साथ ही, पुलिस को आम नागरिकों के मध्य बेहतर

छवि का निर्माण करते हुए नागरिकों को भी तकनीक की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तकनीक के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाएगी उतना ही अपराधियों में डर का माहौल बनेगा जिससे वे अपराध करने के रास्ते पर चलने से भय खाएंगे।

अध्याय 13

आर्थिक प्रगति हेतु प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक में आपसी समन्वय

पुलिस एवं आम नागरिकों में आपसी संबंध :

देश में प्रभावी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस व देश के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को मधुर होना आवश्यक है। पुलिस को सभी जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि के लोगों से सम्मान के साथ व्यवहार करते हुए आपसी संवाद करना चाहिए। इसके साथ ही, यदि पुलिस नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा, सहायता एवं सम्मान प्रदान करती है तो देश के नागरिक भी पुलिस को पूरारा सहयोग प्रदान करने में कतई पीछे नहीं रहते हैं। इस तरह से समाज में अच्छी कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी सहयोग मिलता है। जहाँ एक ओर पुलिस को आम जनता का सहयोग प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर समाज में अपराधों की संख्या भी अपने आप ही कम हो जाएगी क्योंकि सभी नागरिकों को यह भली भांति पता चल जाएगा कि पुलिस बहुत ही सक्रिय है और वे पुलिस का अधिक से अधिक मात्रा में सहयोग करेंगे जिससे अपराधों की संख्या निरंतर कम होती जाएगी।

साथ ही, यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी यह आवश्यक है कि लोग पुलिस कर्मियों को समाज का ही अंग समझें तथा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जिस समाज में जितने कम अपराध होते हैं वहाँ की आम जनता उतनी ही सुखी और खुशहाल होती है तथा वह देश या समाज बहुत ही शीघ्रता से प्रगति पथ पर अग्रसर भी होता है। इसके साथ ही, पुलिस कर्मियों को भी सभी नागरिकों के साथ अच्छा व सद्व्यवहार करना चाहिए और उनकी तत्परता के साथ सहायता करनी चाहिए ताकि अपराधों में कमी लाई जा सके और पीड़ितों की मदद हो सके। अब समय आ गया है कि देश के नागरिकों में व्याप्त पुलिस की छवि को सुधारने का सक्रिय प्रयास किया जाए। आज भी देश में पुलिस की

छवि बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल भी नहीं सुधारा जा सकता है। बहुत से पुलिस कर्मियों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए जाते हैं और इस प्रकार के कार्यों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए जिससे लोगों में पुलिस के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो और पुलिस की पुरानी गलत छवि मिट सके। ऐसा नहीं है कि पुलिस की समाज में पूरी तरह से खराब छवि ही है। आज भी बहुत से राज्यों में पुलिस बहुत ही संजीदगी एवं कुशलता के अपने कार्यों को करती है जिससे वहाँ पर पुलिस की बहुत अच्छी छवि है और वहाँ के लोग पुलिस का बहुत अधिक सम्मान भी करते हैं।

हमारे देश की पुलिस ने कोरोना काल के दौरान देशवासियों की हर प्रकार से सेवा की है। उन्होंने गरीबों को खना, पानी, आदि से लेकर उनके रहने सहने, यात्रा इत्यादि के लिए वाहन आदि की भी व्यवस्था की है। उन्होंने ऐसा एक दो दिन नहीं अपितु कोरोना महामारी (कोविड-19) के दौरान कई महीनों तक रोजाना ऐसा किया है। भूखों को खाना खिलाना, उन्हें उनके गन्तव्य स्थल तक पहुंचाना, ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको पुलिस कर्मियों ने बखूबी अंजाम दिया है। इस प्रकार के कार्यों से अवश्य ही पुलिस की छवि में सुधार हुआ है। इसके साथ ही, यह बात भी समीचीन है कि न जाने कितने पुलिस कर्मियों ने कोरोना काल में आम जनता की सहायता करते हुए अपने प्राणों की आहूति तक दे दी है। इसके साथ ही, आज भी बहुत से पुलिस कर्मियों द्वारा रोजाना कई निसहाय लोगों को सहायता की जाती है जो कि पुलिस की छवि को सुधारने में मददगार साबित हो रहा है।

देशभर में शांति समितियों की स्थापना करना :

पूरे देश में पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के लिए शांति समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इस कार्य को प्रत्येक थाने स्तर से लेकर चौकी स्तर पर किया जाए। इसके लिए थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी को विशेष रूप से दायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कोई दंगा इत्यादि होता है तो इसके लिए वहाँ के चौकी प्रभारी या थानाध्यक्ष ही जिम्मेदार माने जाएंगे। देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के दंगों यथा राजनीतिक,

सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक इत्यादि को रोकने के लिए इस प्रकार की शांति समितियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध हुई हैं। हमारे देश की आम जनता बहुत ही सरल एवं सहज है। हमारे देश में कुछ लोगों के कहने या उनके बहकावे में आकर ये सीधे साधे लोग ईंट पत्थर, गोलियाँ इत्यादि चलाते हैं जिससे देश में आंतरिक झगड़े फैल जाते हैं जो कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित होते हैं। इसलिए, इस प्रकार का कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे दंगाई लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए जाने चाहिए।

इसलिए, प्रत्येक पुलिस थाने को अपने क्षेत्र के उपद्रवी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें चिह्नित करना चाहिए और समय समय पर आयोजित होने वाले समारोह, मेलों, रैलियों, त्यौहारों इत्यादि पर इन लोगों को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि यदि उनके इलाके या क्षेत्र में कोई भी दंगा या उपद्रव होता है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी सम्पत्ति भी कुर्क की जाएगी। इस प्रकार के एहतयाती कदम उठाने से देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अवश्य ही मदद मिलेगी।

सामाजिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना :

आज का समय सामाजिक सौहार्द को बनाये रखते हुए आगे बढ़ने का है। सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों, जिलों, शहरों, कस्बों, गांवों में एक दूसरे धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, लिंग आदि को ध्यान में रखे बिना सामाजिक समरसता बनाए रखी जाती है और सभी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सभी को मिल जुलकर कार्य करना होगा और सामाजिक एकता, अखंडता एवं शांति को बनाए रखना ही होगा। अब धर्म, जाति, लिंग भेद आधारित राजनीति को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब राजनीति केवल और केवल विकास के नाम पर ही होनी चाहिए। जब सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि बिना सही उद्देश्य के कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को बहका नहीं सकता है तो सही मायने में देश की सभी प्रकार से प्रगति होगी।

पुलिस को देश के सभी नागरिकों में आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और देश में समरसता को बनाए रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। देश में समय-समय पर पुलिस को सभी धर्मों के धर्म गुरुओं, मौलवियों, पादरियों, जैन मुनियों, बुद्धों इत्यादि के साथ मिलकर बैठक करनी चाहिए और उन्हें इस बात के लिए आगाह करते रहना चाहिए कि देश में किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे इत्यादि नहीं होने चाहिए, यदि ऐसा होता है तो इसके लिए ये लोग भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और इन लोगों के साथ साथ उपद्रवियों की सम्पत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। इसके साथ ही, देश में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देश में कड़े कानून का कार्यान्वयन आवश्यक हो जाता है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों में आपसी समन्वय होना :

केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के मध्य बहुत ही अच्छा एवं उच्च कोटि का आपसी समन्वय होना चाहिए ताकि देश में कानून व्यवस्था की प्रभावशाली स्थिति बनायी रखी जा सके। सभी राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र सरकार द्वारा एडवाजरी इत्यादि का शब्दश: अनुपालन करे। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का यह कार्य है कि वह देश की आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार से खुफिया जानकारी प्राप्त कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इस संबंध में राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों एवं अनुदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और अपने अपने राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र में तदनुसार अलर्ट जारी करना चाहिए जिससे राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को घटने से पहले ही रोका जा सके। गुप्तचर सूचना बहुत ही प्रभावी होनी चाहिए और सदैव देश हित में होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देश की एकता, अंखडता एवं सौहार्द सर्वोपरि माना जाता है। इसमें कोई भी कोताही नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही, राज्य सरकारों/

केंद्र शासित क्षेत्रों आदि को भी केंद्र सरकार को समय समय पर सचेत करते रहना चाहिए क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों/ केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों इत्यादि की सहायता नहीं करती है अपितु ये सभी राज्य आदि मिलकर केंद्र सरकार की सहायता करते हैं।

देश के प्रत्येक क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि सभी सक्षम संस्थाओं के साथ साथ राज्य सरकारों/ केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों के बीच अच्छा समन्वय हो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावी बन सके और देश सभी प्रकार से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। प्रभावी कानून व्यवस्था स्थापित करने में आज तकनीक का सहारा लेना ही पड़ता है। तकनीक का उचित उपयोग करके देश में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिससे देश के सभी राज्यों इत्यादि के नागरिकों के मध्य बहुत ही बेहतर समन्वय कायम हो सकता है। इससे यह लाभ होता है कि देश में चहुंमुखी विकास होता नजर आता है। इसके साथ ही, जब देश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में प्रगति नजर आने लगती है तो फिर देश में स्वत: ही धीरे धीरे आर्थिक प्रगति के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं और देश तीव्र गति से इस दिशा में आगे बढ़ने लगता है।

विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों/सतर्कता एजेंसियों/अन्य संबंधित विभागों में आपसी समन्वय :

केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों यथा सीबीआई, सीआईडी, आईबी, एनआईए, एनसीबी, डीएफएस, पुलिस वायरलैस, बीपीआरडी, एनसीआरबी आदि में आपस में काफी अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एवं राष्ट्रहित को बढ़ावा देते हुए देश में आर्थिक प्रगति हो सके। उत्तम श्रेणी की कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए और केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच में भी आपसी समन्वय स्थापित होना नितांत आवश्यक है। आपसी समन्वय होने से उच्च कोटि की गोपनीय सूचनाओं को महत्वपूर्ण तरीके से एक दूसरे को

सतर्क करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों एवं उसकी सीमा की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। यह बहुत ही समीचीन है कि विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही गोपनीय तरीके से एवं बहुत ही शीघ्रता से किया जाना चाहिए ताकि समय रहते देश किसी भी अप्रिय घटना को घटने से रोक सके। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों/ केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों इत्यादि के विभिन्न संबंधित विभागों में आपसी समन्वय होने से बहुत बार देश को अनेक प्रकार के नुकसान होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार, आपसी सहयोग के कारण देश की आर्थिक प्रगति में तेजी आती है और देश आगे बढ़ता जाता है।

प्रभावी कानून व्यवस्था व तकनीक हेतु सजगता, जागरूकता एवं सतर्कता की आवश्यकता :

देश की आर्थिक प्रगति प्रभावी कानून व्यवस्था व तकनीक का उपयोग करने के लिए आम नागरिकों व पुलिस सभी में जागरूकता, सजगता व सतर्कता लानी बहुत आवश्यक है। प्रभावी कानून व्यवस्था हेतु लोगों में कानून की सामान्य समझ होनी चाहिए तथा उनमें संबंधित तकनीक की जानकारी होना भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा आम जनता को समय समय पर सजग करते रहना चाहिए। इसके लिए पुलिस को कभी कभी सोसाइटियों, मुहल्लों, चौराहों, गलियों इत्यादि में जागरूकता शिविर भी लगाने चाहिए जिससे यह संदेश समाज में छुपे हुए बदमाशों यथा चोरों, लुटेरों, बलात्कारियों, हत्यारों इत्यादि में पहुंच सके और वे पुलिस से खौफ खाना आरंभ कर दें। उनके मन में एक बार यह बात घर कर गई कि यदि अब कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म या वर्ग का ही क्यों न हो।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में यही संदेश दिया जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों एवं राज्य में कोई भी गलत कृत्य करने वालों

को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका सीधा असर यह हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है और कानून व्यवस्था कायम होती दिख रही है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सजगता, जागरूकता एवं सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। नागरिकों को सजग करने के साथ जागरूक भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें आस पास हो रही घटनाओं के बारे में भी सतर्क किया जाना आवश्यक है जिससे पुलिस एवं आम लोगों में आपसी समन्वय स्थापित हो सके। किसी भी प्रकार के मिशन को पूरा करने के लिए आपसी समन्वय स्थापित करना अनिवार्य शर्त है। जैसे क्रिकेट में मैच जीतने हेतु सभी खिलाड़ियों में आपसी समन्वय होना आवश्यक है। इसी प्रकार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसी समन्वय रखने से देश भी अवश्य ही प्रगति पथ पर अग्रसर होता है।

विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित राज्य क्षेत्र की सीमाओं के विवादों का समाधान :

देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में उनकी सीमाओं पर घटित घटनाओं या दुर्घटनाओं आदि का आपसी समन्वय के साथ समाधान किया जाना चाहिए ताकि देश में ऐसी घटनाओं के संबंध में समय व संसाधन दोनों की बर्बादी को रोका जा सके। कई बार ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं कि किसी राज्य या जिले या संघ शासित राज्य की सीमा पर कोई हत्या या अन्य कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका सीमा विवाद शीघ्र नहीं सुलझता है और उसमें कभी कभी काफी समय लग जाता है। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसे मामले अत्यधिक तूल भी पकड़ लेते हैं और इससे देश में किरकिरी होने लगती है। किसी भी प्रकार के सीमा विवादों को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। इस तरह से विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित राज्यों में आपसी समन्वय रखकर ही समस्याओं का समाधान करने से संपूर्ण देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी।

हमारे देश में अनेक राज्य हैं और उनमें बोलने वालों की अनेक भाषाएं और बोलियाँ हैं। देश में भाषाओं, बोलियों इत्यादि को बीच में न लाते हुए समय रहते किसी भी प्रकार के विवाद का निस्तारण करना चाहिए जिससे समाज में

कानून का राज स्थापित हो सके। देश की पुलिस को इस तरह के विवादों को त्वरित तरह से निपटाना चाहिए। इससे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को फायदा होता है और इसमें समय एवं संसाधन दोनों की बचत होती है। इस तरह, देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति में भी सहायता मिलती है।

देश के सभी राज्यों/ केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के थानों को आपस में जोड़ना :

आज देश के सभी राज्यों/ केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के थानों को आपस में जोड़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस कार्य को अंजाम दिया गया है। देश में राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध और अपराधी टैंकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) की शुरुआत वर्ष 2009 में की थी। एनसीआरबी द्वारा इसके माध्यम से 15000 से अधिक पुलिस थानों को आपस में जोड़ा गया है। इस तरह से एक थाने की सूचना दूसरे थाने से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं और इतने बड़े देश में सभी थानों इत्यादि को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान सहज तरीके से इस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब समय आ गया है कि पुलिस बल को पूरी तरह से आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाकर अपराधमुक्त समाज या देश की संकल्पना को साकार करना चाहिए।

आपसी समन्वय रखते हुए एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस की मदद बिना किसी भाषा, क्षेत्र एवं जाति के आधार पर करे जिससे अपराध नियंत्रण बेहतर ढंग से किया जा सके। एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच में किसी भी प्रकार के अहम या वहम इत्यादि की भावना को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो या कोई भी स्थान हो, पुलिस को सदैव ही अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए ताकि पीड़ित को पुलिस की ओर से सहायता प्रदान की जा सके।

अध्याय 14

आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक

प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक में आपसी संबंध :

जैसा कि सभी जानते हैं कि आज का युग तकनीक का युग है। प्राचीन समय में जहां हर प्रकार के कार्यों इत्यादि को करने के लिए मनुष्य को हाथों से (मैनुअल रूप में) ही कार्य करना पड़ता था, वहीं आज लगभग सभी प्रकार के कार्यों को मशीनों इत्यादि के माध्यम से शीघ्र निष्पादित कर दिया जाता है। पुराने जमाने में लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। पैदल यात्रा करने पर काफी लंबी दूरी तय करने में कई महीनों का समय लगता था वहीं आज कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि की सहायता से व्यक्ति कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है।

आज हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करके मनुष्य अपने कार्यों को उत्कृष्ट बना रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान के लिए भी तकनीक का उपयोग किया जाना नितांत आवश्यक है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने में प्रभावी तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। आज नई-नई प्रौद्योगिकी के आने से सभी क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन हुए है। दुद्दढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार, ड्रेस, फोन, गाड़ी इत्यादि प्रदान किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही, उन्हें उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे समाज में बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। पुलिस में असंतोष की भावना को भी पूरी तरह से समाप्त किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि संतुष्ट पुलिसकर्मी समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। सरकार द्वारा पुलिस बल को भी सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका

मनोबल ऊंचा रहे। देश या समाज में प्रभावी कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए तकनीक का सहारा आवश्यक अंग बन चुका है। देश से अपराध एवं अपराधियों को कम करने के लिए तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस एवं ऐसे सभी संबंधित सुरक्षा बलों/विभागों को तकनीक का सहारा लेना ही होगा। आज तकनीक एवं कानून व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हो गए हैं।

प्रभावी कानून व्यवस्था एवं तकनीक की सहायता से आर्थिक क्षेत्र में प्रगति :

किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त करना प्रथम शर्त है। अच्छी कानून व्यवस्था वाली जगह पर ही निवेश आकर्षित होता है। बड़े-बड़े देशों की प्रमुख कंपनियाँ ऐसे स्थानों पर ही निवेश एवं अपने प्लांट लगाती हैं जहाँ पर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलता है। आर्थिक क्षेत्र को मजबूत किए बिना कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाता है। भौतिक जीवन में यह सत्य साबित हुआ है कि निर्धन देश दूसरों पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश के सभी जाति एवं धर्मों के नागरिकों में यह संदेश पूरी तरह से विस्तारित होना चाहिए कि कानून की नजर में देश के सभी नागरिक एक समान हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है।

कानून व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे अवश्य ही देश प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। साथ ही, पूरे देश में एक समान शिक्षा को भी लागू किया जाना चाहिए जिसमें राजभाषा हिंदी के साथ क्षेत्रीय या मातृभाषा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जहाँ पर शिक्षा का जितना ज्यादा प्रचार-प्रसार होता है, वहाँ पर सभी प्रकार की प्रगति होती है। केरल राज्य हमारे देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर 100 प्रतिशत है। वहाँ पर समृद्धि भी उतनी ही है। इसके साथ ही, यदि सभी प्रकार की तकनीकों को उचित तरह

से अपनाते हुए सभी विभाग, कंपनियाँ उसका उत्कृष्ट उपयोग करें तो अवश्य ही देश आगे बढ़ेगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार से तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

तकनीक के उपयोग के बिना आज के समय में बेहतर कानून व्यवस्था लागू कर पाना संभव नहीं है। प्रशासन को सख्ती करनी ही पड़ती है तभी देश में अच्छी कानून व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके साथ ही, यह भी सर्व सिद्ध तथ्य है कि जैसे ही देश या समाज में अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित होती है तो वहाँ पर आर्थिक प्रगति में इसका भरपूर सहयोग मिलता है। तकनीक की सहायता से कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा बनाए रखा जाना चाहिए जिससे देश आर्थिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति करता जाता है। तकनीक के उचित उपयोग से कानून- व्यवस्था दिन प्रतिदिन बेहतर बनती चली जाती है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म सिस्टम, ड्रोन कैमरे, अग्निशामक उपकरण इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए और नागरिकों को भी इन उपकरणों के बारे में जागरुक किया जाना चाहिए एवं उन्हें उचित रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जागरुकता कार्यक्रम करते रहना चाहिए जिससे नागरिक सतर्क रहें और अपराधों में कमी आ सके।

भारत की आर्थिक उन्नति के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था की आवश्यकता :

भारत एक बहु-भाषिक, बहु-सांस्कृतिक देश है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित राज्य क्षेत्रों में बंटा भारत बिना अच्छी कानून व्यवस्था के उन्नति की राह पर नहीं बढ़ सकता है। देश में इतने धर्म और जातियों के बावजूद एकता और अखंडता बनी हुई है इसका एकमात्र कारण है यहाँ एक दूसरे धर्मों और जातियों के प्रति आदर भावना है। फिर भी, कभी-कभी कुछ असामाजिक कारणों एवं तत्वों की वजह से देश में एकता एवं अखंडता का माहौल बिगड़ जाता है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश में सभी नागरिकों में कानून

का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी लोगों को जब अधिक से अधिक कानूनी जानकारी होगी तो देश में अपराधों में भी कमी आएगी, क्योंकि कभी कभी कानून की जानकारी न होने के कारण भी लोग अपराध कर बैठते हैं। इसलिए, विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों, रीति-रिवाजों वाले लोगों में आपसी भाई-चारे व समन्वय की भावना बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का उत्कृष्ट एवं प्रभावी होना आवश्यक है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लागू होने के बाद अवश्य ही देश में आर्थिक उन्नति एवं प्रगति होती है जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आना आरंभ हो जाता है।

प्रौद्योगिकीयुक्त कानून व्यवस्था का आर्थिक प्रगति में योगदान :

तकनीकी के इस युग में आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना प्रत्येक देश की प्राथमिकता है। अच्छी कानून व्यवस्था के बिना इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रौद्योगिकीयुक्त कानून व्यवस्था का आर्थिक प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में, तो बिना तकनीक की सहायता के कानून व्यवस्था को ठीक से लागू भी नहीं किया जा सकता है। आज समय की आवश्यकता है कि प्रत्येक देश को उन्नत से उन्नति प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग से अपने देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। संदिग्ध स्थानों आदि पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, ड्रोन कैमरों इत्यादि से भी इस तरह के स्थानों की देखरेख की जानी चाहिए।

त्यौहारों, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनों इत्यादि के समय सीसीटीवी कैमरों सहित ड्रोन कैमरों आदि से भी भीड़ पर निगरानी रखी जानी चाहिए तथा असामाजिक तत्वों को यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध कानून की सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को इससे उदाहरण के रूप में सीख मिले। तकनीकी का बेहतर उपयोग करते हुए देश की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए उस तकनीक का उत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

देश में नित नई प्रौद्योगिकी आती जा रही है। सभी लोग अब प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा मोबाइल एवं सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर कानून व्यवस्था एवं शांति को भंग करने का प्रयास किया जाता है ताकि देश में अशांति बनी रहे लेकिन पुलिस प्रशासन का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि इन सोशल मीडिया समूहों आदि का गहन अध्ययन कर असामाजिक तत्वों को चिह्नित करें और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देना :

जब तक हम समय के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारी न तो आर्थिक प्रगति हो सकती है और न ही हम अपने समाज के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। आज तकनीकी के इस युग में हमारे देश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि, 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिकांश राज्यों आदि में पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है किन्तु वह आज भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पुलिस बल के पास न तो अच्छे हथियार, वाहन, ड्रेस आदि हैं और न ही उनके प्रशिक्षण की कोई खास बेहतर व्यवस्था है। समाज को साथ लेकर चलने से ही पुलिस अपराधियों व अपराध को नियंत्रित कर पाएगी। इसलिए, पुलिस बल का आधुनिकीकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, बेहतर यह होगा कि पुलिस की भर्ती के समय तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से एमसीए, एमबीए, बीएससी, एमएससी इत्यादि डिग्रीधारी युवकों को पुलिस में नौकरी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, अन्य विषयों के युवाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें भी योग्यता के आधार पर पुलिस में भर्ती किया जाए।

पुराने जमाने में कोई कहीं नौकरी न करे किन्तु पुलिस में नौकरी मिल जाती थी क्योंकि उस समय इन तथ्यों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था किन्तु आज तो पुलिस का संपूर्ण कामकाज पहले के मुकाबले काफी

चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसके लिए तो विशेषज्ञ अधिकारियों एवं तकनीकी ज्ञानयुक्त पुलिस कार्मिकों की नितांत आवश्यकता है। नए भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दीर्घावधि के इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण सामग्री सैद्धांतिक तथ्यों के अलावा प्रायोगिक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के दंगों को रोकना, मेलों, रैलियों, धार्मिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनों आदि के दौरान कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखना, उच्चाधिकारियों की सुरक्षा में कैसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, देश के अंदर देशद्रोह या षडयंत्र करने वालों पर पुलिस के खुफिया तंत्र की पैनी नजर होनी चाहिए और ऐसे लोगों को उनके इरादों में नाकामयाब किया जाना चाहिए।

पुलिस के आधुनिकीकरण में उनके अधिकतम भौतिक उपकरणों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों में मानवीय मूल्यों के संस्कारों को भी पोषित किया जाना नितांत आवश्यक है क्योंकि विकसित देशों में भी पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया है लेकिन वहाँ पर पुलिस कर्मियों में संस्कारों को लेकर विशेष जोर नहीं दिया गया है। हमें अपने देश की पुलिस में संस्कारों में भी आमूल चूल परिवर्तन करना होगा ताकि पुलिस आम नागरिकों के साथ मिलकर समाज के ही एक हिस्से के रूप में बेहतर आपसी संबंध स्थापित कर सके। हमारे देश में मानवीय संबंधों का बहुत अधिक महत्व है।

पुलिस के आधुनिकीकरण में अन्य भौतिक उपकरणों के साथ साथ सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे देश या समाज में पुलिस की बेहतर एवं प्रभावी कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।

प्रभावी कानून व्यवस्था हेतु नए अध्ययनों एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना :

अनुसंधान का अपना एक विशेष महत्व होता है। जापान, जर्मनी, इजराइल

आदि देशों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उनके यहाँ पर अनुसंधान को इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया होता है तो आज विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो किसी भी देश या समाज की रीढ़ की हड्डी साबित होगा जिसके बल पर देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो पाएगा। केवल मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए ही नए-नए अध्ययन एवं अनुसंधान नहीं किए जाने चाहिए अपितु ऐसे अध्ययनों एवं अनुसंधानों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें किसी देश में असामाजिक तत्वों, अपराधियों आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है और नए-नए शोध किए जाते हैं। विभिन्न देशों में हुए आंतरिक झगड़ों, दंगों आदि के संबंध में नए-नए अध्ययन किए जाने चाहिए तथा परिवर्तित होते समाज में किन-किन कारणों से शांति-व्यवस्था को भंग किया जाता है, इस बारे में भी विस्तार से शोध किया जाना चाहिए। इस पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही, समाज में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए नए अनुसंधानों को इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे देश एवं समाज के लिए बेहतर कार्य निष्पादन में अपनी भूमिका निभा सके।

इन अनुसंधानों को पुलिस कार्मिकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नई-नई तकनीकों का आविष्कार किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करके अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश के सभी वैज्ञानिक शोध संस्थानों, आईआईएम, आईएमएस, एनआईआईआईटी, सीएसआईआर, आईसीएआर, एनआईएस आदि संस्थानों में विज्ञान, चिकित्सा, सुरक्षा, खाद्य, रक्षा, लेखा, पुलिस, विधि-विज्ञान इत्यादि विषयों में अधिक से अधिक उचित एवं सुनियोजित ढंग से शोध कार्य किए जाने चाहिए और देश की रक्षा, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा में उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं है कि अनुसंधान करवाने में एक बार देश को अवश्य व्यय करना पड़ता है किन्तु अनुसंधान में सफलता मिलने पर वह देश एक तो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता है और दूसरे उसी तकनीक के सहारे अपने देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखता है। यही कारण है कि जापान, जर्मनी, इजराइल इत्यादि देशों ने अपने आपको आज भी मजबूत बनाकर रखा हुआ है। हमारे देश में लूटपाट, डकैती, चोरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार आदि संगीन अपराधों में अपराधी बिना सबूत के छूट जाते हैं।

देश के सभी नागरिकों की पहचान स्थापित करने एवं उनमें से किसी के गुम होने की स्थिति में उनका पता लगाने के लिए जीपीएस सिस्टम जैसी डिवाइस आदि स्थायी रूप से फिट कर दी जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका पता लगाया जा सके। हालांकि, यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी तकनीक से मानव शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। वर्तमान में, जीपीएस प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाता है। व्यक्ति के गायब होने या उनके द्वारा चीजों को छुपाकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए अभी भी नए शोध या अनुसंधान किए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में और तरक्की की जा सके। हालांकि, जीपीएस प्रणाली के लिए डिवाइस को बैट्ररी आदि द्वारा लाइव या संचालित रखना अनिवार्य है। बैट्ररी के खत्म होने या उसे निष्क्रिय करने पर जीपीएस प्रणाली से व्यक्ति की लोकेशन प्राप्त नहीं की जा सकती है। अत: इस बारे में भी शोध किया जाना चाहिए कि क्या बिना बैटरी के चलने वाले डिवाइस को जीपीएस के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता है। इससे यह लाभ होगा कि यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल बंद हो जाता है तो भी पुलिस बिना बैटरी के चलने वाले इस डिवाइस की मदद से पीड़ित तक पहुंच सकती है और अपराधियों को पकड़ कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

अध्याय 15

प्रौद्योगिकी के बदलते आयाम और भारत

अब से हजारों साल पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैदल ही चला करते थे। उसके बाद लोगों ने घोड़ों, बैंलों, गधों इत्यादि को सवारी के रूप में उपयोग करना आरंभ किया। इसके बाद, धीरे-धीरे पहिए की खोज हुई और उसने तो मानो मनुष्य का जीवन ही बदल कर रख दिया है। आज पहिए की इस खोज की वजह से साइकिल से लेकर मोटर साइकिल, स्कूटर, ऑटो, कार, बस, ट्रक, ट्रेन आदि का आविष्कार हुआ है। इस खोज ने मनुष्य के जीवन को सरल बनाने में बहुत बड़ी मदद की है। पुराने समय में महीनों में तय की जाने वाली दूरी को आज लोग इन आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं।

वास्तव में जिस तरह आग की खोज ने मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किए थे। ठीक उसी प्रकार, पहिए के आविष्कार ने भी मनुष्य की जीवन रूपी गाड़ी के पहियों को नई रफ्तार प्रदान की है। हम सभी भली-भांति जानते हैं कि आज के युग में बिना प्रौद्योगिकी कोई भी देश या समाज आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए, यह बेहतर होगा कि हमारे देश के प्रत्येक नागिरक द्वारा प्रौद्योगिकी का उचित तरीके से उपयोग किया जाए।

इसके साथ ही, अपराधियों इत्यादि को रोकने के लिए भी प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि -'लोहा लोहे को काटता है।' इसलिए, जिस प्रौद्योगिकी का अपराधी तत्व के लोग उपयोग करते हैं, उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग देश के प्रबुद्ध एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कुशलता से किया जाए तो देश में जहाँ एक ओर अपराधों में भारी संख्या में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर देश प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर होता हुआ नजर आएगा।

1. प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता : आज प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन बदलती चली जा रही है। प्रौद्योगिकी के बदलने से हमारी परिस्थिति भी बदलती जा रही है। प्रौद्योगिकी बदलने के साथ मनुष्य को अपने सभी प्रकार के यंत्रों या मशीनों में भी बदलाव करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी के इस निरंतर होते परिवर्तनों से कभी-कभी काफी परेशानी भी होती है। हालांकि, हमें समय के साथ अपने आप को बदलना भी पड़ेगा और प्रौद्योगिकी को अपनाना भी होगा। प्रौद्योगिकी के साथ चलकर ही हम देश को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि लोग आज इसके बिना अपना कोई कार्य सही तरह से एवं सही समय से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं।

विश्व की सभी प्रकार की प्रौद्योगिकियों का उपयोग हमें धीरे-धीरे अपने देश में भी करना चाहिए ताकि हमारा देश भी अन्य प्रौद्योगिकी संपन्न राष्ट्रों की तरह ही आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ सके और विकासशील देशों के दायरे से अपने आपको बाहर निकाल सके और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा सके। प्रौद्योगिकी के संबंध में **लार्ड टेनिसन ने एक बार कहा था कि -'परिवर्तन संसार का नियम है और हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों का स्थान लेती जाती हैं।'** पुराने जमाने से लेकर आधुनिक समाज तक चीजों में बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुए हैं। रोज नई-नई तकनीक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामने आ रही हैं। पुरानी चीजों की जगह पर रोजाना नई नई चीजों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यही परिवर्तन सजीवता को दर्शाता है जो कि शाश्वत सत्य है।

2. सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश : आज सभी कार्य कम्प्यूटर हो रहे हैं क्योंकि कम्प्यूटर ने हर जगह पर अपनी दस्तक दे दी है। किसी जमाने में सभी क्षेत्रों में संपूर्ण कामकाज पूरी तरह से मैनुअल ही किए जाते थे किन्तु धीरे-धीरे प्रौद्योगिकी के आगमन से प्रत्येक जगह आज लगभग सभी प्रकार के कामकाज कम्प्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। किसी समय बैंकिंग भी पूरी तरह से मैनुअल रूप में ही होती थी लेकिन आप बैंकिंग पूरी तरह से

कम्प्यूटर आधारित हो चुकी है। यह एक बड़ा परिवर्तन है जो कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था की दशा एवं दिशा तय करेगा। आज हमारे देश में अधिकांश लेनदेन या व्यवहार ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज फल सब्जी, किराना, दवाई आदि की दुकान पर भी आपको क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा सहज ही उपलब्ध हो जाएगी। आज आप अपना अधिकांश कामकाज ऑनलाइन निष्पादित कर सकते हो। मार्च 2019 में जो ऑनलाइन लेनदेन 55 प्रतिशत हुआ करते थे मार्च 2022 में वे लेनदेन 80 प्रतिशत के आसपास हो गए हैं। कोरोना काल के दौरान यह बात सामने आयी है कि लोगों में ऑनलाइन पैसे लेनदेन या ट्रेन, बस, हवाई टिकट, ओला बुकिंग, स्वीगि आदि से खाना मंगवाने, अन्य सभी प्रकार के सामान मंगवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म आदि का उपयोग करने का चलन बढ़ा है। हालांकि, यह सच्चाई है कि देश में जितना अधिक ऑनलाइन लेनदेन होगा उतना ही भ्रष्टाचार कम होता जाएगा और देश में पारदर्शिता भी बढ़ती जाएगी। यही बात विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों एवं एफआईआर इत्यादि पर भी लागू होती है। जब लोगों में जागरूकता अधिक होगी तो पुलिस भी सक्रिय रूप से कार्य करेगी। इसके साथ ही, जनता द्वारा पुलिस का पूर्ण सहयोग करने पर स्वत: ही अपराधों में कमी आती चली जाती है। अपराधमुक्त भारत के सपने को साकार करने में पुलिस को अधिक से अधिक तकनीकीयुक्त ज्ञान को अपनाना होगा और अपने आप को आधुनिक रूप से सुदृढ़ बनना होगा। जंग लग चुके हथियारों को पुलिस थानों से हटाकर आधुनिक हथियारों एवं अन्य उपकरणों को पुलिस खेमे में शामिल करना ही होगा। इस प्रकार, देश की पुलिस को आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए, अपराधमुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में सक्रिय सहयोग करना चाहिए और देश की जनता का विश्वास जीतना चाहिए।

3. भारत सहित विश्व के सभी देशों को बदलती प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक : देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व को बदलती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना बहुत आवश्यक है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि

यदि प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग किया जाए तो वह हमारे देश के विकास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आज भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व खासतौर पर विकसित देश तकनीकी रूप से अधिक समर्थ होने में लगे हुए हैं। यदि आज वे अपने आपको ज्यादा समर्थ बनाएंगे, कल वे दुनिया में राज करेंगे और अपनी तकनीकी की बदौलत वे देश में नया मुकाम हासिल करेंगे। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना भी आवश्यक है क्योंकि जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग आज प्रत्येक संस्थान या वाणिज्यिक इकाई करती है, उसी का उपयोग असामाजिक तत्व भी करते हैं। इसलिए, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों एवं संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आम व्यक्ति किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार न होने पाए।

उसे इस प्रकार के धोखों से बचाने के लिए इन विभागों एवं इसके साथ ही, साइबर सुरक्षा सेल को अधिक से अधिक सतर्क रहते हुए अपने कर्तव्यों को निष्पादित करना होगा। आज के समय में लोग नकदी पैसा लेकर चलने से परहेज करने लगे हैं। वे अपनी जेब या पर्स में ज्यादा नकदी पैसा नहीं रखते हैं, अपितु ई वॉलेट के माध्यम से अपने मोबाइल द्वारा ही अधिकांश भुगतान करते हैं। इस तरह, ऐसे लोगों को शिकार बनाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों द्वारा उनके एटीएम कार्ड, पिन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता संख्या इत्यादि की जानकारी प्राप्त करके साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है जिससे लोगों के लाखों रुपए मिनटों में गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही, आजकल लोग लाखों करोड़ों रुपए मिलने संबंधी फर्जी लॉटरी, आदि का आमंत्रण भेजते हैं और मोबाइल पर ही दिए गए लिंक को क्लिक करने के लिए कहते हैं और बहुत से लोग भूलवश या गलती से लिंक को क्लिक करते हैं और शातिर बदमाशों द्वारा उनके बैंक खातों में जमा धनराशि तत्काल निकाल ली जाती है। ऐसे धोखों से बचने के लिए आम जनता को भी सतर्क रहना चाहिए और अपने ऑनलाइन लेनदेन को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी आदि को रोका जा सके।

4. भारत में करदाताओं की संख्या की बढ़ोत्तरी : ऑनलाइन लेनदेन में हुई बढ़ोत्तरी केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रही है अपितु इससे देश में करदाताओं की संख्या में भी बढोत्तरी हुई है। पिछले 5 वर्ष में करदाताओं की संख्या में भी भारी मात्रा में बढोत्तरी हुई है जिसका एक मुख्य कारण ऑनलाइन लेनदेन में हुई बढ़ोत्तरी भी है। आजकल अधिकांश उद्यमी या कारोबारी या नौकरीपेशा व्यक्ति ऑनलाइन लेनदेन को ही प्राथमिकता देते हैं जिससे एक ओर जहाँ उनके खातों का पूरा हिसाब सही रहता है वहीं दूसरी ओर बिलों के भुगतान आदि कार्यों में पारदर्शिता भी बनी रहती है। आज हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक करदाता हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। यह संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है और देश की स्थिति को मजबूत करने में अपना महती योगदान कर रही है। प्रत्येक करदाता देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है जिसके द्वारा चुकाए गए कर से ही देश की पूरी सरकारी मशीनरी पर खर्च होने वाला पैसा चुकाया जाता है। आज देश के करदाताओं को यह जानने का पूरा हक है कि उनका पैसा किसी गलत जगह तो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

शायद, यही कारण है कि कई बार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से उनके द्वारा खर्च किए गए धन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि पब्लिक मनी अर्थात सरकारी पैसे के बारे में आम जनता सवाल पूछ सकती है और संबंधित प्राधिकारियों को उनका जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए, यह बात तो काफी सही सिद्ध हो रही है कि जब से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकार में लागू हुआ है तब से बहुत से भ्रष्टाचारी अधिकारी सोच समझकर कार्य करने लगे हैं या यूं कहें कि भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आयी है किन्तु अभी भी हमारे देश में रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी है और सरकारी अधिकारी जिसमें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, कई बार रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं।

इस तरह के मामलों की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को प्रदान की जाती है जो कि ऐसे मामलों में गहन जाँच पड़ताल करने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने का काम करती है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों की समाज में कोई जगह नहीं होती है।

5. बदलती प्रौद्योगिकी और हम : जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आज प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। जीवन के मूलभूत कार्यों से लेकर सभी प्रकार के कार्यों को प्रौद्योगिकी की मदद से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, यातायात के आधुनिक साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। आजकल सभी कार्य मशीनों, कंप्यूटरों इत्यादि की सहायता से बहुत कम समय में किए जा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी ने मनुष्य की अनेक प्रकार से सहायता की है। यहाँ तक कि इन प्रौद्योगिकी उपयोगों से चिकित्सा क्षेत्र में आज मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना तक संभव हो पाया है। कुछ उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी ने अपनी दस्तक दी है।

बैंकिंग क्षेत्र में भी आज प्रौद्योगिकी द्वारा बहुत से कार्यों को ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ऑनलाइन या पेटीएम, गूगल पे, रुपे या फोन पे आदि के माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह तकनीक इतनी अधिक प्रसिद्ध हो चुकी है कि इस बारे में यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि आने वाले लगभग 5 वर्ष में ही हर इंसान ऑनलाइन लेनदेनों का उपयोग करेगा। इसके साथ ही एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन लेनदेन को ही बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। आजकल सभी प्रकार के यात्रा टिकट, होटल बुकिंग, घरेलू सामान, दवाई आदि मंगवाने के लिए भी ऑनलाइन माध्यमों का ही अधिक उपयोग किया जा रहा है। मार्च 2020 में भारत में फैली कोविड-19 महामारी के कारण भी परंपरागत तरीकों में काफी बदलाव हुआ है। लोगों के लिए सभी प्रकार की दुकानों, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट आदि को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इनके स्थान पर ऑनलाइन माध्यमों से चीजों को मंगवाने का कार्य आरंभ हुआ।

इस तरह, सभी कार्यों को ऑनलाइन कराया जाने लगा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्रों तक की शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन ही रखा गया और उनके द्वारा पढ़ाई के दौरान किए गए उनके टेस्ट के आधार पर ही 10वीं एवं 12वीं आदि के छात्रों को पास कर दिया गया।

6. आर्थिक प्रगति एवं तकनीक का आपसी संबंध : आज विश्व में वही देश तेजी से आर्थिक एवं अन्य प्रकार की प्रगति कर रहा है जो नई-नई प्रौद्योगिकी विकसित कर अपने देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तथा उन्हें दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। जापान, जर्मन, इजराइल कुछ ऐसे देश हैं जो केवल अपनी प्रौद्योगिकी के बल पर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि, चीन भी विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। चीन में इस प्रकार की वस्तु का निर्माण, वह भी बहुत ही कम समय एवं कम कीमत पर होता है। इसलिए आजकल अधिकांश वस्तुओं पर लिखा मिलता है मेड इन चाइना।

हमारे देश को भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश में विकसित स्वदेशी तकनीकों का उपयोग कर राष्ट्र निर्माण एवं देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग किया जा सके। अनुसंधान पर इसलिए भी जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को ही विदेशों में अपनी भाषा में प्रस्तुत कर नई नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान किया गया। इसलिए हमें अपने ज्ञान एवं प्राचीन समय में बताए गए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक विकसित करनी चाहिए और देश एवं समाज के विकास के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अनुसंधान इस प्रकार का होना चाहिए जिससे आम जनता को उसका सीधा लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, यह अनुसंधान देश की अर्थव्यवस्था में सीधे-सीधे अत्यधिक सहयोग प्रदान कर सके।

भारत को हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण जीवन के हर क्षेत्र में सहजता से करना चाहिए। देशवासियों को भारत सरकार के 'लोकल फॉर वोकल' को नारे को साकार करना चाहिए जिससे हमारे देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और हमारी स्वदेशी तकनीकी को भी संबल प्राप्त हो सके। हमें अपने देश में प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूलद, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, योग, कृषि, डेयरी, पुलिस, विधि, पुरातात्विक सामान, यातायात, रक्षा उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, खिलौने निर्माण, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, मशीनरी उत्पादन आदि में नई-नई प्रौद्यागिकी का विकास करना चाहिए और उन प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए जिससे देश को इनका लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए-नए उपकरण जैसे मोबाइल पेट्रोलिंग, वर्दी, लाठी, डंडा, बंदूक, पिस्टल आदि का भी आधुनिकीकरण करते हुए उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि देश में कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से दुरुस्त रखा जा सके। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौराहों पर उचित हरी, लाल व पीली बत्ती की व्यवस्था हो ताकि लोग उनको देखकर सड़क पार करें। चौराहों पर जगह-जगह कानून व्यवस्था की जांच करने के लिए सादी वर्दी में पुलिस के सिपाहियों की तैनाती होनी चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

पुलिस कर्मियों को अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे धरातल की स्थिति का पता चलता रहे। इसके बाद, इस संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है वहां आर्थिक प्रगति भी रुक जाती है, बाधित हो जाती है, देश का विकास रुक जाता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को अपने यहाँ अधिकांश वस्तुओं इत्यादि के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए ताकि बाहरी कंपनियां हमारे देश के उपभोक्ताओं को न ठग सकें। योगगुरु बाबा

रामदेव जी द्वारा पतंजलि योगपीठ द्वारा निर्मित स्वदेशी सामान ने बहुत सी विदेशी कंपनियों के बाजार को ही काफी कम कर दिया है। आज पतंजलि द्वारा निर्मित सामान की शुद्धता एवं स्वदेशी होने के कारण काफी मांग है। यदि हमारे देश में भी प्रौद्योगिकी काफी सस्ती और बेहतर होगी तो अधिककांश नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। बाहर की कंपनियों से फिर कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीदेगा। इसलिए, सरकार को भी स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद अवश्य ही लोग इन्हीं उत्पादों को खरीदेंगे।

जिस देश की वस्तु जितनी सस्ती होती है उसका बाजार पर उतना ही अधिकार हो जाता है। चीन ने इसी नीति को अपनाया और आज दुनिया के अधिकांश बाजारों में अपना दबदबा बनाकर रखा है। चीन ने विभिन्न प्रकार के वस्तु उत्पादन के क्षेत्र में आज जो तरक्की की है, विशेषरूप से कच्चे माल के उत्पादन में, वह अद्वितीय है। यही कारण है कि आज हमारा देश भी सभी क्षेत्रों में उत्पादन निर्माण के लिए लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल चीन से ही प्राप्त करता है।

7. बदलती प्रौद्योगिकी के साथ अपने आपको अद्यतन रखना : किसी भी देश को बदलती तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ अपने आपको अद्यतन करते रहना चाहिए। यह समय की मांग भी है और आवश्यकता भी। हमारे देश में 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम लागू हुआ और हमारे यहाँ आज भी ज्यादातर पुलिस थानों की स्थिति पुरानी ही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपराधियों को अपराध करने से रोकने एवं उन्हें पकड़ने के लिए सभी पुलिस कार्मिकों एवं सुरक्षा कार्मिकों को अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखाया जाए ताकि वे बदमाशों, अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों, लूटेरों, चोरों आदि को शीघ्रता से पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर सकें। आजकल साइबर अपराधों की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस बल में विज्ञान वर्ग से शिक्षित विशिष्ट अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी,

साइबर आदि क्षेत्रों के कार्यों को सौंपा जाना चाहिए ताकि वे इन कार्यों को कुशलतापूर्वक अंजाम दे सकें।

इसके साथ ही, पुलिस बल में नवीनतम हथियारों, पैट्रोलिंग गाड़ियों, इलेक्ट्रानिक गैजेटेस आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जब देश में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम हो जाती है तो उस देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में तेजी से उन्नति होती है। अत: यह आज की आवश्यकता बन चुकी है कि किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की बदलती स्थितियों से हम अपने आपको रुबरु कराते चलें ताकि हम समय के साथ आगे बढ़ सकें। **एक प्रसिद्ध विदेशी विद्धान आर्थर सी. क्लार्क ने कहा था कि – "पर्याप्त रुप से उन्नत प्रौद्योगिकी को किसी जादू से कम नहीं मानना चाहिए।"** अत: आज प्रौद्योगिकी में हो रहे दिन प्रतिदिन के बदलावों को अपनाते हुए देश के विकास एवं उन्नति में इनका उपयोग सुनिश्चित करना ही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। इससे देश में आर्थिक प्रगति सहित सभी प्रकार की प्रगति की लहर आनी अवश्यंभावी है।

अध्याय 16

प्रभावी कानूनी और सार्थक प्रौद्योगिकी का भविष्य

किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए प्रभावी कानूनी कदम उठाने ही पड़ते हैं। आर्थिक प्रगति के लिए दीर्घकालीन एवं सार्थक उपायों की आवश्यकता पड़ती है। प्रभावी कानून व्यवस्था के बिना देश में आर्थिक प्रगति बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है, वहां पर न तो नागरिक ही आगे बढ़ पाते हैं और न ही वह देश किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर पाता है। इसके साथ ही, सशक्त एवं सार्थक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना आज कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त होना किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जिस देश में जितनी अधिक समृद्धि होती है वहां के नागरिकों को उतनी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनका जीवन उतना ही आसान एवं सरल हो जाता है। हालांकि, आर्थिक समृद्धि के साथ उस देश में कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना उतना ही आवश्यक होता है। आज प्रौद्योगिकी के बल पर ही जापान, चीन, रूस, इजराइल, जर्मनी इत्यादि देश दुनिया में अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। जापान जैसे देश के पास तो इतने अधिक प्राकृतिक संसाधन भी नहीं हैं, तथापि, वह देश आज अग्रणी देशों में शामिल है, वह भी केवल अपनी उच्च तकनीक की बदौलत। इसलिए, हमें भी समय के साथ चलना ही होगा और आज देश में प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करते हुए नई-नई प्रौद्योगिकी को स्वीकारना होगा जिससे और अधिक प्रगति की जा सके।

चीन जैसे देश ने भी आज प्रौद्योगिकी के बल पर दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली देशों में अपना स्थान बनाया है। आज दुनिया के सभी क्षेत्रों में उपयोग में आने वाला लगभग 70 प्रतिशत कच्चा माल चीन में ही तैयार किया जाता है। यही कारण है कि कोरोना महामारी (कोविड-19) को फैलाने का आरोप चीन

पर लगने के बावजूद भी चीन से ही ज्यादातर देश दवाइयों इत्यादि हेतु कच्चे माल की आपूर्ति करवाते रहे। इस संबंध में सभी देशों को सोचना होगा, विशेष रूप से भारत जैसे देश को तो इसमें अवश्य आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे देश में हर प्रकार की तकनीक बहुत ही टिकाऊ प्रकृति की है किन्तु आज हमारे वैज्ञानिकों को और अधिक सस्ती तकनीक की आवश्यकता है जो कि हमारे देश की लगभग 135 करोड़ जनता को सहज रूप में आपूर्ति करने में सफल हो सके।

प्रभावी कानून व्यवस्था :

ऐसी कानून व्यवस्था जो देश की प्रगति को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों में समान प्रभाव रखे और देश का समग्र विकास करने में सहायक हो। यह सब बातें केवल प्रभावी कानून व्यवस्था से ही संभव हो पाता है। किसी भी देश की रीढ़ की हडडी कही जाती है वहाँ की कानून व्यवस्था। यदि यह एक बार बिगड़ जाए तो इसे काबू में लाने में पसीने छूट जाते हैं। कई बार ऐसे देशों में आपातकाल तक लगाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पारदर्शी होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। देश में अपराध जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी दुर्लभ वस्तु या प्राणियों की तस्करी आदि को रोकने के लिए सदैव ही प्रभावी कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

लोगों में कानून का पालन करने का डर देश की आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ करता जाता है। अक्सर देखने में आता है कि जिस देश या राज्य आदि में लोगों द्वारा कानूनों का पालन किया जाता है वहां तेजी से आर्थिक प्रगति होती है वहां के लोगों में समृद्धि ज्यादा होती है तथा जहां लोग कानूनों या सरकारी नियमों का पालन करने से कतराते या नहीं करते हैं वहां के लोग अक्सर पिछड़े रह जाते हैं।

सार्थक प्रौद्योगिकी का महत्व :

प्रौद्योगिकी के बिना आज के समय में चल पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होने लगा है। प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए जिसका महत्व बहुत अधिक हो। कम महत्व वाली प्रौद्योगिकी का मतलब नहीं होता है। बहुत से देश जैसे चीन आदि कुछ ऐसा सामान बनाते हैं कि वह सामान 2 घंटे भी कार्य नहीं कर पाता है। हमें अपने देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही सार्थक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। समर्थ एवं उचित प्रौद्योगिकी के अन्वेषण एवं अनुसंधान को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टिकाऊ प्रौद्योगिकी का ही भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। सार्थक प्रौद्योगिकी के बल पर ही हम देश में प्रभावी कानून व्यवस्था को भी लागू करने में सफल हो सकते हैं।

सार्थक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हम उचित यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण की उचित तकनीक, विभिन्न समारोह, मतदान केंद्रों, मेलों, रैलियों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि की सबसे उचित व्यवस्था कर पाएंगे। उचित प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है जिससे देश में प्रभावी एवं सार्थक कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। आने वाला समय पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित ही रहेगा। आज का मनुष्य प्राचीन समय के मनुष्य से बहुत अधिक अलग है। पहले समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों पैदल चलकर जाया करते थे और तब जाकर कहीं भी गंतव्य स्थल पर पहुंच पाते थे किंतु आजकल मनुष्य के पास इतना समय नहीं है। समय के अभाव में जहां नई-नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को बढ़ावा मिला है, वहीं हमारे आपसी संबंधों की नींव को भी कमजोर कर दिया है। उचित एवं सार्थक प्रौद्योगिकी से मनुष्य अवश्य ही शीघ्र प्रगति कर सकता है।

हम सभी को धैर्य के साथ प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना आना चाहिए ताकि आर्थिक प्रगति भी हो और देश आगे भी बढ़ता रहे। उचित कानून व्यवस्था के बिना नए कोई व्यक्ति प्रगति कर सकता है और ना ही कोई राष्ट्र।

हमें अपने राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में अच्छी से अच्छी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।

प्रभावी कानून व्यवस्था :

प्रभावी कानून व्यव्स्था हेतु बहुत से उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालना उचित रहेगा जोकि इस प्रकार हैं :

1. समय की आवश्यकता : आज देश में हर प्रकार के कार्यों इत्यादि में प्रौद्योगिकी ने अपने प्रवेश कर लिया है। जहाँ हमारे देश में वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज का उपयोग नित नई वस्तुओं के निर्माण में किया जा रहा है, वहीं इसका दुरुपयोग बहुत से लोगों या अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों द्वारा देश को बदनाम करने, उसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, उन्हें बढ़ावा देने, देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने आदि के लिए भी किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का यह सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि जिसके माध्यम से हम एक देश की जानकारी पल भर में प्राप्त कर लेते हैं वहीं गलत चीजों जैसे झगड़े फैलाने, आतंक फैलाने, अफवाह फैलाने, देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने इत्यादि में भी इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है।

2. आधुनिक उपकरणों की समझ : हमारे देश के सुरक्षा बलों एवं पुलिस बल में बहुत अधिक संख्या में आज भी ऐसे कार्मिक मौजूद हैं जो कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कम जानते हैं या उन्हें इसकी जानकारी काफी कम है। आधुनिक उपकरणों की समझ विकसित की जानी चाहिए ताकि समय आने पर हमारे देश के सैनिक या पुलिसकर्मी अपने आधुनिकतम हथियारों या उपकरणों आदि का सहजता के साथ उपयोग कर सकें और देश में हो रहे आंतरिक दंगों या देश की सीमाओं पर हो रहे बाहय आक्रमणों को तीव्र गति से रोका जा सके। हमें इसमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और आधुनिक उपकरणों के संचालन का ज्ञान प्राप्त कर अपने आपको विकसित एवं तीव्र प्रौद्योगिकीयुक्त राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए।

इसके साथ ही, आधुनिक गाड़ियों के रख-रखाव एवं उसमें लगने वाले उपकरणों की जानकारी भी हमारे सैनिकों इत्यादि को होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र गति से मंगवाया जा सके और उन्हें लगवाया जा सके।

3. डिजीटलीकरण के दौर में प्रौद्योगिकी संबंधी उपकरणों का उपयोग : देश के प्रत्येक विभाग में डिजीटलीकरण के कारण आज ज्यादातर डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो चुका है। इसके साथ ही, एकीकरण के कारण इसमें समानता भी रहेगी और कम्प्यूटर में फीडिंग होने के कारण में छेड़छाड़ होने की संभावना न के बराबर रहेगी। तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि देश का हर नागरिक अपने कार्यों को कम से कम समय और श्रम में पूरा कर सके। देश के समय और श्रम की बचत से देश को ही लाभ होता है। वह समय और श्रम किसी अन्य कार्य में लगाया जाता है जिससे देश में उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ने लगता है।

4. सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक जॉच आदि का महत्व : हाल की कुछ वर्षों में हमारे देश में सीसीटीवी कैमरों, फायर अलार्म, आग बुझाने के यंत्र, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स, फॉरेंसिंक जाँच आदि का बड़ी मात्रा में उपयोग होने लागा है। देश में इन यंत्रों के उपयोग से कहीं न कहीं विभिन्न एजेंसियों यथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, आर्थिक अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग, आसूचना ब्यूरो इत्यादि को काफी सहायता मिली है। आजकल लगभग सभी विभागों में इन उपकरणों का उपयोग अनिवार्य-सा कर दिया गया है। इन उपकरणों की सहायता से जहाँ आंतरिक अपराधों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है वहीं बाह्य अपराधों को भी नियंत्रित रखा जाता है। देश की सीमाओं पर बहुत बड़े-बड़े सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि यदि कोई चूहा भी एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी कंट्रोल रुम में बैठे अधिकारी को तत्काल

मिल जाती है और वे इस संबंध में आगे की कार्रवाई शीघ्र करते हैं। साथ ही, देश के भीतर विभिन्न स्कूलों, चौराहों, इत्यादि के आसपास महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों यथा छेड़छाड़, यौन शोषण आदि को रोकने में भी सीसीटीवी इत्यादि काफी कारगर साबित हुए हैं और पुलिस बल के कार्मिकों ने इन सीसीसीटीवी कैमरों की सहायता से अपराधियों को बहुत ही कम समय में गिरफ्तार करके माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा जहाँ से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। अत: आज सभी लोगों को इन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही, महिलाओं एवं बच्चियों इत्यादि के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में मोबाइल पर 100 या 112 नंबर डायल कर पुलिस सहायता तत्काल प्राप्त की जा सकती है।

वहीं एम्बुलेंस सेवा हेतु 108 नंबर डायल किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आधुनिक उपकरणों के उपयोग से देश की आंतरिक एवं बाहय सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकता है। इसके साथ ही, फायर अलार्म, आग बुझाने के यंत्र आदि को भी सभी संवेदनशील स्थानों पर लगाना अनिवार्य है। नागरिकों को भी इन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी विपरीत परिस्थिति में इनका नागरिकों की सुरक्षा हेतु ही उपयोग किया जा सकता है जिससे जान एवं माल दोनों की हानि को रोकने में काफी मदद मिल सकती है।

5. पुलिस को आधुनिक बनाना अत्यन्त आवश्यक : माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2005 में पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु निर्देश दिए थे। हालांकि, पुलिस राज्य का विषय है और पुलिस राज्य शासन के अंतर्गत आती है। हालांकि, दिल्ली पुलिस इसका अपवाद है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से राज्य नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ की पुलिस की स्थापना पहले ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों को अपने अपने पुलिस बलों को आधुनिक तकनीकी से युक्त करने हेतु निर्देश जारी किए हैं किन्तु कुछ राजनीतिक कारण और कुछ अन्य प्रकार के स्थानीय कारणों की वजह से इस मामले को अभी तक अमली

जामा नहीं पहनाया जा सका है और अब तक भी पूरे देश में सभी राज्यों की पुलिस को आधुनिक नहीं किया जा सका है। भारत सरकार ने इस संबंध में अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अवश्य कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनसे देश की किसी भी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से तत्काल जुड़ सकती है। आज देश के सभी थानों को आपस में जोड़ दिया गया है। इस कार्य को करने में लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने वर्ष 2009 में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना को लागू किया था जिसमें देश के 15000 पुलिस स्टेशनों एवं 6000 पुलिस संबंधी उच्च कार्यालयों को जोड़ा गया था। एनसीआरबी का यह कदम वाकई सराहनीय है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली और एडवांस फेशियल रिकगनिश सिस्टम जैसे विशेषीकृत संसाधनों के लिंक तैयार किए गए हैं ताकि आधुनिक तरीके से पुलिस बल को मजबूत किया जा सके। इससे भी समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है।

6. अनुसंधान कार्यों पर विशेष जोर : भारत की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक अनुसंधान कार्यों पर ध्यान देना होगा ताकि प्रभावी कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। हो सकता है कि भविष्य में सरकार द्वारा पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस विचार किया जाए ताकि पुलिस से संबंधित विषयों के लिए एक ही स्थान पर हर प्रकार के कोर्स या पाठयक्रम को उपलब्ध करवाया जा सके। आज समय की मांग है कि पुलिस से संबंधित विषय हो या अपराध, जेल इत्यादि किसी अन्य विषय से संबंधित मुददा, इस तरह के विषयों पर अनुसंधान कार्यों को गंभीरतापूर्वक किए जाने की नितांत आवश्यकता है। हमारे देश में आज भी अनुसंधान को बहुत ही फालतू एवं खर्चीला कार्य माना जाता है जबकि यह सच्चाई है कि जिस भी अनुसंधानकर्ता ने अपने देश के लिए किसी विषय विशेष के संबंध में अनुसंधान किया है, उस देश ने उस अनुसंधान से न जाने कितने वर्षों तक मान सम्मान और

पैसा कमाया है। आप सहज महसूस कर सकते हैं कि ज्यादातर अनुसंधान या खोज विदेशों में हुई हैं क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग अनुसंधान कार्य या खोज को महत्वपूर्ण मानते आए हैं और आज भी इन विषयों को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, यह भी सत्य है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान रहा है और उसकी सभी बातों को विदेशियों ने अपने यहाँ ले जाकर नए-नए तरीके से प्रस्तुत किया है जो कि अब उनके देश की खोज के रूप में सामने आ रहे हैं।

भारत सरकार को प्रभावी कानून व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों या पुलिस अकादमियों में अनुसंधान कार्यों को और तीव्र गति से करवाना चाहिए तथा इसमें कुछ अन्य समसामयिक विषयों को भी शामिल किया जा सकता है जैसे साइबर अपराध करने के तरीके, बढ़ते अपराधों में किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा सक्रिय, पुरुषों एव महिलाओं में से कौन किस तरह की युक्ति अपनाता है, महिलाएं भी क्या आजकल अपराधों में ज्यादा सक्रिय हो रही हैं, बच्चों का शोषण किस तरह से किया जा रहा है, इस तरह आप देखेंगे कि आने वाले समय में अनुसंधान कार्यों में तीव्रता आए और कुछ ऐसे अनुसंधान हो पाएं जो देश और समाज के लिए आने वाले लगभग 100 वर्षों तक लाभ पहुंचाते रहें। देश की उन्नति और प्रगति में अनुसंधान का सीधा-सीधा योगदान है। जिस देश ने भी किसी क्षेत्र विशेष में कोई अनुसंधान या खोज की है वह आज भी उस अनुसंधान या खोज की रॉयल्टी प्राप्त करता है और आगे भी प्राप्त करता रहेगा।

इसके साथ ही, नई नई तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों में भी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि नए अनुसंधान किए जा सके और देश तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर बनने की राह में चल निकले। हालांकि, यह कहना जितना आसान है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाना उतना ही कठिन भी है और उतना ही समय, पैसा और श्रम भी लगता है। विदेशों में हुई खोजों अथवा अनुसंधानों के आधार पर हमें भी अपने देश में विशेष रूप से अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक

अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) आदि में नए नए अनुसंधानों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश में नयी खोज हो सके और इसका लाभ देश को मिल सके। इसी प्रकार पुलिस संबंधी विषयों में भी अनुसंधान को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सके और देश प्रगति कर सके। इसके साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि इस प्रकार की खोज, अध्ययन या अनुसंधान से देश की आम जनता को बहुत अधिक फायदा होता है।

सार्थक प्रौद्योगिकी का भविष्य :

इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय पूरी तरह से प्रौद्योगिकी का ही होगा। जो लोग कम्प्यूटर नहीं जानते होंगे उन्हें अनपढ़ बराबर समझा जाएगा। कम्प्यूटर के बिना समाज में किसी भी क्षेत्र के काम को पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। कम्प्यूटर एक आधारभूत शैक्षिक योग्यता हो जाएगी। देश में हर प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा किन्तु जो प्रौद्योगिकी उच्च गुणवत्ता वाली होगी, बाजार में केवल वही टिक सकती है। आज के समय में सार्थक प्रौद्योगिकी को अपनाए बिना भला किस क्षेत्र में प्रगति की जा सकती है। हल्की गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से फायदे के बदले उल्टे नुकसान ही उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें अपने व्यक्तिगत कम्प्यूटर में एंटी वायरस डलवाना है तो यदि हम कम गुणवत्ता वाला एंटी वायरस डलवाएंगे तो वह कभी भी धोखा दे सकता है और जिसके कारण हमारे व्यक्तिगत कम्प्यूटर में अनेक प्रकार के वायरस आने की संभावना बढ़ जाएगी और हो सकता है कि हमारे कम्प्यूटर को ये वायरस काफी नुकसान पहुंचा दें या उसमें कोई और खराबी आ जाए। प्रौद्योगिकी तो सही है किन्तु यह टिकाऊ प्रकृति की होनी चाहिए। चीन को बहुत सा सामान आज भी बाजार में नहीं बिक पाता है क्योंकि चीन का सामान तो सस्ता है लेकिन गुणवत्ता में वह कहीं नहीं ठहरता है।

भारत में निर्मित सामान महंगा तो अवश्य है किन्तु विदेशों में उसकी मांग काफी है। इसी प्रकार अन्य देशों में निर्मित सामान की मांग भी काफी है। अत: तकनीक या प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए जो कि दीर्घावधि तक चले और उसका मुकाबला करने वाले को हजार बार सोचना पड़े कि उससे बेहतर सामान किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है। सार्थक प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ बातें इस प्रकार हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए :

1. प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग किया जाना : माचीस का उपयोग घर में खाना बनाने हेतु चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है, मंदिर में दीया जलाने के लिए किया जाता है, मोमबत्ती जलाने आदि के लिए किया जाता है तो उसे प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना बोलते हैं किन्तु यदि कोई व्यक्ति माचीस का उपयोग किसी के घर में आग लगाने के लिए, खेत में खड़ी धान या गेहूं की फसल को जलाने लिए करता है तो उसे इसका दुरुपयोग ही कहा जाएगा। इसी प्रकार, प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी बहुत मायने रखता है। कुछ लोग प्रौद्योगिकी का सदुपयोग जैसे मोबाइल का उपयोग करके अपने काबारोबार को बढ़ाने में लगे रहते हैं वहीं कुछ लोग मोबाइल का उपयोग चोरी, डकैती, हत्या, लूट, अपहरण आदि के लिए उपयोग में लाते हैं जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग आपस में संपर्क में रहते हैं और किसी घटना को अंजाम देते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है और सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। जहाँ कुछ लोग हथियारों का उपयोग देश में लूटपाट, हत्या आदि के लिए करते हैं, वहीं देश की सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक इन्हीं हथियारों का उपयोग पड़ौसियों को हमारे देश में अवैध रूप से घूसने से रोकने के लिए करते हैं। विलियम **शैक्सपियर ने कहा था कि – न तो इस संसार में कुछ अच्छा है और न ही कुछ बुरा है। यह हमारी सोच एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज के बारे में किस प्रकार विचार करते हैं**।

2. प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता : यह भी उतना ही सत्य है कि किसी प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करना जितना आवश्यक है उस तकनीक का प्रचार प्रसार भी उतना ही किया जाना चाहिए। अच्छी तकनीक का उचित उपयोग करते हुए समाज के हर वर्ग में इसकी जानकारी पूरी तरह से फैला दी जानी चाहिए। जब तक किसी चीज या वस्तु या सेवा इत्यादि का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है, उसका भरपूर लाभ वहां की जनता को नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही, हमें आज नहीं तो कल विभिन्न प्रकार की तकनीकी चीजों को समझना ही होगा क्योंकि समय के साथ गतिशील बने रहना ही लाभप्रद एवं सुखदायी होता है।

3. सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना : किसी भी तकनीक का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि असुरक्षित उपयोग अपने लिए ही हानि का कारण बन सकता है। इसी प्रकार, आजकल सभी बैंकों द्वारा भी यह प्रचार-प्रसार किया जाता है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन लेनदेन करते हैं तो अपना एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, उसका पिन, सीवीवी नंबर, खाता संख्या, ओटीपी इत्यादि किसी को भी न बताएं। ऐसा बताने से आपके साथ किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी होने की संभावना बनी रहती है। इस तरह की जानकारी कोई भी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों से नहीं मांगता है। इसके साथ ही, केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, उपक्रमों इत्यादि द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके नाम पर कोई फर्जी वेबसाइट इत्यादि न बनायी गयी हो क्योंकि ऐसा करने वाले लोग धोखाधड़ी करके लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चुना लगा सकते हैं जिससे देश को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

4. सार्थक प्रौद्योगिकी का भविष्य : किसी ने बहुत ही सही कहा है कि जीवन में पुरानी चीजों का स्थान नई चीजें लेती जाती हैं किन्तु यथार्त् वही रहता है। लोग पुराने जमाने में सिल-बटटे पर पिसी चटनी खाया करते थे और आज मिक्सी में चटनी बनाकर खाते हैं। चटनी वही है, पहले भी और आज भी। इसी

प्रकार, हमें भी दिन प्रति हो रहे बदलवों के माध्यम से देश में नई एवं सार्थक प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए और देश की उन्नति में अपना सक्रिय योगदान करना चाहिए। अच्छी तकनीक के सहारे ही कोई देश आज के समय में आगे बढ़ सकता है। यह समय बहुत ही गतिशील है और इसमें अपने आपको तकनीकी के साथ चलाने वाले देश ही आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वाले देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही, यह भी बहुत ही आवश्यक है कि तकनीक या प्रौद्योगिकी उन्नत किस्म की हो, वो ही बेहतर है। सस्ती एवं अस्थायी प्रकृति की तकनीक का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए, आज सभी विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों इत्यादि को उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए देश की आर्थिक प्रगति में अपना सहयोग देना चाहिए और देश के डाटा को सुरक्षित रखने में सक्रिय योगदान करना चाहिए।

5. सुरक्षित प्रौद्योगिकी आर्थिक प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक :

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सुरक्षित प्रौद्योगिकी आर्थिक प्रगति के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। बेहतर प्रौद्योगिकी की मांग आज विश्व के सभी देशों में है और गैर टिकाऊ प्रौद्योगिकी या तकनीकी को कोई लेने या अपनाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके फायदे बहुत कम और नुकसान बहुत ज्यादा हैं। अत: जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा सुरक्षित एवं उन्नत प्रकृति की प्रौद्योगिकी का ही उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उसका लाभ आर्थिक रूप से प्राप्त हो सके।

संदर्भ साहित्य

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की वेबसाइट
2. एनसीआरबी, बीपीआरडी इत्यादि पुलिस कार्यालयों की वेबसाइट
3. आर्थिक अपराध और पुलिस – बीपीआरडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
4. नई प्रौद्योगिकी और पुलिस –बीपीआरडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. विभिन्न समाचार पत्रों में लिखे लेख इत्यादि
6. स्मार्ट पुलिसिंग – बीपीआरडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
7. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, (विभिन्न तिथियों के समाचार पत्र आदि)
8. भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट इत्यादि

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम
1	भारतीय पुलिस का इतिहास (अतीत काल से मुगल काल तक)	डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी
2	भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन	श्री एच भीष्मपाल
3	विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका	प्रो. आर.एस. श्रीवास्तव
4	ग्रामीण पुलिस–समस्याएं एवं समाधान	श्री रामलाल विवेक
5	ग्रामीण पुलिस–समस्याएं एवं समाधान	श्री शंकर सरोलिया
6	मादक पदार्थ–पुलिस की भूमिका	डॉ. हरीश नवल
7	स्वातंत्रयोत्तर भारत में जनता का उत्तरदायित्व तथा पुलिस की भूमिका	डॉ. कृष्ण मोहन माथुर
8	सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उदभव	प्रो. मीनाक्षी स्वामी
9	समग्र न्याय व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका	श्री ललितेश्वर
10	पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता	डॉ. सी. अशोक वर्धन
11	मानवाधिकार एवं पुलिस एक समीक्षा	डॉ. जी एस वाजपेयी
12	नई आर्थिक नीति एवं अपराध	डॉ. अर्चना त्रिपाठी
13	महिलाएं और पुलिस	श्रीमती अमिता जोशी
14	बाल–अपराध	श्री गिरिश्वर मिश्र
15	न्यायायिक विज्ञान की नई चुनौतियां	डॉ. शरद सिंह
16	नई सहस्त्राब्दि में पुलिस कैसी हो...	डॉ. अजय शंकर पांडेय
17	सामुदायिक पुलिस व्यवस्था	डॉ. तपन चक्रवर्ती एवं डॉ. रवि अम्बष्ट
18	भारत में मानवाधिकार–संरक्षण एवं पुलिस	डॉ. रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डॉ सविता शर्मा
19	संगठित अपराध	श्री महेन्द्र सिंह आदिल
20	पुलिस कार्यों का निजीकरण	डॉ. शंकर सरोलिया

21	साइबर क्राइम	डॉ. अनुपम शर्मा
22	अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल	डॉ. निशांत सिंह
23	अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं	डॉ. उपनीत लाली एवं डॉ. ऋता तिवारी
24	व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास	श्रीमती नीना लाम्बा
25	वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति	श्री राकेश प्रकाश
26	बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास	प्रो. दीप्ती श्रीवास्तव
27	आतंकवाद एवं जन साझेदारी	श्री विश्वेश प्रकाश
28	महिला कैदी एवं जेल व्यवस्था	श्रीमती अदिती
29	नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका	श्री राकेश कुमार सिंह
30	पुलिस नेतृत्व	डॉ. प्रशांत चौबे
31	महिला पुलिस से अपेक्षाएं	डॉ. अनुपम चौबे
32	अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका	डॉ. मंजू देवी
33	पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका	डॉ. पंकज श्रीवास्तव एवं नीतू मिश्रा
34	अपराध नियंत्रण में न्यायपालिका की भूमिका	डॉ. अदिती मिश्र
35	महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस में परिवर्तन	श्रीमती मंजूला वर्मा
36	वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पुलिस का व्यवहार	श्री ललितेश्वर
37	नई प्रौद्योगिकी और पुलिस	श्री राजेश प्रताप सिंह
38	स्मार्ट पुलिसिंग	डॉ. प्रशान्त चौबे
39	आर्थिक अपराध तथा पुलिस	डॉ. जालम सिंह
40	बन्दी कल्याण एवं निःशुल्क कानूनी सहायता	डॉ. सरिता भवानी मालवीय
41	साइबर फॉरेंसिक	डॉ. राकेश प्रकाश
42	साईबर अपराध और पुलिस की तैयारियां	श्री दीपक सक्सेना
43	पुलिस एवं सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एवं चुनौतियां	डॉ. सोनिया दत्त शर्मा
44	भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक का योगदान	श्री राजीव कुमार

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia
Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in